द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक १२
२ दिसम्बर, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(6th Session)

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

270 (Ai) LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३—अंक ११ से २०—१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . . — १०५५–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ — १०७८–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . . — १०८०–११०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५ . . . . — ११०४–४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ११४८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . — ११४९–५१/
खण्ड २, ३ और ३-क . — ११५१–८०

कार्य मंत्रणा समिति—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . — ११८१

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में — ११८१

दैनिक संक्षेपिका — ११८२–८८/

अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . . — ११८९–१२१२/

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४ — १२१२–२५/

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३ — १२२५–६६

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . — १२२५/

स्थगन प्रस्ताव . . . १२६७–६८

गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता . १२६७–६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२६८–६९

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १२७०–८५

खण्ड ४ और अनुसूची १२७५–८०

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा . १२८२–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–१२

अंक १३—बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ १३१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९ १३३६–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४ १३५८–९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३९३–९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन १३९४

समिति के लिए निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति १३९४–९५

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १३९५–१४०२

खण्डों और अनुसूची पर विचार . १३९५–९९

संशोधित रूप में पारित करने का विचार १३९९–१४०२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १४०२–१५

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव १४१५–२८

चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा १४२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४—गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ . १४४१–६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ १४६४--७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९६५ और ९६७ १४७४--१५०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५०९--११

राज्य-सभा से संदेश . . १५११-१२

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा पटल पर रखा गया . १५१२

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका १५१२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव १५१२--४६

दैदिक संक्षेपिका १५४७--५८

अंक १५--शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०९, ६११ से ६१७, ६१९, ६२० और ६२३ से ६२६ १५५५--७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६ . . . १५७९--९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३९ १५९५--१६२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६२४-२५

राज्य सभा सें संदेश १६२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान लिलाना--

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके १६२६--३२

सभा का कार्य . . १६३२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३--४०

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४०--४३

आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४३--४६

खण्ड २ और १ १६४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

इकतीसवां प्रतिवेदन १६४६

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . १६४७--६७

	पृष्ठ
देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प	१६६७
एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१६६८–७२
दैनिक संक्षेपिका . .	१६७३–७९

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२	१६८१–१७०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६९१ और ६९३ से ७२३	१७०६–२८
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से १११५	१७२८–६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६१–६२
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	१७६२
लोक लेखा समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	१७६२
१९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	१७६२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा	१७६३–६४
विधेयक पुर:स्थापित .	१७६४–६५
(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	
(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	
(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१७६५–१८०१
दैनिक संक्षेपिका .	१८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ .	१८०९–३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१८३२–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ .	१८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १११६ से ११६७ . १८४८—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८—१६०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . १६०४—०६

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १६०६—२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घं े की चर्चा . १६२५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . १६२८—३४

अंक—१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १६३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७६, ८०७, ७८० से ७८७ १६३६—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १६५८—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८० . . . १६७६—२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २०१८—२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८—३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २०५४—६१

अंक--१९, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४ २०६३--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८९ . २०८५--२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२९९ और १३०१ से १३४२ २१०२--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२९

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य २१२९-३०

जानकारी का प्रश्न . . . २१३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३०--३२

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३२--५४

खण्ड २ से ८ और १ २१५४--६१

पारित करने का प्रस्ताव २१६१-६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५-५६ और १९५६-५७ २१६५--७३

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७५--८०

अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नो के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९५, ८९९, ९०१, ९०२, ९०४, ९२६, ९०५, ९०६ और ९०८ . . . . २१८१--२२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ८९८, ९००, ९०३, ९०७, ९०९ से ९२५ और ९२७ से ९३३ . . . . २२०३--१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ . २२१६--७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२७१

विशेषाधिकार समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन . २२७२

राज्य सभा से सन्देश २२७२-७३

सभा का कार्य . . २२७३

विधेयक पुरस्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—— पृष्ठ

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २२७४—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . . . २२९३—९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . . २२९४—९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक——

परिचालित करन का प्रस्ताव . . . . २२९६—२३१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आसाम में प्राकृतिक गैस

+

†*४५३. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बनाये गये आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की सम्भाव्य मात्रा का और निर्धारण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित मात्रा कितनी है ; और

(ग) क्या इसके उपयोग के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** अन्य राज्यों में जहां ड्रिलिंग तथा अन्य कार्यवाही की जा रही है क्या यहां भी उसी प्रकार की संभावनाओं का प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है । माननीय सदस्य किस प्रकार के निर्धारण का उल्लेख कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० च० शर्मा** : ज्वालामुखी तथा अन्य क्षेत्रों में जहां ड्रिलिंग किया जा रहा है कुछ निर्धारण किया जा रहा है। क्या इस क्षेत्र के बारे में भी कुछ निर्धारण किया जा रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : संभवतः माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि क्रूड आयल और गैस कितनी मात्रा में उत्पादित होगी। यदि प्रश्न यह है तो क्रूड आयल लगभग २५ लाख और ३२ से ३५ क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस प्रतिदिन का अनुमान है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : प्रश्न के भाग (ग) के बारे में मैं जानना चाहती हूं कि विशेषज्ञ का अध्ययन कब तक रहेगा ? आसाम के उद्योग मंत्री को अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में जानकारी दी गई थी कि इटली और जापान की रिपोर्टों पर अध्ययन करने के पश्चात् निर्णय किया जायेगा। इस कार्य के लिये कितने परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं और अभी तक कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं तथा परामर्शदाताओं को फीस के रूप में कितनी रकम दी गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं यह स्थिति स्पष्ट कर दूं। आसाम आयल कम्पनी द्वारा तेल की खोज के पश्चात् उपलब्ध गैस का टेक्नीकल निर्धारण देने के तुरन्त पश्चात् हमने इटली और एक या दो अन्य देशों से पूछताछ की। आसाम सरकार ने जापान से भी कुछ जानकारी प्राप्त की और उन्हें इस गैस को प्रयुक्त करने के बारे में कुछ रिपोर्ट मिली थी। इटली से रिपोर्ट मिलने के बाद हमने कुछ पूछताछ की थी किन्तु अभी उसका उत्तर नहीं मिला है। हमारी आशा थी कि पिछले महीने के मध्य में यह रिपोर्ट मिल जायेगी किन्तु यह अभी तक नहीं मिली है। इटली और जापान से जानकारी प्राप्त होने पर हम इसे प्रयुक्त करने के बारे में निर्णय करेंगे। ऐसा एक या दो अथवा अधिक उद्योगों की दृष्टि से किया जायेगा।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति की क्या आवश्यकता थी जब एक टेक्नीकल समिति इस कार्य को कर सकती थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमें विदेशी परामर्शदाताओं की आवश्यकता है क्योंकि प्राकृतिक गैस के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं का हमें अनुभव नहीं है। प्राकृतिक गैस की सहायता से अनेक उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। अतः इसके आर्थिक पहलू पर विचार करना है और इसके प्रयोग की नवीनतम पद्धतियों की जांच की जायेगी। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस विषय में उपलब्ध नवीनतम अनुभव का लाभ उठाया जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इसे प्रयोग करने के बारे में सरकार कब तक निर्णय करेगी क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम शीघ्र ही किसी प्रकार का निर्णय करने के लिये उत्सुक हैं क्योंकि १६६१ में तेल शोधनशालाओं के लिये क्रूड आयल का उत्पादन प्रारम्भ होते ही हमें इस गैस को प्रयोग करना पड़ेगा। यदि उस समय तक हमारे पास कोई योजना तैयार नहीं हुई तो फिर इस गैस को जलाना पड़ेगा क्योंकि तेल की खोज करना अनिवार्य है। अतः सरकार स्वयं भी निर्णय करने के लिये उत्सुक है क्योंकि उस अवस्था में ही हम गैस का शीघ्र उपयोग कर सकते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : पैट्रोलियम केन्द्रीय विषय है फिर आसाम राज्य इसके प्रयोग की पूछ ताछ क्यों कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आसाम सरकार जानकारी एकत्र कर हमारी मदद कर रही है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या जापानी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है? और क्या इटालियन विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट आसाम सरकार को देंगे? इस गैस से कितनी किलोवाट बिजली पैदा होगी और विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी आय होगी?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाते हैं उस अवस्था तक मैं माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं। अब हमें जापानी परामर्शदाताओं से कुछ परामर्श मिला है। हम इटली से परामर्श प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके मिल जाने पर हम यह निर्णय करेंगे कि क्या विद्युत् उत्पादन किया जा सकता है अथवा आसाम में विद्युत् उत्पादन के साथ ही क्या उर्वरक का कारखाना भी स्थापित किया जा सकता है। हमारे पास दो योजनाएँ हैं—विद्युत् उत्पादन और प्राकृतिक गैस से उर्वरक का निर्माण।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : कुछ समय पहले यह बताया गया था कि आसाम सरकार ने विदेशों में एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा है इस परियोजना के विकास में उक्त प्रतिनिधि मण्डल का क्या क्षेत्राधिकार है तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आसाम सरकार के बीच विदेशी सहायता के सम्बन्ध में कोई सामञ्जस्य है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तेल और प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में किसी भी योजना के सूत्रपात और क्रूड आयल का उत्पादन करने के लिये आयल इण्डिया लिमिटेड का प्रारम्भ करने के लिये भारत सरकार ही उत्तरदायी है। हमने आसाम सरकार को निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिये आमंत्रित किया है। हमारे इस बोर्ड में अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हैं। अन्यथा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में उक्त उद्योग का प्रवर्तन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व हम पर ही है।

†**श्री जयपाल सिंह** : यदि २५ लाख गैलन क्रूड पैट्रोलियम के उत्पादन का निर्धारण है तो फिर यह शोधनशाला कुछ वर्षों के बाद कैसे चालू रहेगी?

†**श्री के० दे० मालवीय** : प्रतिवर्ष २५ लाख गैलन क्रूड आयल का अनुमान किया जाता है।

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रति वर्ष? यह बात मंत्री महोदय ने पहले नहीं बताई थी?

भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय

†*४५४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय स्वायत्तशासी रूप में स्थापित करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी हां। किन्तु स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इस बोर्ड का भारत के अन्य संग्रहालयों पर नियंत्रण रहेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी नहीं। यह बोर्ड दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये है।

†**श्री राम कृष्ण** : विचाराधीन प्रस्ताव यथार्थतः क्या है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह प्रश्न सर्वथा स्पष्ट नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य दिल्ली के संग्रहालय का स्वरूप जानना चाहें तो यह बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय संग्रहालय होगा और दिल्ली के लिये स्थापित किया जाने वाला बोर्ड इसकी देखरेख करेगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस विषय में कितना खर्च अन्तर्ग्रस्त हैं ? आज स्वायत-शासी निकाय की अनुपस्थिति में हम जितना खर्च कर रहे हैं क्या यह उससे अधिक होगा?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम आजकल राष्ट्रीय संग्रहालय पर कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं और निस्संदेह ही भविष्य में हम आजकल की रकम से अधिक ही खर्च करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सत्य है कि इस नेशनल म्यूजियम के लिए हमारे देश में कोई विशेषज्ञ नहीं मिल रहा है और बाहर से ऐसा विशेषज्ञ मंगाने की जरूरत पड़ी है जो कि डाइरेक्टर का पद संभाल सके ?

श्री हुमायून् कबिर : ख्याल यह है कि जो पहले डाइरेक्टर होंगे वह बाहर के कोई विशेषज्ञ होंगे।

†**श्री रंगा** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय संग्रहालय का कोई वाणिज्यिक दृष्टिकोण नहीं है तब फिर सीधे सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था न कर एक पृथक प्राधिकार से इसकी व्यवस्था करने का क्या औचित्य है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जब सर मौरिस ग्वायर के अधीन सन् १९४६ में समिति नियुक्त की गई थी तो उन्होंने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया था और यह परामर्श दिया था कि अन्य देशों की भांति यहां भी तभी अच्छा परिणाम होगा जबकि राष्ट्रीय संग्रहालय सम्बन्धी विषयों के लिये एक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित कर दिया जाये।

†**श्री वोडयार** : क्या राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना इटली, इंगलैंड और अमेरिका के प्रसिद्ध संग्रहालयों के माडल पर की जायेगी ? यदि हां, तो इन संग्रहालयों के नाम और स्वरूप क्या-क्या हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम इस विषय में अन्य देशों के अनुभव से लाभ अवश्य उठायेंगे यह एक बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय संग्रहालय होगा जिसमें भारतीय संस्कृति और जीवन के सभी पहलुओं का दिग्दर्शन होगा और वहाँ दर्शकों को सभ्यता और संस्कृति सम्बन्धी जानकारी मिल सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों को उत्कृष्ट ग्रंथ

+

†*४५५. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के उत्कृष्ट ग्रंथ और प्राणिविद्या सीरीज के प्रकाशन के लिये भारतीय प्रकाशकों का सहयोग मांगा गया है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग का क्या स्वरूप है;

(ग) क्या प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों का चुनाव कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पुस्तकों के चुनाव के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) जिस प्रकाशक का चुनाव कर लिया गया है वह केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता और इस विषय में निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट पुस्तकों का प्रकाशन करेगा ।

(ग) इस प्रयोजन के लिये चुनी गई पुस्तकों की पाण्डुलिपियों का अभी अनुमोदन नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : कितनी पुस्तकें चुनी गई हैं ? क्या इनका मुद्रण प्रारम्भ कर दिया गया है और यह किन किन भाषाओं में छपेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या जिन वैयक्तिक लेखकों ने स्वयं ही पुस्तकों का प्रकाशन किया है उन पर भी विचार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कोई भी व्यक्ति पुस्तक प्रस्तुत कर सकता है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो विदेशी क्लासिक्स का चयन किया जायेगा, वे केवल उन्हीं भाषाओं में जिनमें वे मूल रूप में लिखी गयी हैं प्रकाशित की जायेंगी, या भारतीय भाषाओं में उनके प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हिन्दी में :

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या पुस्तकों के चुनाव के लिये समिति नियुक्त कर दी जायेगी तथा क्या सरकार ऐसा करेगी ?

†**डा० का० ला श्रीमाली** : अभी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। इस व्यवस्था के पश्चात् मैं लोक-सभा को जानकारी दे सकता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : क्या देश की प्रादेशिक भाषाओं में भी इन पुस्तकों का प्रकाशन किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि देश के अन्य भागों से इस आशय की प्रार्थना की गई तो हमें प्रादेशिक भाषाओं में इनका प्रकाशन करने में बड़ी प्रसन्नता होगी।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या साहित्य अकादमी ही इस कार्य को कर रही है और यदि हां, तो फिर सरकार इस कार्य को लेकर इसे दुहरा रूप क्यों दे रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे मालूम है साहित्य अकादमी बाल साहित्य के प्रकाशन के लिये कुछ नहीं कर रही है।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

†*४५६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और सोवियत रूस में कितने भारतीय विद्यार्थी हैं ;

(ख) इनमें से कितने विद्यार्थियों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) कितने विद्यार्थी ऐसे पाठ्यक्रम में संलग्न हैं जो इस देश में उपलब्ध हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (घ). उपलब्ध जानकारी देने वाला विवरण लोक–सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और सोवियत रूस में अध्ययन करने वाले और/अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या १ जनवरी १९५८ को क्रमशः ३,८५०; ३,०१०; १,१२९ और ११३ है।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन विभिन्न देशों को जाने वाले विद्यार्थी केवल उन विषयों के उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के लिये ही चुने जाते हैं जिनकी उपयुक्त सुविधाएं देश में उपलब्ध नहीं हैं। प्राइवेट विद्यार्थियों के सम्बन्ध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: इस विवरण में यह बताया गया है कि भाग (ख) और (ग) के बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि सरकार जो सहायता देती है उसका कोई रिकार्ड नहीं रखती है ? विदेशी मुद्रा के संबंध में क्या उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता है ? यह उत्तर किस प्रकार दिया गया है कि जानकारी अब एकत्र की जायेगी ?

† **श्री रंगा** : कौन सी जानकारी ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार वित्तीय सहायता और विदेशी मुद्रा का कोई रिकार्ड नहीं रखती है और यह भी रिकार्ड नहीं रखती है कि उन्हें इसके बदले में क्या मिलता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : भाग (ख) और (ग) के अनुसार मैंने बताया है कि अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी। यह जानकारी सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली जायेगी और फिर पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : विवरण से प्रकट होता है कि लगभग ८,००० विद्यार्थी विभिन्न यूरोपीय देशों में अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम इन में से प्रत्येक पर यदि हर महीने ५०० रुपये की अनुमति दी जाये तो यह हर वर्ष ४ करोड़ रुपये हो जायेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में जब हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तो क्या सरकार भारत में ही विशेष अध्ययन की व्यवस्था क्यों नहीं करती है और यदि आवश्यक हो तो विदेशी प्राध्यापकों को इसके लिये नियोजित क्यों नहीं कर लेती है ?

† **डा० का० ला० श्रीमाली** : सामान्यतया इस मामले में सरकार की नीति यह है कि उपलब्ध सुविधाएं देश में विद्यमान होने की स्थिति में हम विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिये प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसके साथ हम भारत में वैज्ञानिक तथा टेकनोलॉजिकल संस्थाओं का विकास कर रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये हमें प्राध्यापकों की आवश्यकता है। यह भी सच है कि अपेक्षित सुविधाएं इस देश में उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे दूं कि यदि यहां अध्ययन करने पर विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है तो उन्हें बाहर न जाने देने के लिये पूरे प्रयत्न किये जायें।

†**श्री जाधव** : क्या यह सच है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत लगभग २५ प्रतिशत विद्यार्थी वापस इस लिये नहीं लौटते हैं कि यहां उन के लिये आकर्षक सेवायें नहीं हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे पास निश्चित प्रतिशत नहीं है किन्तु यह बिल्कुल सच है कि बाहर जाने वाले विद्यार्थी जितने समय वहां ठहर सकते हैं वहां रहते हैं।

† **श्री स० म० बनर्जी** : कुछ विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। जिन विद्यार्थियों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है क्या उन से यह लिखवा लिया जाता है कि विदेशों में शिक्षा ग्रहण के पश्चात् वह यहां सरकारी नौकरी करेंगे ?

† **डा० का० ला० श्रीमाली** : विभिन्न योजनाएं हैं और कुछ योजनाओं के अन्तर्गत ऐसा वायदा किया जाता है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : इन विद्यार्थियों के चुनाव का मुख्य मापदण्ड क्या है ? क्या वायदे करने वाले विद्यार्थी यहां आकर नौकरी करते हैं अथवा विदेशों में रहते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विद्यार्थी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विदेश जाते हैं यदि माननीय सदस्य विशिष्ट जानकारी कि मांग करें तो मैं उन्हें सहर्ष यह बता दूंगा।

†**श्री दासप्पा** : क्या सरकार इस सहायता को ऋण रूप में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में बदलने का विचार रखती है ? जब वह कमाई प्रारंभ करते हैं तो सरकार रकम वसूल करती है और फिर अधिक विद्यार्थियों के लिये उसे प्रयुक्त करती है ?

† **डा० का० ला० श्रीमाली** : वर्तमान विषय से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : विद्यार्थियों के बाहर जाने में विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त होने के कारण इनकी काफी जांच की जाती है फिर प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के बारे में जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह जानकारी विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त की जायेगी। यह जानकारी उपलब्ध होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी। विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को केवल शिक्षा मंत्रालय ही नहीं वरन् अनेक एजेंसियां भेजती हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह जानकारी रिजर्व बैंक से मिल सकती है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसे एकत्र किया जायेगा। यह तत्काल उपलब्ध नहीं थी।

†**श्री जयपाल सिंह** : केवल रिजर्व बैंक ही इसे करता है । अन्य मंत्रालयों का क्या सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : रिज़र्व बैंक को लिखने में भी समय लगता है । माननीय सदस्यों का अभिप्राय यह है कि शिक्षा मंत्रालय के पास इन सब की जानकारी होनी चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : भविष्य में माननीय मंत्री को एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां। ऐसा ही किया जाता है ।

†**श्री रंगा** : देश में जब उच्चतर शिक्षा की कमी है और विद्यार्थी जब रुपये एकत्र कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश जाकर फिर भारत की सेवा करने के इच्छुक हैं तो सरकार उन्हें निरुत्साहित क्यों करती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न का दूसरा पहलू है। यदि देश में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं और विदेशी मुद्रा की कमी है तो स्वाभाविक है कि हम विद्यार्थियों को यहां रोक कर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये कहेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : कुछ विद्यार्थी स्वेच्छा से ब्रिटेन जाते हैं और समुचित योजना के अभाव में वहां सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और विदेशी मुद्रा का अपव्यय करते हैं। इसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**श्री तंगामणि** : विदेशों में पढ़ने वाले ८००० विद्यार्थियों में कुछ ऐसे भी हैं जो भारत में उपलब्ध शिक्षा का वहां अध्ययन कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताई जा सकती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अमेरिका में ३८१ विद्यार्थी आर्टस् विषयों का अध्ययन कर रहे हैं ; ४१५ साइंस ; इंजीनियरिंग और टेकनोलोजी ८३४, औषधि १२३, कृषि १७४ और अन्य विषय ७२१ ।

रूस में —आर्टस में ३, साइंस ३, इंजीनियरिंग और टेकनोलॉजी में २, कृषि १, भाषा ४ । ब्रिटेन में सामान्य अनुमान के आधार पर औषधि विज्ञान में १५ प्रतिशत। इंजीनियरिंग और टेकनोलॉजी में ५५ प्रतिशत, एपलाइड और प्योर साइंस में २० प्रतिशत; मानव शास्त्र, टीचर्स ट्रेनिंग और लॉ में १० प्रतिशत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरूमल राव** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि टेक्नीकल कालेज, इंजीनियरिंग, औषधि विज्ञान आदि में भरती न हो सकने के कारण ही वृहद् संख्या में विद्यार्थी विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं —वह अर्हता प्राप्त न कर सके और सरकार उनका समर्थन कर रही है ?

† **अध्यक्ष महोदय**: यह विषय छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों के बारे में है ।

† **श्री तिरूमल राव** : इस में विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह विषय इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

† **श्री तिरूमल राव** : क्या माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि छोटी उम्र के अनेक भारतीय विद्यार्थी इंगलैण्ड में मिल सकते हैं ?

† **डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने सामान्य सिद्धांत की ओर संकेत किया है । किन्तु विदेशी मुद्रा की दुर्गम स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय की पुन: जांच करूंगा ।

† **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह बताया गया है कि सरकार की ओर से न भेजे जाने वाले विद्यार्थियों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । क्या सरकार के पास उक्त विद्यार्थियों के बारे में कोई नीति है ? यह आवेदन पत्र किस एजेंसी के पास आते हैं ? क्या शिक्षा मंत्रालय के कृत्रिम रूप से विभक्त पार्श्व और वित्त मंत्रालय के बीच कोई सामंजस्य है ? क्या इस विषय में कोई नीति है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक सरकारी खर्च से न जाने वाले विद्यार्थियों का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय इनका परीक्षण करते हैं और तब वे सम्बन्धित संस्थाओं को उन के आवेदन पत्र प्रेसित करते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के दो पार्श्व में समन्वय नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ने यह निष्कर्ष क्यों निकाल लिया है ?

† **अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों की सिफारिश पर विद्यार्थी सीधे विदेश जाते हैं अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों से जानकारी केन्द्र के पास आती है या कोई एजेंसी इस कार्य के लिये स्थापित की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : किन्हीं स्थितियों में उन्हें अध्ययन के लिये विद्यार्थी बाहर भेजे जाते हैं । इनका वर्गीकरण शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच किया जाता है । इसकी जानकारी रिज़र्व बैंक को दी जाती है । रिज़र्व बैंक उनकी जांच करता है और फिर यह व्यक्ति बाहर जाते हैं । दोनों मंत्रालयों में पूर्ण समन्वय है ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा जांच करने के पश्चात् यह आशा की जाती है कि विदेशी विश्वविद्यालय भी इनकी जांच करते हैं और विद्यार्थी को वहां स्थान मिलने के बाद ही सरकार उसे विदेश जाने की अनुमति देती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्वाभाविक है, दाखिला होने के पहले अनुमति कैसे दी जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न । मैंने अनेक प्रश्नों की अनुमति दे दी है ।

विश्वविद्यालय के प्राध्यापक

+

†*४५८. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ६ मई, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की अर्हता पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर कब तक निर्णय करने की संभावना है ;

(ख) क्या इस प्रकार की अर्हता निर्धारित करने के सम्बन्ध में विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिक्रिया की मुख्य बातें क्या क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालयों में भरती होने वाले प्राध्यापकों के लिये आवश्यक अर्हतायें निर्धारित करने का विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ३ दिसम्बर, १६५८ को होने वाली अगली बैठक में रखा जायेगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से प्रतीत होता है कि कुछ विश्वविद्यालय आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिये न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने के पक्ष में नहीं हैं । इस विषय की ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी इस विषय पर विचार नहीं किया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों पर लागू होता है अथवा विश्वविद्यालय इसके विरुद्ध कार्य करने में स्वतंत्र हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक बल का आश्रय न ले कर अनुरोध का मार्ग ही अपनाया है और अभी तक यह नीति सफल रही है । फिर इसमें क्यों परिवर्तन किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ३ दिसम्बर को विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के पहले क्या मद्रास, कलकत्ता, बनारस और आगरा जैसे विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया पर भी, जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है, विचार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन्होंने सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों को लिखा है । विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अपने सुझाव भेजना चाहिये ।

केन्द्रीय युद्धास्त्र डिपो, छिवकी

†*४५९. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय युद्धास्त्र डिपो, छिवकी (इलाहाबाद) में वस्तुओं की स्थानीय खरीद सम्बन्धी कुछ अनियमितताओं के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जांच न्यायालय ने अपनी जांच प्रारम्भ में ९ सितम्बर, १९५८ को पूरी कर ली थी । इसके पश्चात् पूर्वी कमाण्ड के हेडक्वार्टर्स ने कार्यवाही की परिनिरीक्षा के पश्चात् और साक्ष्य लेने का आदेश दिया । अतः न्यायालय पुनः समवेत हुआ और ९ नवम्बर, १९५८ को जांच सम्पन्न की । वर्तमान में ईस्टर्न कमाण्ड हेड क्वार्टर्स द्वारा कार्यवाही की परिनिरीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग), प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : प्रश्न का भाग (ख) की गई कार्यवाही से सम्बद्ध है और भाग (ग) का सम्बन्ध इसमें अन्तर्ग्रस्त राशि से है । क्या यह सच है कि इस विशेष डिपो के जिस आफिसर कमाण्डेण्ट के समय उक्त अनियमिततायें घटी थीं उसे आगरा स्थानान्तरित कर दिया गया है और जांच के पहले ही उसे स्थानान्तरित करने का क्या कारण था ?

†**श्री रघुरामैया** : जैसा उत्तर में बताया गया है रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की गई थी और बाद में और साक्ष्य लिया गया । स्थानान्तरण इसलिये ठीक समझा गया कि उस अधिकारी के समय ही यह सौदे हुए थे । हमने उसका स्थानान्तरण ही ठीक समझा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या स्थानीय खरीद के इस मामले में १४ लाख रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री रघुरामैया** : प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक के सामने बिल रखे गये थे उस समय उन्होंने कुछ आपत्तियां उठाई थीं इसी से यह जांच प्रारम्भ हुई है । मेरा विचार है कि उनके सामने ७९,००० रुपये के बिल रखे गये थे। स्थानीय खरीद के लिये निर्धारित नियमों के पालन करने अथवा न करने के बारे में विचार अभिव्यक्त करने के बाद ही यह जांच की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या विशेष युद्धास्त्र डिपो का आफिसर कमाण्डेण्ट ही थानीय खरीद के लिये उत्तरदायी है और यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री रघुरामैया** : रिपोर्ट का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही कार्यवाही करने के बारे में निर्णय किया जा सकता है । यह सच है कि स्थानीय खरीद के लिये कमाण्डेंट को कुछ शक्तियां रहती हैं क्योंकि मामले की परिस्थिति के अनुसार जब आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तभी स्थानीय खरीद की जाती है ।

पश्चिम जर्मन सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां

†*४६०. { **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : / **श्री राम कृष्ण** : / **श्री दलजीत सिंह** : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी के उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये पश्चिमी जर्मनी की सरकार (हेम्बर्ग वाणिज्य परिषद्) द्वारा प्रस्तुत १०० छात्रवृत्तियों में से अधिकांश छात्रवृत्तियां सितम्बर, १९५८ तक प्रयुक्त किये बिना ही पड़ी रहीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें प्रयुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). ९९ उम्मीदवारों का चुनाव किया गया था । किन्तु २१ उम्मीदवार बाद में अलग कर दिये गये और नये व्यक्तियों का चुनाव करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । पूरी संख्या में छात्रवृत्तियों के उपयोग न करने का मुख्य कारण कुछ विशेष क्षेत्रों में ऐसे उपयुक्त उम्मीदवारों का अभाव था जो प्रवर्तन तथा नियोजन की शर्तें पूरी कर सकें ।

(ग) भविष्य में हम जो भी छात्रवृत्तियां स्वीकार करेंगे उन्हें पूरी संख्या में प्रयुक्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । वह व्यक्ति भी इनका उपयोग कर सकेंगे जो नियोजित नहीं हैं किन्तु आवश्यक अर्हता सम्पन्न हैं ।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी का कारण यह है कि सब राज्यों में इसका समुचित प्रचार नहीं किया गया था ?

†**डा० म० मो० दास** : हमें माननीय सदस्य की बात स्वीकार नहीं है । प्रेस नोट जारी किये गये थे ; राज्य सरकारों को जानकारी दी गई है ; अन्य उद्योग और टेक्नीकल संस्थाओं तथा भारत सरकार के अन्य विभागों को भी जानकारी दी गई है ।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : उद्योगों और विश्वविद्यालयों से कितने व्यक्तियों ने आवेदन दिये थे और इनमें से कितने चुने गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० म० मो० दास** : हैम्बर्ग वाणिज्य परिषद् द्वारा प्रदत्त लगभग १०० छात्रवृत्तियों के लिये ४३३ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । मैंने अभी बताया था कि इन में से ९९ उम्मीदवारों का चुनाव किया गया था किन्तु बाद में २१ उम्मीदवार अलग कर दिये गये । वर्तमान स्थिति के अनुसार इन १०० उम्मीदवारों में से ६७ उम्मीदवार जर्मनी जा चुके हैं और वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । ग्यारह उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है और वह जर्मन उद्योगों में अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं । ज्योंही हमें जर्मनी सरकार से उनकी नियुक्ति की जानकारी मिलेगी वह वहां रवाना हो जायेंगे । शेष २२ उम्मीदवारों का अभी चुनाव करना शेष है । हमारा विचार है कि अगली फरवरी तक इनका चुनाव पूरा हो जायेगा और उम्मीदवार जर्मनी के लिये रवाना हो जायेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इन छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में जर्मनी सरकार की ओर से कोई शर्त है ?

†**डा० म० मो० दास** : जर्मनी सरकार की ओर से कोई शर्त नहीं है किन्तु उम्मीदवारों को समुचित अर्हता सम्पन्न होना चाहिये ताकि वह जर्मनी सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों का उपयोग कर सकें ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मेरा विचार है कि हमारे प्रधान लगभग दो वर्ष पूर्व जर्मनी गये थे तब जर्मनी ने यह १०० छात्रवृत्तियां प्रदान की थीं । यह कदाचित् १९५६ की बात है । फिर इसमें दो वर्ष का समय क्यों लग गया ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मुख्य कारण यह है कि उसका निर्णय दस वर्ष पहले किया गया था कि जब तक लौटने पर रोजगार की गारण्टी न हो उस समय तक किसी को भी बाहर न भेजा जाये । अतः उस समय से ही छात्रवृत्ति उस शर्त पर दी जाती है कि उम्मीदवार को किसी नियोजन अधिकार की ओर से भेजा जाये जो यह गारण्टी दे कि लौटने पर उन्हें नियोजित किया जायेगा । इसलिये उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम रही है । हाल ही में हमने यह निर्णय किया है कि उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा भले ही उन्हें किसी ने न भेजा हो ।

†**श्री पाणिग्रही** : इन छात्रवृत्तियों के लिये कौन सी विशेष अर्हता मांगी गई थी कि भारत में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने अभी बताया है कि उनके पास आवश्यक शैक्षणिक और टेक्नीकल योग्यता होनी चाहिये ; उन्हें सेवा नियोजित होना चाहिये और उनके लौटने पर नौकरी की गारण्टी होनी चाहिये । यह दो शर्तें लगाई गई थीं क्योंकि उस समय संविधान सभा ने इस बात पर अनुरोध किया था कि जब तक लौटने पर रोजगार की गारण्टी न हो तब तक किसी को बाहर न भेजा जाये ।

†**श्री दामानी** : विदेशी सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों को देने में सरकार द्वारा किस क्रिया का आश्रय लिया जा रहा है ?

†**श्री हुमायन् कबिर** : उम्मीदवारों का चुनाव बड़ा कठिन होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी

+

†*४६२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अगाड़ी :
श्री तंगामणि :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में फरवरी, १९५६ में भारत सरकार द्वारा भेजे गये नोट का ब्रिटिश सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लौटाने के लिये बातचीत की अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस विषय में अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) हम ब्रिटिश सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ग) ब्रिटिश सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर ही उसे ध्यान में रखकर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ब्रिटिश सरकार को अन्तिम पत्र कब लिखा गया था और उस पत्र का क्या स्वरूप है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमने फरवरी, १९५६ में एक औपचारिक नोट भेजा था और उसके बाद उच्च आयुक्त राष्ट्रमंडल सम्पर्क आफिस, लन्दन को उत्तर में शीघ्रता करने का समरण दिलाते रहते हैं । किन्तु हम इस विषय में किसी औपचारिक पत्र-व्यवहार का आश्रय नहीं ले रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसा करने के लिये हमें विवश न करें क्योंकि यह लोक-हित में नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय मौलाना आज़ाद ने तीन वर्ष पूर्व यह उत्तर दिया था कि इस लाइब्रेरी को उपलब्ध करने के लिये कार्रवाई की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि तीन वर्षों से अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, इसका क्या कारण है और साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान ने जो क्लेम इस लाइब्रेरी पर किया है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या रुख है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह मामला बहुत ही पेचीदा है और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस बारे में ज्यादा जोर मत डालें ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा कि यह नाजुक विषय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में छः महीने पहले इससे मिलता जुलता उत्तर दिया गया था। माननीय मंत्री यदि लोक-हित की बात करते हैं तो फिर यह प्रश्न क्यों गृहीत किया गया ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूं।

†**श्री तंगामणि** : दूसरा प्रश्न, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब अनेक सदस्य एक ही प्रश्न पूछते हैं तो पहले सदस्य के अतिरिक्त मैं सब को एक ही अवसर प्रदान करूंगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार का विचार इस दिशा में मंत्रालय स्तर पर बातचीत करने का है और यदि हां तो यह बातचीत कब होगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम बातचीत कर रहे हैं और हमारा विचार है कि लाइब्रेरी मिलने तक हम बातचीत जारी रखेंगे।

श्री रामेश्वर टांटिया : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इस क्वेश्चन पर ज्यादा पूछना ठीक नहीं होगा। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि लगभग पौने तीन वर्ष हो चुके हैं जबकि हमने चिट्ठी लिखी थी और इन पौने तीन वर्षों के दौरान में क्या हुआ है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हम आशा करें कि यह लाइब्रेरी हमको मिलेगी या इसके मिलने की कोई आशा नहीं है ?

श्री हुमायून् कबिर : तीन वर्ष नहीं बल्कि इस मामले को चलते ग्यारह वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और इसके बारे में हमें उम्मीद है। हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे जब तक यह लाइब्रेरी हमको नहीं मिल जायेगी।

अतिरिक्त सचिव

†*४६३. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा सामान्य रूप से यह निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव नियुक्त करने की रीति को समाप्त कर दिया जाये ;

(ख) अतिरिक्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यों के स्वरूप में वास्तव में क्या क्या अन्तर है ; और

(ग) अतिरिक्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के वेतन क्रमों में क्या क्या अन्तर है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) अतिरिक्त सचिव के कर्त्तव्य संयुक्त सचिव की अपेक्षा अधिक कठिन और उत्तरदायित्व-पूर्ण हैं।

(ग) **अतिरिक्त सचिव** : आई० सी० एस० पदाधिकारी को ३५०० पये प्रति मास।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त सचिव : आई० सी० एस० पदाधिकारी को ३००० रुपये प्रति मास ।

अन्य : २,२५० रुपये प्रतिमास ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : संयुक्त सचिवों को किस किस आधार पर अतिरिक्त सचिव बनाया जाता है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : उन संयुक्त सचिवों को अतिरिक्त सचिवों के स्थान पर नियुक्त किया जाता है जो कि इस योग्य समझे जाते हैं कि वे शेष संयुक्त सचिवों के काम में समन्वय कर सकेंगे और उस पद के योग्य सभी उत्तरदायित्वों को अच्छी प्रकार से निभा सकेंगे ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या संयुक्त सचिवों को अतिरिक्त सचिवों के स्थान पर नियुक्त करते समय उनकी वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा जाता है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी, हां, उसे ध्यान में रखा जाता है ।

†**श्री असार हरवानी** : जब आई० सी० एस० तथा गैर आई० सी० एस० दोनों प्रकार के संयुक्त सचिव एक जैसा काम करते हैं तो फिर उनके वेतन क्रम में इतना अन्तर क्यों है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : क्योंकि आई० सी० एस० के पदाधिकारियों के वेतन तो संविधान द्वारा सुरक्षित हैं, और गैर आई० सी० एस० पदाधिकारियों के वेतन को मितव्ययता की कार्यवाही के परिणामस्वरूप नीचे के स्तर पर निश्चित किया गया है ।

†**श्री त्यागी** : भारत सरकार में संविधान पारित होने से पहले कितने संयुक्त सचिव थे और इस समय कितने हैं ?

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : इस समय उनकी संख्या ८८ है । देश-विभाजन से पहले के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, परन्तु मेरा अनुमान है कि उस समय २५ से अधिक नहीं होंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या संयुक्त सचिव से अतिरिक्त सचिव के स्थान पर पदवृद्धि के लिये कोई निश्चित नियम हैं ?

†**पण्डित गो० गो० पन्त**: उसके कोई ब्यौरेवार नियम तो नहीं हैं, परन्तु फिर भी पदवृद्धि करते समय कुछ एक बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : पद वृद्धि करते समय वरिष्ठता के अतिरिक्त और किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : कार्य कौशल, अपेक्षाकृत अधिक विद्वता और कार्य में समन्वय करने की क्षमता और कुशल रीति से कर्त्तव्य निभाने की क्षमता ।

†**श्री तिरुमल राव** : सचिव और अतिरिक्त सचिव की हैसियत में क्या अन्तर है, और अतिरिक्त सचिव का विभाग में क्या प्राधिकार है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : एक सचिव से यह आशा की जाती है कि वह अतिरिक्त सचिव के काम-काज की देख भाल करे । अतिरिक्त सचिव को संयुक्त सचिव से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या यह सच है कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ आई० सी० एस० आफिसर ने उस विरोध पर त्याग पत्र दे दिया था कि हाल ही में कुछ एक कनिष्ठ संयुक्त सचिवों को अतिरिक्त सचिवों के पद पर नियुक्त कर दिया गया था, और यदि हां, तो उस मामले के तथ्य क्या हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : उस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, परन्तु यदि किसी आफिसर ने वैसा किया है तो उन्होंने एक बुरी मिसाल पेश की है। वैसा करना सेवा की परम्परा के विरुद्ध है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री के द्वारा दी गयी जानकारी प्रकाशित जानकारी से भिन्न है। माननीय मंत्री ने यह बताया है कि इस समय संयुक्त सचिवों की कुल संख्या ८८ या ८२ है, जबकि प्रकाशित रिपोर्ट यह है कि १९५६ में स्थायी संयुक्त सचिवों की संख्या ४५ थी और अस्थायी संयुक्त सचिवों की संख्या ९७ थी। क्या वे आंकड़े गलत थे या कि बाद में संयुक्त सचिवों की संख्या ५० कम कर दी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ४५ और ९७ कुल १४२ होते हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरी तो यही जानकारी है कि उनकी संख्या ८८ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या स्थायी और अस्थायी दोनों मिलाकर ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : १९५८–५९ में उनकी संख्या ८८ है।

†**श्री हरिशचन्द्र माथुर** : क्या वे ८८ संयुक्त सचिव स्थायी हैं अथवा अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के ?

†**पंडित गो० ब० पन्त**: यह तो मैं ठीक प्रकार से नहीं बता सकता परन्तु यदि माननीय सदस्य इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उसका उत्तर दे दिया जायेगा। मेरे पास इस समय जो जानकारी है उसके अनुसार तो यह संख्या ८८ है।

†**श्री जाधव** : मैं इस संबंध में एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने संयुक्त सचिवों की संख्या ८८ बतायी है। जब उन्हें अतिरिक्त सचिवों के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी संख्या बहुत अधिक होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम तो मूल प्रश्न से दूर जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न।

ग्राम्य शिक्षा समिति

+

†*४६४. { **श्री रा० च० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ग्राम्य शिक्षा समिति स्थापित की गयी है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है और क्या उसने सरकार को कोई प्रतिवेदन भेज दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) उसका उद्देश्य यह है कि वह जनता कालेजों, ग्राम्य संस्थाओं, मंजारी स्कूलों और बुनियादी कृषि स्कूलों का निरीक्षण करेगी और उनके सुधार के उपायों के संबंध में सिफारिशें करेगी ।

(ग) समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है और आशा है कि वह शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

†**श्री रा० च० माझी:** समिति के कितने सदस्य हैं और उसमें किस किस मंत्रालय को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समिति का गठन इस प्रकार से है :—उसका एक सभापति है, तीन सदस्य और एक सचिव है । उसमें जिन मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, वे हैं:—कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय ।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या समिति ने जिन संस्थाओं का निरीक्षण कर लिया है, उसके कार्यक्रम के सुधार के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास उन संस्थाओं की सूची नहीं है जिन जिन का उसने निरीक्षण किया था । पर यह तो निश्चित है कि समिति ने कई एक संस्थाओं का निरीक्षण किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या रिपोर्ट सभा-पटल पर नहीं रखी गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, हां रख दी गयी है । परन्तु वह अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या समिति के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ग्राम्य क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों से भी परामर्श किया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इनमें से बहुत सी संस्थायें ग्राम्य क्षेत्रों में हैं, और राज्यों के शिक्षा विभागों, लोक शिक्षा निदेशकों और कृषि विभागों के निदेशकों को उपसमिति के संबंध में शामिल कर दिया गया था, और उसके लिये उनसे सहयोग मांगा गया था ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या ग्राम्य क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों से भी परामर्श लिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बता दिया है कि ग्राम्य क्षेत्रों के व्यक्तियों से परामर्श किया गया था ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** उस समिति में राज्य सरकारों और देश के विभिन्न शिक्षा निदेशकों को भी क्यों नहीं सम्मिलित किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इनमें से बहुत सी संस्थाएं या तो कृषि मंत्रालय द्वारा चलायी गयी हैं, या शिक्षा मंत्रालय द्वारा या सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा चलायी गयी हैं। इसीलिये कार्य में एकसूत्रता लाने के लिये तीनों मंत्रालयों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया गया।

भारतीय अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

†*४६६. **श्री विमल घोष :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मुरारका :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने हाल ही में द्वितीय पंच वर्षीय योजना और देश की सामान्य आर्थिक स्थिति के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) विश्व बैंक के दल ने भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। दल ने वह रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत की है।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि वह रिपोर्ट एक सीमित और गुप्त रिपोर्ट है, जिसे गुप्त रखने के लिये सरकार से विशेष रूप से कहा गया है इसलिये उसे प्रकाशित करना उपयुक्त नहीं है।

†**श्री विमल घोष:** क्या वह रिपोर्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत की गयी थी या कि भारत के रिजर्व बैंक को ?

†**श्री ब० रा० भगत :** विश्व बैंक को।

†**श्री विमल घोष :** क्या उसकी कोई प्रति भारत सरकार को भी प्राप्त हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी, नहीं। सीधे उन से नहीं मिली है। बैंक में हमारा एक कार्यपालक निदेशक है, और उन्हें कार्यपालक निदेशक की हैसियत से एक प्रति मिली है।

†**श्री विमल घोष :** क्या सरकार को ज्ञात है कि इस रिपोर्ट की बहुत सी बातें देश की वाणिज्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है ? और यदि सरकार को कोई प्रति प्राप्त हुई है तो क्या उसे सभा-पटल पर रखना उपयुक्त नहीं है ?

†**श्री रंगा :** कम से कम संगत बातें तो अवश्य पटल पर रख दी जानी चाहियें।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं सभा को सूचित कर देना चाहता हूं कि समाचारपत्रों में जो बहुत से गोपनीय कागजात में से अंश प्रकाशित होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार भी उसे अवश्य प्रकाशित करा दे। वह एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है। वह वस्तु विश्व बैंक की है और विश्व बैंक ने उसे गुप्त रूप से रखा है और उसने हमसे भी यही कहा है कि इसे गुप्त रखा जाये। इस लिये मैं उसे सभा-पटल पर नहीं रख सकता।

---

†पूरा अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** इस रिपोर्ट में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में और यहां की आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ कहा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस सदन के मेम्बरों को यह बताना उचित समझेगी कि इस बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** उसका अर्थ तो फिर रिपोर्ट को प्रकाशित करना हुआ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच है कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक साथ तीनों इस्पात कारखाने प्रारम्भ करना उचित नहीं हैं और यदि हां, तो चौथे इस्पात कारखाने के संबंध में सरकार का रुख क्या है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह बताना भी उस रिपोर्ट का प्रकाश में लाना है।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या विश्व बैंक ने उन मूल वस्तुओं के दामों की गिरावट के प्रश्न पर भी विचार किया है, जो कि सामान्यतया अर्ध विकसित देशों से निर्यात की जाती हैं, और क्या इसके परिणाम स्वरूप अर्ध विकसित देशों को जिन विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन पर भी विचार किया गया है, और यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** : क्या रिपोर्ट के संबंध में पूछा जा रहा है ? उसके बारे में बताना उचित नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** इस संबंध में मेरा एक निवेदन है। गत सत्र में कई माननीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट का उल्लेख किया था और उस संबंध में भाषण दिये थे। मुझे स्मरण है कि श्री हरिश्चन्द्र माथुर उसकी एक प्रति यहां भी लाये थे और उन्होंने बताया था कि उन्हें वह प्रति पुस्तकालय से मिली थी। मैं उस बात की पुष्टि चाहता हूं। यदि उसकी एक प्रति उपलब्ध है तो फिर उस बात से इनकार क्यों किया जा रहा है।

†**श्री मोरारजी देसाई:** मैं नहीं जानता कि कोई प्रति पुस्तकालय में कैसे जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हरिश्चन्द्र माथुर स्वयं यहां उपस्थित हैं, उन्हीं से इस बात की पुष्टि हो जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मेरा ख्याल है कि वह प्रति संभवतः उस रिपोर्ट की नहीं थी जिसका उल्लेख किया जा रहा है। वह संभवतः उस से पहले की प्रति थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना है कि वह गुप्त है।

†**श्री विमल घोष :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित उस रिपोर्ट के कुछ एक अंशों की ओर आकृष्ट किया गया है, और यदि हां तो क्या वे यह महसूस करते हैं कि वे बातें सच हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं उस बारे में कोई भी परोक्ष संकेत नहीं देना चाहता।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं निवेदन करता हूं कि उस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या ४९२ भी ले लिया जाये क्योंकि यह भी स्क्रिप्ट से संबंधित है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमने जान बूझ कर इन प्रश्नों को अलग अलग रखा है । यदि एक ही सदस्य के तीन चार प्रश्नों का एक के बाद दूसरों को पूछा जाये तो उस स्थिति में अन्य सदस्यों के प्रश्न पीछे रह जाने का भय होता है । इसीलिये हम इन प्रश्नों को अलग अलग रखते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : ये दोनों संबंधित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या ४९२ को अपने नम्बर पर ही लिया जायेगा ।

हिन्दी टेलीप्रिन्टर

+

*४६७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी दूर-मुद्रकों (टेलीप्रिंटर्स) के की-बोर्डों के प्रमापीकरण संबंधी समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जैसा कि प्रसंग गत प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है रिपोर्ट छप जाने पर उसकी प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि गवर्नमेंट के पास यह रिपोर्ट पहुंचे एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस पर निर्णय करना तो अलग, इस रिपोर्ट को छपाने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसमें कुछ दिक्कत हुई है । वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । सन् १९५३ में लखनऊ में एक कान्फ्रेंस हुई थी जिसमें स्क्रिप्ट के सुधार के बारे में कुछ तजवीजें रखी गयी थीं । उसके बाद सन् १९५७ में लखनऊ में दूसरी कान्फ्रेंस हुई जिसमें उन रिकमेंडेशन्स को कुछ बदल दिया गया । अब जहां तक भारत सरकार का संबंध है, उन्होंने सन् १९५३ की रिकमेंडेशन्स को स्वीकार किया था । तो अब जब लखनऊ कान्फ्रेंस ने उन रिकमेंडेशन्स को बदल दिया तो उसकी वजह से दिक्कत पैदा हो गयी है । इसलिये जब तक यह मामला सुलझ न जाये तब तक रिपोर्ट प्रकाशित करने से कोई लाभ नहीं है । क्योंकि स्क्रिप्ट का जो मामला है वह सबसे महत्वपूर्ण है । मैं आशा करता हूं कि यह मामला एजूकेशन मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस के सामने रखा जायेगा और कोई न कोई हल ऐसा निकाला जायेगा जिससे सब राज्यों को यह स्क्रिप्ट स्वीकार हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्योंकि यह विषय हिन्दी के तथा अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के लिये बड़ा महत्व रखता है और उनका विकास बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है, इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि इस मसले को जल्दी से तै करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसके लिये मुझे खुद चिन्ता है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस मामले को स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने रखा जायेगा।

श्री जगदीश अवस्थी : अभी मंत्री जी ने बताया कि लिपि सुधार संबंधी कुछ कठिनाइयां हैं इस वजह से रिपोर्ट को प्रकाशित करने में देरी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के लिपि में परिवर्तन करने के सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने दिये थे और उसमें क्या परिवर्तन किया गया था और अब क्या कठिनाइयां हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : १९५७ की कान्फ्रेंस में जो तरमीमें स्वीकार की गयी थीं वे ये हैं :—

(क) ह्रस्व 'इ' की मात्रा को व्यंजन की बांई ओर लगाना।

(ख) जब 'र' के विभिन्न रूपों ( ) को अन्य व्यंजनों से जोड़ा जाये तो उस समय इन तीनों को प्रयोग करना।

(ग) जहां भी संभव हो, बीच की रेखा को छोड़कर सभी संयुक्त अक्षरों का निर्माण करना। ये ही संशोधन हैं जो कि १९५७ सम्मेलन ने १९५३ सम्मेलन की सिफारिशों में करने का सुझाव दिया है।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस प्रकार के परिवर्तन मंत्री महोदय ने "र" संबंधी बताये हैं उनके संबंध में देश के हिन्दी के समाचारपत्रों ने विरोध किया है। क्या इस विरोध की कुछ झलक सरकार को मालूम है और क्या उसके बारे में सरकार ने कुछ सोचा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वह सब सरकार के सामने है, इसीलिये तो दिक्कत हो रही है रिपोर्ट प्रकाशित करने में, जब तक इस मामले में एक राय न हो जाये तब तक काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार इसी प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि इस संबंध में संचार मंत्रालय से परामर्श किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि संचार मंत्रालय ने क्या सम्मति दी है। उन्होंने क्या की-बोर्ड को स्वीकार किया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, उन्होंने स्वीकृति दे दी है।

श्री त्यागी : अभी मंत्री जी ने कहा कि एक मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस होगी जो इसका अन्तिम निर्णय करेगी। क्योंकि सब मिनिस्टर्स की हिन्दी के बारे में विशेष योग्यता नहीं होती, इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस कान्फ्रेंस में किसी हिन्दी के पंडित का, जो कि मिनिस्टर न हो, सलाह मशविरा लिया जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं आपके इस सजेशन पर अवश्य ध्यान दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात के पुनर्वेलन कारखानों की स्थापना

†*४६८. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस्पात के पुनर्वेलन कारखानों की स्थापना के संबंध में कितनी कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या ये कारखाने सरकार द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं या कि किसी गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा ; और

(ग) यदि गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा, तो विभिन्न राज्यों में इन अभिकरणों को किस किस आधार पर चुना गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) सरकार ने आंध्र, आसाम और बिहार में (गंगा के उत्तर की ओर) एक एक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है ।

(ख) गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा ।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ।

†**श्री मुरारका :** मंजूर किये गये प्रत्येक यूनिट की उत्पादन क्षमता क्या है और प्रत्येक यूनिट पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इसके लिये एक अलग प्रश्न पूछा जाये तो अच्छा है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** सभासचिव ने यह कहा है कि कुछ एक राज्यों ने प्रार्थना की थी और उनके लिये मंजूरी दे दी गयी है । क्या शेष राज्यों से इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, और यदि हां, तो उनके संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** केरल राज्य का आवेदन पत्र अभी विचाराधीन है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या शेष राज्यों ने भी प्रार्थना पत्र भेजे थे , और यदि हां, तो उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** लगभग सभी राज्यों से आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । उनसे लगभग ६०० आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । परन्तु क्योंकि कच्चा सामान पर्याप्त मात्रा में नहीं है । इसलिये केवल क्षेत्रों को चुना गया है । जिनमें पुनर्वेलन कारखानों की अत्यधिक आवश्यकता है ।

†**श्री वासुदेवन नायर :** माननीय सभा-सचिव ने यह बताया है कि केरल से प्राप्त होने वाला आवेदन पत्र अभी विचाराधीन है । परन्तु क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने कलकत्ता में स्वयं यह कहा था कि केरल में चार यूनिट स्थापित किये जा रहे हैं । यदि हां, तो फिर 'विचाराधीन' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** उन्हें हमें इस बात के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये कि हम यह बतायें कि हमारे और केरल सरकार में क्या-क्या पत्र व्यवहार चल रहा है । परन्तु यदि आप अनुरोध करते हैं तो उस स्थिति में इस बारे में चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन नायर :** मैं उन्हें इस बात के लिये बाध्य तो नहीं करता, परन्तु मैं तो माननीय मंत्री द्वारा दिये एक सार्वजनिक भाषण की ओर संकेत कर रहा हूं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां, मैंने वे शब्द कहे थे और मैं आज भी यह बात कहता हूं कि मैं राज्य सरकार की सिफारिशों को अत्यधिक महत्व दूंगा।

†**श्री मुरारका :** इस मामले पर तो पिछले कई महीनों से विचार किया जाता रहा है और उसके बाद उन्होंने फैसला किया था। प्रत्येक यूनिट की उत्पादन क्षमता कितनी है और उस पर कितनी क्षमता आयेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैंने पहले ही कह दिया है कि इस के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है। विलम्ब का कारण यह था कि हमें राज्य सरकारों की सिफारिशों की प्रतीक्षा थी और फिर लाइसेंस देने वाली समिति ने भी उस पर विचार करना था। इन सभी बातों के बाद ही आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाता है।

†**श्री मुरारका :** प्रत्येक यूनिट पर कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं इसी समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री रामानाथन चेट्टियार :** क्या पिंड (बिलैट) देश में ही तैयार किया जायेगा अथवा उसका आयात किया जायेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** पिंड देश में भी तैयार किये जायेंगे और उनका आयात भी किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मद्रास में उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था

†*४६१. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री वाजपेयी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था की स्थापना के संबंध में पश्चिमी जर्मनी की सरकार किस प्रकार की सहायता देगी ;

(ख) संस्था की इमारत का निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और वह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) उस संस्था में दाखिला कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की सरकार ने मद्रास में एक उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था की स्थापना के लिये निम्नलिखित सहायता देना स्वीकार कर लिया है :—

(१) वर्कशाप, प्रयोगशाला के उपकरण और पुस्तकें जिनकी कुल कीमत १५० लाख डी० एम० (अर्थात् लगभग १.८ करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी।

(२) २० जर्मन प्रोफेसर जोकि इस संस्था में लगभग ४—५ वर्ष तक सेवा करेंगे।

(३) ४ जर्मन फोरमेन जोकि संस्था की वर्कशापों में कम से कम दो वर्ष तक काम करेंगे।

(४) जर्मनी की संस्थाओं में २० भारतीय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें।

(ख) ब्योरेवार योजनायें तैयार होते ही, संस्था की इमारतों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा। संस्था की सभी इमारतों, शिक्षकों के क्वार्टरों और छात्रावासों के तैयार होने में लगभग ५ वर्ष लग जायेंगे।

(ग) प्रयत्न किया जा रहा है कि विद्यार्थियों के प्रथम दल को जुलाई—अगस्त, १९५९ में दाखिल कर लिया जाये।

दर्शन यंत्रों के कांच

†*४६५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दर्शन यंत्रों के कांचों का वाणिज्यिक दृष्टि से निर्माण करने का काम सैंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा जायेगा या कि गैर-सरकारी क्षेत्र को ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : दर्शन यंत्रों का वाणिज्यिक दृष्टि से निर्माण एक राज्य उपक्रम होगा।

दशमिक सिक्के

†*४६९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कुल कितनी कीमत के एक नये पैसे, दो नये पैसे, पांच नये पैसे, और दस नये पैसे, के सिक्के चलाये गये हैं ; और

(ख) नये दशमिक सिक्कों को चलाने में क्या किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जुलाई, १९५८ के अन्त तक लगभग ३ १।२ करोड़ रुपयों के एक, दो, पांच और दस नये पैसों के सिक्के चलाये गये थे।

(ख) इस समय नये सिक्के चलाने में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुनाली पोखरा रोड

†*४७०. **श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर जिले के सुनाली और नेपाल के पोखरा को मिलाने वाली एक सड़क बनाने संबंधी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) इस संबंध में अभी कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिये वित्त लगाने के संबंध में नेपाल से कोई करार हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) नेपाल सरकार द्वारा नियुक्त प्रादेशिक परिवहन बोर्ड ने बौटन्वा–भैरावा–बूटावल–तनसेन–पोखरा रोड बनाने की योजना को, जिसमें सुनाली भी सम्मिलित है, मंजूरी दे दी है।

(ख) पूर्वपरीक्षण रिपोर्ट बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है और उसके विस्तृत सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). इस सड़क के निर्माण के लिये भारत सरकार ने कोई अलग करार नहीं किया है। यह तो उन दस सड़कों में से एक है जिनका बोर्ड द्वारा निर्माण किया जाना है। उसे भारत सरकार तथा अमेरिकन सरकार की सहायता निधि से वित्त दिया जाता है। उसे नेपाल सरकार से भी अनुदान प्राप्त होता है।

मैसूर में ताम्र माक्षीक[1]

†*४७१. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के चितलदुग जिले के हिंगलोडल क्षेत्र में ताम्र माक्षीक के लिये कोई खोज की गयी है ;

(ख) उसके क्या क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उस पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भ्रष्टाचार

†*४७२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या २८ अक्तूबर, १९५८ से दिल्ली 'स्टेट्समैन' में 'पोलिटीकल सीन' (राजनीतिक दृश्य) के शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है जिसमें और बातों के अलावा यह कहा गया है :—

> "कि सरकारी हस्तक्षेप से एक बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसके विरूद्ध कि भ्रष्टाचार, हेरफेर और गबन के आरोप काफी गम्भीर जांच के पश्चात् प्रकाशित किये गये थे" ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Copper pirytes in Mysore

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी हां।

कुछ गुमनाम आरोपों के संबंध में जो कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध उस लेख में लगाये गये थे, अगस्त १९५८ में विशेष पुलिस संस्थापन ने जांच आरम्भ की थी। अब यह जांच पूरी हो चुकी है और अन्तिम रिपोर्ट नवम्बर १९५८ के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुई है। इस संबंध में अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय किया गया है। कथित सरकारी हस्तक्षेप वाली बात का नितान्त कोई औचित्य नहीं है।

बैंकों की पेशगियां

†*४७३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गेहूं के लिये जुलाई से अक्तूबर, १९५८ तक किस स्तर तक बैंक पेशगियां दी गयी हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : अनुसूचित बैंकों द्वारा गेहूं की प्रतिभूति पर दी गयी पेशगियों का जुलाई से अक्तूबर १९५८ तक का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पक्ष समाप्ति तिथि	बैंक पेशगियों का स्तर
जुलाई ११	३·९७
जुलाई २५	३·९०
अगस्त १४	२·९२
अगस्त २९	२·९०
सितम्बर १२	२·६४
सितम्बर २५	२·२४
अक्तूबर १७	१·५८
अक्तूबर ३१	१·२७

एकीकृत निवेली लिगनाइट परियोजना

†*४७४. **श्री सुब्बया अम्बलम् :**
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तब से इस एकीकृत निवेली लिगनाइट परियोजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९७]**

†मूल अंग्रेजी में

आयात किये गये इंजन

†*४७५. **श्री नागी रेड्डी:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये गये इंजनों के गुम हुये अथवा टूटे हुये पुर्जों के कारणों का परीक्षण करने वाली समिति ने अपनी जांच पूर्ण कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस परिणाम पर पहुंची है; और

(ग) इस मामले पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग), प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में इस्पात की पुनर्वेलन मिलें

†*४७६. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई के अतिरिक्त क्या मध्य प्रदेश में और भी कोई इस्पात की पुनर्वेलन मिल हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की इकाई के स्थापित करने का कोई आवेदन पत्र अथवा कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां, ५ ।

(ख) जी हां, ३० आवेदन-पत्र नई इकाइयों के स्थापित करने के लिये और तीन आवेदन-पत्र काफी विस्तार करने के सम्बन्ध में है ।

(ग) देश में वर्तमान क्षमता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चा माल काफी नहीं है । अतः केवल उन क्षेत्रों में ही ४ लाइसेंस दिये गये हैं, जहां कि इस समय तक कोई पुनर्वेलन मिल नहीं है । इस सामान्य निर्णय के कारण, मध्य प्रदेश के आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया गया ।

दिल्ली में जलसंभरण

† ४७७. **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री पाणिग्रही :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री, २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८३ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजारनवीस समिति, जो कि दिल्ली में हुए जल सम्भरण संकट की जांच करने के लिए स्थापित की गयी थी, की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**:(क) और (ख). समिति ने चालू मौसम में यमुना में बाढ़ के बाद पानी के उतर जाने की अवस्था में किये जाने के लिये कुछ तात्कालिक व अल्पकालीन, उपायों का सुझाव दिया था। इन सिफारिशों को दिल्ली नगर निगम ने स्वीकार कर लिया था और जहां तक आवश्यक था, इन्हें कार्यान्वित भी किया गया।

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि उतरदायित्व का निर्णय करने के लिए पूरी और सविस्तार जांच की जाये।

अतः भारत सरकार ने मेयर के परामर्श से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री के० वी० के० सुन्दरम, को यह काम सौंपा था कि वह समिति की उपपत्तियों के प्रकाश में, इस बात की जांच करे कि उन कठिनाइयों का पूर्व अनुमान नहीं कर सकने में, जिनका सामना कि १७ अगस्त को जल सम्भरण भंग हो जाने से दिल्ली के नागरिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को करना पड़ा था, दिल्ली नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी कहां तक जिम्मेदार थे।

निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†*४७८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री झूलन सिंह :
श्री हेम बरूआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् ने जिस प्रकार की निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा चालू करने की सिफारिश की है, उस दिशा में आदर्श विधान के निर्माण करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रस्थापना के प्रति विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ;

(ग) इस निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) इसके लिए केन्द्र और राज्यों को किस प्रकार का और कितना वित्तीय दायित्व उठाना होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) एक प्रारूप तैयार किया गया है और परिषद् के सदस्यों तथा राज्य सरकारों को उनके टिप्पणों और सुझावों के लिए भेजा गया है।

(ख) राज्य सरकारों के विचार अभी पता लगने हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत सरकार ने सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लक्ष्य की व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना में करने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए, राज्य सरकारों के परामर्श से सविस्तार वित्तीय दायित्वों का निर्णय किया जा रहा है।

(घ) अभी तक केन्द्र और राज्य सरकारों में वित्तीय दायित्वों के अभिभाजन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया।

पोर्सिलीन के बनावटी दांत

†*४७९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर के तारांकित प्रश्न संख्या १२७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक आधार पर पोर्सिलीन के बनावटी दांत बनाने के कार्य को भाड़े पर लेने के लिए किसी सार्थ ने पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया को किसी को पट्टे पर दिया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक् किया जाना

†*४८०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के मामले में १९५८ में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् रखने के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) से (ख). भारत सरकार की उपलब्ध जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९८]** इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, यह बात उनके पदाधिकार क्षेत्र में आती है।

प्राथमिक शिक्षा

†*४८१. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने क्या पग उठाये है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी का विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में प्राथमिक शिक्षा का सुधार और विस्तार करने के लिये कई एक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापना भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा कि प्राइमरी स्कूलों के लिये साहित्यिक तथा अन्य सामग्री तैयार की जायेगी। स्वयं सेवक संस्थाओं को प्राइमरी स्कूलों के विकास और सुधार के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाओं तथा प्राथमिक शिक्षा से आगे की कक्षाओं वाले स्कूलों को, स्कूलों से सम्बद्ध छात्रावासों के निर्माण के लिये कर्जा और सहायता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों को भी सहायता देगी।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अवकास यात्रा की रियायत

†*४८२. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत देने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से इसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) सरकार इस पर वेतन आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने पर ही विचार कर सकेंगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोक-गीत

†*४८३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोक गीतों को लोकप्रिय बनाने, तथा उनका संकलन और रक्षण करने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई संकलन किया गया है;

(ग) किन किन भाषाओं के लोकगीत संकलित किये गये हैं; और

(घ) इनको कब प्रकाशित किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) देश की १४ स्वीकृत भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियों तथा आदिम जाति भाषाओं में।

(घ) सारी सामग्री एकत्रित हो जाने पर अकादमी इस प्रश्न पर विचार करेगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

नगर तथा ग्राम आयोजन स्कूल

†*४८४. **श्री रा० च० मांझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नगर तथा ग्राम आयोजन स्कूल का डिप्लोमा कोर्स सरकार द्वारा मान्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके लिये कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (घ). नगर तथा ग्राम आयोजन स्कूल के डिप्लोमा कोर्स को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

हिन्दू धार्मिक संस्थायें

†*४८५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वित्त** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू धार्मिक संस्थाओं, मठों व मंदिरों की आय का उचित उपयोग करने और उनके विकास का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके बारे में अन्तिम निर्णय करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस मामले पर अब भी विचार हो रहा है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†*४८६. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री अ० क० गोपालन् :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणनकुट्टि मेनन :
श्री संगण्णा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक प्रतिवेदन द्वारा प्रार्थना की है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना संसाधनों की कमी के कारण उनके सहायक अनुदान में जो कटौती की गयी थी उसे बहाल कर दिया जाय;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कटौती को बहाल कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रार्थना की है कि कम की गई सीमा के अतिरिक्त धन, जब भी आवश्यक हो, उन्हें दिया जाय । अतिरिक्त धन राशि की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

भारतीय मुद्रा का पकड़ा जाना

†*४८७. **श्री वाजपेयी :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अक्तूबर, १९५८ में बम्बई सीमा युक्त प्राधिकारियों ने २२ लाख के भारतीय करेंसी नोट उन ो मोटर कारों से प्राप्त किये हैं जो कि किसी यूरोपीय पत्तन को भेजी जानी थी; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). जी हां; २२½ लाख के भारतीय करेंसी नोट दो विदेशियों की कारों के भीतर छिद्र में दबे हुए पाये गये । उन्हें जेनीवा भेजने के लिये बुक किया गया था । करेंसी और कारें दोनों को रोक लिया गया और मामला निर्णय के लिये दिया गया है ।

गांधी भवन

***४८८. श्री दी० च० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में गांधी भवन बनाने के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) जिन विश्वविद्यालयों में गांधी भवन स्थापित किये गये हैं उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ख). इमारतों की जो योजना का प्रारूप गांधी स्मारक निधि ने दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस पर विचार कर रहा है। यदि आयोग ने योजना स्वीकार कर ली तो आगे पग उठाया जायेगा । ये भवन इलाहाबाद, दिल्ली, केरल, नागपुर, पंजाब, पटना और राजस्थान विश्वविद्यालयों में स्थापित किये जायेंगे, जिन्होंने सिद्धान्तः इस योजना को स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोस जांच बोर्ड

†*४८९. **श्री राम कृष्ण :**
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० क० देव :
श्री बि० चं० प्रधान :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री अन्सार हरवानी :
श्री वाजपेयी :
श्री दु० र० पटेल :
श्री क० उ० परमार :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवियन बोस की अध्यक्षता में जो बोर्ड मूंदड़ा सार्थों में जीवन बीमा निगम के विनियोजन के सम्बन्ध में कतिपय अधिकारियों के उत्तरदायित्व की जांच करने के लिये स्थापित किया गया था, उसके प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य परिणाम क्या थे;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) जी हां ।

(ख) और (घ). कार्यवाही करने के पश्चात प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) बोर्ड के प्रतिवेदन के आधार पर अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं । उत्तर आने पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैट इंजन

†*४९०. { **श्री सुबोध हंसदा:**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जैट इंजनों के विकास के लिये गवेषणा करने के लिये किसी गवेषणा केन्द्र की स्थापना करने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां स्थापित होगा;

(ग) क्या इस पर होने वाला व्यय मंत्रालय द्वारा उठाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस केन्द्र के संस्थापन के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गयी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** (क) और (ख). प्रतिरक्षा मंत्रालय के सहयोग से वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा कानपुर में भारतीय वायु बल संधारण केन्द्र में एक गैस टर्बाइन रिसर्च सैंटर स्थापित किया गया है ।

(ग) उपकरण पर व्यय, निर्माण व्यय तथा असैनिक गवेषणा कर्मचारियों का खर्चा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद द्वारा उठाया जायेगा । प्रशासनिक सहायता तथा केन्द्र द्वारा अपेक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा की जायेगी ।

(घ) १९५८–६१ में खर्च के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा ८ लाख की धन राशि स्वीकृत की गई है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण

†*४९१. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री पद्म देव :
श्री पाणिग्रही :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रस्थापनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त प्रस्थापनाओं का अब तक कोई परीक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या निकला ?

†**गृह–कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जो प्रस्थापनायें अब तक प्राप्त हुई हैं, उन का राज्य सरकारों और उप-महा रजिस्ट्रार के परामर्श से परीक्षण किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देवनागरी लिपि

†*४९२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संशोधित देवनागरी लिपि को जिसे १९५३ में लखनऊ में हुए देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन की सिफ़ारिश पर स्वीकार किया गया था, भारत सरकार द्वारा अब तक चालू नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस लिपि का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस विषय को शिक्षा मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में रखनें का प्रस्ताव है ।

वैज्ञानिकों और प्रोद्योगविज्ञों का केन्द्रीय पूल

†*४९३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण :
श्री स० म० बनर्जी:
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री गोरे :
श्री नौशीर भरूचा:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिकों और प्रौद्योगविज्ञों के केन्द्रीय पूल में, प्रारम्भ से आज तक नियुक्त हुए वैज्ञानिकों तथा प्रोद्योगविज्ञों की संख्या क्या है ;

(ख) प्राप्त हुए आवेदन पत्रों अथवा अस्वीकृत आवेदन पत्रों की अलग अलग संख्या क्या है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस पूल में केवल वह व्यक्ति ही लिये जायेंगे जो विदेशी योग्यताओं से युक्त होंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

†**गृह–कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) इस पूल के लिये अभी चुनाव नहीं किया गया ।

(ख) इस पूल में नियुक्तियां करने की सूचना वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने २२ नवम्बर को जारी की है, जिस में नियुक्तियों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। दिसम्बर १९५८ तक आवेदन पत्र लिये जायेंगे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली के शवदाह यंत्र[1]

†४९४. { **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में बिजली का शवदाह यंत्र लगाने की प्रस्थापना को रद्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये सरकार की योजना क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: दिनांक २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४६ के उत्तर में शुद्धि के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ९९**]

रेडियो सीलोन का व्यापार विभाग

†७०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो सीलोन के व्यापार विभाग को विज्ञापनों के लिये भारत से जो राशि दी जाती है क्या उस का कोई हिसाब रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५४ से १९५८ तक (वर्षवार) कितनी राशि दी गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५४ से १९५८ तक रेडियो सीलोन से विज्ञापन देने के लिये जो राशियां स्वीकृत की गईं वे नीचे की तालिका में दिखाई गई हैं :—

वर्ष	राशियां	
	भारतीय समवाय रुपये	विदेशी समवाय रुपये
१९५४ . .	११,५६,४८०	१०,०७,०८२
१९५५ .	२३,२५,००५	३,६३,९३५
१९५६ .	३२,००,७८२	१,१३,४९४
१९५७	१५,७३,९५८	७४,८२२
१९५८ (जनवरी से अक्तूबर) . .	३,७२,८५८	६०,४४४‡

†मूल अंग्रेजी में

[1]Crematorium

‡इस राशि की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई कि यह अमरीकी डालरों में लौटा दी जायेगी ।

सेना के स्टोर में आग लगना

†७०७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हेम राज :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ अक्तूबर, १९५८ को पठानकोट रेलवे यार्ड में जब सेना के सामान का लदान किया जा रहा था तब उस में आग लग गई ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ; और

(ग) इस से कितनी क्षति हुई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) अनुमान है कि १२८८.५० रुपये की क्षति हुई ।

निजी थैलियां

†७०८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक भारत के भूतपूर्व राजाओं को निजी थैलियों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : १९५७-५८ और १९५८-५९ में वास्तव में कितनी राशियां दी गईं यह ज्ञात नहीं है । १९५७-५८ का पुनरीक्षित आयव्ययक प्राक्कलन ५,४५,७७,००० रुपये और १९५८-५९ में आयव्ययक प्राक्कलन ५,४१,८४,००० रुपये है ।

सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धियां

†७०९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी निम्नलिखित वेतन प्राप्त कर रहे हैं ;

(१) १००० रुपये मासिक और उस से अधिक ;
(२) ५०० रुपये से अधिक परन्तु १००० रुपये मासिक से कम ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत का राज्य बैंक

†७१०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अब तक भारत के राज्य बैंक में कौन-कौन से बैंक मिलाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मनीपुर स्टेट बैंक का कारोबार भारत के राज्य बैंक को सौंपने की जो योजना १९५८ में स्वीकृत की गई थी और कूच बिहार स्टेट बैंक का व्यापार भी उसी को सौंपने की जो योजना १९५७ में स्वीकृत की गई थी उन्हें १९५८ में कार्यान्वित कर दिया गया । कुछ अन्य छोटे बैंकों को भी इस में मिलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों के टैक्नीकल कर्मचारी

†७११. **श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने खान प्रबंधकों, इंजीनियरों और कोयला खानों के लिये अन्य टेक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने खान प्रबन्धक, इंजीनियर और टैक्नीशियनों की जरूरत है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये टैक्नीकल कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता निम्नलिखित होगी :—

१. खान प्रबन्धक	३०००‡
(कोयला और मैटलीफैरस खानों के लिये)	
२. अन्य इंजीनियर तथा खानों के सुपरवाइजर	
इलैक्ट्रीकल	२०००
मकैनीकल	२०००
सिविल	६०
खुदाई करने वाले	६०
३. कोयला तैयार करने वाले इंजीनियर और सुपरवाइज़र	३६०
४. सर्वेक्षक	७००
५. ओवरमेन	४,५००
६. सरदार	१०,०००‡
७. शाट फायरर	१५,०००‡

‡१९५८ की संख्या के अतिरिक्त

उड़ीसा में समाज कल्याण केन्द्र

†७१२. **श्री कुम्भार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में इस समय कौन-कौन से समाज कल्याण केन्द्र चल रहे हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इस अवधि में इन केन्द्रों में कौन-कौन से मुख्य कार्य आरम्भ किये गये हैं;

(ग) १९५७–५८ में प्रत्येक केन्द्र पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) प्रत्येक केन्द्र में ग्रेडवार कितने कर्मचारी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इन में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ग) से (ङ). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटर रख दी जायेगी।

(ख) बालवाड़ियां, बच्चों की नर्सरियां, सामान्य चिकित्सा, प्रसूत सेवायें, समाज शिक्षा, दस्तकारी आदि, सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्य।

अस्पृश्यता

†**७१३. श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में बम्बई में अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या बम्बई सरकार ने इस उद्देश्य के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) १९५८-५९ में बम्बई राज्य में अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के लिये १,३६,५०० रुपये की व्यवस्था की गई है;

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१९५८-५९ में अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के लिये बम्बई सरकार ने जो योजनायें भेजीं उनके नाम ये हैं:-

(१) अस्पृश्यता निवारण के लिये अपनी इच्छा से काम कर रही संस्थाओं को सहायता।

(२) प्रचार जिस में हरिजन दिवस मनाना, मेले लगाना, सभी जातियों का सद भोज, कथायें, फिल्म शो, प्रदर्शिनियां, सम्मेलन, भजन, शिविर, पद यात्रा और उन गांवों को पुरस्कार देना जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया है ?

(३) पुस्तिकाओं तथा इश्तिहारों द्वारा प्रचार।

बम्बई के आदिम जाति क्षेत्र

†**७१४. श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में बम्बई राज्य में आदि जाति क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) इस वर्ष कितनी प्रगति हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में बम्बई में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिये आवंटित की गई राशि नीचे दिखाई जाती है :—

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटित राशि		कुल
		राज्य की योजनायें	केन्द्र द्वारा आरम्भ किये गये कार्यक्रम	
		(लाख रुपये में)		
१	१९५७-५८	२५·७३	२५·९१	५१·६४
२	१९५८-५९	३८·३५	३८·७४	७७·०९

(ख) १९५७-५८ और सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले छः मास के प्रगति प्रतिवेदन अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में अवैध शराब बनाने की भट्टियां

†७१५. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतायेंगे कि १९५७–५८ में दिल्ली में अवैध शराब बनाने की कितनी भट्टियों का पता चला ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : १७७.

बम्बई राज्य में तेल के लिये छिद्र किया जाना

†७१८ {**श्री पांगरकर** :
श्री आसर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में कैम्बे के अतिरिक्त कितने और किन-किन स्थानों पर तेल के लिये छिद्र किये जा रहे हैं ;

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इन का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कैम्बे के निकट एक गहरे कुंए के अतिरिक्त बड़ौदा के निकट १२ कम गहरे छिद्र किये गये हैं।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक या दो छिद्रों में बहुत कम मात्रा में गैस पाई गई परन्तु बेदसर के निकट बारहवें छिद्र में १० नवम्बर, १९५८ को प्रयोग करते समय दबाव के कारण गैस के साथ साथ तेल की भी कुछ मात्रा पाई गई। इस के परिणाम का अभी से कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

केरल में लिग्नाइट के निक्षेप

†७१७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल में वकला स्थान पर लिग्नाइट के लिये जो प्रयोगात्मक छिद्र किये गये थे क्या उन के अनुसन्धान के बारे में भारत सरकार को कोई विस्तृत प्रतिवेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये गये अनुसन्धान के परिणामों सम्बन्धी एक विवरण १९ नवम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखा जा चुका है।

अस्पृश्यता

†७१८. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को अस्पृश्यता निवारण और अनसूचित ज़ातियों और अनसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये जो राशियां आवंटित की थीं उन में से कितनी खर्च की गई; और

(ख) किन-किन स्थानों और किन-किन मदों पर रुपया खर्च किया गया ?

†**गृह कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अनसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों (अस्पृश्यता निवारण) के कल्याण के लिये १९५५-५६ और १९५६-५७ में उड़ीसा सरकार को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता में से खर्च की गई राशियां बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या १००]** जहां तक सम्भव था योजनाओं के स्थानों के नाम भी बताये गये हैं। १९५७-५८ और १९५८-५९ (३०-९-५९ तक) में खर्च के आंकड़े राज्य सरकार से प्राप्त किये जा रहे हैं और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

जोरहाट में इंजीनियरिंग कालेज

†७१९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार द्वारा जोरहाट में इंजीनियरिंग कालेज आरम्भ करने के लिये भेजी गई योजना स्वीकृत कर दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सशस्त्र सेना हित्त निधि

†७२०. **श्री हो० ना० मुकर्जी** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना हित्त निधि का सदस्य बनने की क्या शर्तें हैं ;

(ख) निधि का संचालन कैसे होता है और इसका निर्देशन कौन करता है; और

(ग) निधि में से भुगतान किन सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). सशस्त्र सेना हित्त निधि सदस्यों द्वारा नहीं बनाई जाती है। कुछ निधियों को मिला कर और दान के रुपये से यह स्थापित की गई थी। सशस्त्र सेना हित्त निधि का संचालन दान/पूर्त निधि अधिनियम, १८९०, के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है और निधि के प्रशासन और निधि में से भुगतान करने के सिद्धान्तों की विस्तृत योजना भूतपूर्व प्रतिरक्षा विभाग की १२ जुलाई, १९४७ की अधिसूचना संख्या १८०४ में दी गई है जिसकी एक प्रति लोक-सभा के पुस्तकालय में रखी गई है।

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्र

७२१. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश में वर्ष १९५८-५९ में अब तक कितने समाज कल्याण केन्द्र खोले जा चुके हैं;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा किस प्रकार का काम किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि में इन केन्द्रों पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). आवश्यक सूचनायें इकट्ठी की जा रही हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल

७२२. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के डिवीज़नों की संख्या क्या है; और

(ख) इस समय कितने डिवीज़न वहां चल रहे हैं ?

उपरक्षा मंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विवरण

उत्तर प्रदेश में ३१-१०-५८ के दिन राष्ट्रीय छात्र दल की संख्या ३७५ आफ़िसर और १३९८५ छात्र थी। विभिन्न डिवीज़नों और विभागों के अनुसार इसका ब्योरा इस प्रकार है :—

	आफिसर	छात्र
सीनियर डिवीजन		
सेना विभाग	१४७	६१६१
वायुसेना विभाग	४	२४०
जूनियर डिवीजन		
सेना विभाग . . .	१९०	६२७०
नौसेना विभाग . . .	३	९९
वायुसेना विभाग . . .	१५	४९५
गर्ल्ज़ डिवीजन		
सीनियर विंग	९	४०५
जूनियर विंग	७	३१५
राष्ट्रीय छात्र दल के आफ़िसरों और छात्रों की कुल संख्या	३७५	१३९८५

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास

७२३. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): दूसरी आयोजना में उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा विकास कार्यक्रमों (तकनीकी शिक्षा योजनाओं समेत) के लिये जो २६.५४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी उसमें से आयोजना के पहले दो वर्षों के लिये नीचे लिखी धनराशि नियत की गयी थी और उसे राज्य के बजट में शामिल किया गया था :

१९५६-५७	४·४९ करोड़ रुपये
१९५७-५८	४·७२ करोड़ रुपये

आयोजना कमीशन ने १९५८-५९ के लिये कुल ३·८२ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमोदन किया था परन्तु राज्य सरकार ने अपने बजट में ४·२४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

१९५६-५७ और १९५७-५८ में कुल खर्च क्रमशः २·३९ और ३·११३ करोड़ रुपये हुआ। संशोधित अन्दाज़ों से ज्ञात होता है कि चालू वित्त विर्ष में ३·७५ करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

समाज शिक्षा

†७२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में सरकार को भारत में समाज शिक्षा की उन्नति के लिये किन-किन देशों से और कितनी सहायता मिली; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किस प्रकार की सहायता मिली ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख).

उद्गम	१९५६-५७	१९५७-५८
अमरीका	*७,४३,१६३·०० *(७,१०,०००·०० रुपये नकद और ३३,१६३·०० रुपये की सामग्री और उपकरण)	**२१,४३२ रु. १० न.प. **(सामग्री तथा उपकरण)

जम्मू और काश्मीर में दर्शक

†७२५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने १९५८ में ३० नवम्बर, १९५८ तक जम्मू और काश्मीर में प्रवेश करने के लिये कितने दर्शकों (भारतीय और विदेशी अलग-अलग) को पर्मिट जारी किये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : २६ नवम्बर, १९५८ तक प्रतिरक्षा मंत्रालय ने १६४६२ पर्मिट जारी किये थे । इन में से १३३०५ भारतीयों को और ३,१५७ विदेशियों को दिये गये थे ।

निर्वाचन याचिकाएं

†७२६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं (राज्यवार) की निर्वाचन याचिकाओं के निबटारे के लिये आगे और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) निर्वाचन न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के पास (अलग-अलग) कितनी निर्वाचन याचिकायें विचाराधीन हैं; और

(ग) ३० नवम्बर, १९५८ तक कितने निर्वाचन अवैध घोषित किये गये हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हज़ारनवीस)**: (क) से (ग). १५ नवम्बर, १९५८ को जो स्थिति थी वह बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०१]**

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

†७२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० नवम्बर, १९५८ तक भारत सरकार ने श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म शताब्दी समारोह मनाने में किस प्रकार का अंशदान दिया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: साहित्य अकादमी, नई दिल्ली ने अखिल भारतीय टेगोर जन्म शताब्दी समारोह मनाने के जिस प्रयोगात्मक कार्यक्रम की रूप रेखा बताई है भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया है । राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस प्रयोजनार्थ राज्य शताब्दी समारोह समितियां स्थापित कर दें ।

२. भारत सरकार ने कवि टेगोर का एक प्रलेखीय चित्र तैयार करने का भी विचार किया है और शताब्दी वर्ष (१९६१) में आकाशवाणी में टेगोर के बारे में विस्तृत कार्यक्रम दिया जायेगा ।

दिल्ली की जामा मस्जिद

†७२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की जामा मस्जिद के जीर्णोद्धार में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक उस पर कितना खर्च हो चुका है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जीर्णोद्धार नहीं केवल विशेष मरम्मत का कार्य हो रहा है जो दो तिहाई हो चुका है।

(ख) विशेष मरम्मत के लिये स्वीकृत किये गये १,१३,८००.०० रुपयों में से ३१-१०-५८ तक ८४,६५६ रुपये ४५ न० पै० खर्च किये गये थे ।

विश्वविद्यालय प्रयोगशालायें

†७२९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में सुधार करने के लिये, ताकि हमारे देश में वैज्ञानिक शिक्षा तथा गवेषणा का स्तर विज्ञान की दृष्टि से समुन्नत अन्य देशों के स्तर से पीछे न रहने पाये, जो कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं उस का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०२]**

आयकर की किश्तें

†७३०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर के बकाये को किश्तों में अदा करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बकाये पर कोई ब्याज लिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो किस दर से ;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि आय-कर के बकाये की किश्तों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता ; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मू ल अंग्रेज़ी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) जी हां, जिन मामलों में ऐसे करना उचित समझा जाता है, उन में अनुमति दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) आय-कर अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है कि आय-कर के बकाये पर ब्याज लिया जाये।

(ङ) कभी-कभी ये लोग निश्चित समय पर किश्त जमा नहीं करते।

(च) जिन मामलों में किश्तों का भुगतान नियमित रूप से नहीं होगा, उन में निर्धायों को उन के कर्तव्य का स्मरण कराया जाता है। यदि उस का संतोषजनक असर नहीं होता, तो आय-कर अधिनियम की धारा ४६(१) के अधीन उन पर जुर्माना किया जाता है। जहां जरूरत पड़ती है वहां आय-कर अधिनियम की धारा ४६ के अन्य उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाती है।

खान इंजीनियर

†७३१. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बर्मन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय खान इंजीनियरों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इंडियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड एपलाइड जियालोजी में कितने स्थान बढ़ाये गये ;

(ग) उसी अवधि में किन इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में डिग्री अथवा प्रमाण-पत्र के खान पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को क्या आर्थिक तथा सामान्यसुविधायें दी हैं ; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिये प्रति वर्ष कितने खान इंजीनियर उपलब्ध होंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) ४५।

(ग) (१) खान इंजीनियरिंग के डिग्री कोर्स निम्नलिखित संस्थाओं में आरम्भ किये गये हैं :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

(ख) बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, शिवपुर

(ग) इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर

(घ) कालेज आफ इंजीनियरिंग, गिंडी

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इंजीनियरिंग कालेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

(च) एम० बी० एम० कालेज, जोधपुर ;

इस के अतिरिक्त बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के कालेज आफ माइनिंग एण्ड मैटलर्जी में खान इंजीनियरिंग के स्थानों की संख्या दुगनी कर दी गई है।

(२) खान इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सों के लिये नई संस्थायें खोली जा रही हैं अथवा निम्नलिखित वर्तमान संस्थाओं को सुविधायें दी जा रही हैं :

(क) उदयपुर पौलिटैक्नीक, उदयपुर

(ख) माइनिंग इंस्टीच्यूट, ऊरगाम

(ग) माइनिंग इंस्टीच्यूट, क्योंझरगर

(घ) माइनिंग इंस्टीच्यूट, कोठगुडियम (अस्थायी तौर पर हैदराबाद में है)

(ङ) माइनिंग इंस्टीच्यूट, गुडुर

(च) आसनसोल पौलिटैक्नीक

(छ) माइनिंग इंस्टीच्यूट, झरिया कोयला क्षेत्र

(ज) माइनिंग इंस्टीच्यूट, कोडर्मा ।

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के अतिरिक्त ऊपर बताये गये ऊपर के केन्द्रों में खान इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने में ८२.१९६ लाख रुपये अनावर्त्तक और १४.२४ लाख रुपये आवर्त्तक व्यय होने का अनुमान है। इस में से केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १-४-१९५८ तक संस्थाओं द्वारा किये गये खर्च में अनावर्त्तक का ७५ प्रतिशत और आवर्त्तक व्यय का ६६ २।३ प्रतिशत अंशदन सहायक अनुदानों के तौर पर दिया था। १-४-१९५८ के बाद यह स्वीकार कर लिया गया कि सारा अनावर्त्तक व्यय और चालू योजना की समाप्ति तक का कुल शुद्ध आवर्त्तक व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर केन्द्रीय सरकार की संस्था है इसलिये माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स का सारा खर्च सरकार ही वहन करती है।

(ङ) प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं से अनुमान लगाया जाता है कि प्रति वर्ष इन संस्थाओं से लगभग २५० डिग्री प्राप्त और ३०० डिप्लोमा प्राप्त खान इंजीनियर उपलब्ध होंगे।

टैक्निकल शिक्षा के प्रादेशिक एवं राज्य बोर्ड

†७३२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये टेक्निकल शिक्षा के राज्य बोर्डों और प्रादेशिक कार्यालयों के कार्यकलापों में कोई अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के कार्यों में क्या अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हाँ।

(ख) वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के टेक्निकल शिक्षा के राज्य बोर्डों और प्रादेशिक कार्यालयों के कार्यों में निम्न भेद है :—

(१) राज्य बोर्डों का सम्बन्ध उन के सम्बन्धित क्षेत्रों में स्थापित उन टेक्निकल संस्थाओं को संबद्ध करना अथवा मान्यता देना है जो विश्वविद्यालय नहीं हैं, उन का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षा लेना और सफल छात्रों को डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र देना है। प्रादेशिक कार्यालय को यह सब नहीं करना होता है। राज्य बोर्ड समय-समय पर इस बात का सुनिश्चय करने के लिये इन संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं कि चलाये गये पाठ्यक्रम का स्तर, शिक्षा संबंधी जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है तथा अन्य पहलुओं के बारे में मान्यता की दृष्टि से सन्तोषजनक कार्य किया जा रहा है। प्रादेशिक कार्यालय को ये काम नहीं करने पड़ते हैं।

(२) राज्य बोर्ड राज्यों में टेक्निकल शिक्षा के विकास के बारे में संबंधित सरकारों को परामर्श देते हैं। अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद् की प्रादेशिक समिति, जिस के प्रादेशिक कार्यालय सचिवालय हैं। अखिल भारतीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान समिति को सम्पूर्ण देश में टेक्निकल शिक्षा के समन्वित विकास करने, प्रत्येक प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा के लिये दी गई सुविधाओं की आवश्यकताओं का पता लगाना और उन अवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये विस्तृत योजनायें तैयार करने में सहायता देना है।

(३) प्रादेशिक कार्यालय विभिन्न प्रकार से विद्यमान टेक्निकल संस्थाओं के विकास अथवा संबंधित क्षेत्रों में नई टेक्निकल संस्थाओं की स्थापना करने में सहायता करता है जिनके लिये सहायतानुदान की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में की गई है। केन्द्र से अनुदान मिलने पर गैर सरकारी टेक्निकल संस्था की प्रबन्ध समिति में प्रादेशिक कार्यालय केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विकास योजनाओं की प्रगति की भी देख-रेख करते हैं एवं केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा टेक्निकल संस्थाओं के बीच घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखने में भी सहायता करते हैं। राज्य बोर्ड ये काम नहीं करता है।

(४) प्रादेशिक कार्यालय का काम उद्योग तथा अन्य प्रतिष्ठानों में अखिल भारत के आधार पर देश की समस्त टैक्निकल संस्थाओं के छात्रों के लाभ की दृष्टि से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता करना है। राज्य बोर्ड को यह काम नहीं करना पड़ता है।

कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति

†७३३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) क्या कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) कितनी कोयला खानों का निरीक्षण किया गया था तथा उत्पादन लागत के बारे में लेखा पदाधिकारियों द्वारा क्या जांच-पड़ताल की गई; और

(घ) क्या किसी खान में दोहरी लेखा पुस्तकें पाई गई थीं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी नहीं । प्रतिवेदन दिसम्बर, १९५८ के मध्य तक प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०३**]

(घ) जी नहीं ।

ग्राम्य उच्च संस्थाएं

†७३४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पांगरकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य उच्च संस्थाओं द्वारा डिप्लोमा देने के बारे में विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों से मान्यता प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह डिप्लोमा विश्वविद्यालय की पहली डिग्री के समकक्ष समझी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं तो उसे विश्वविद्यालय की पहली डिग्री के समकक्ष समझे जाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). डिप्लोमा देने के लिये विश्व-विद्यालयों एवं अन्य निकायों की मान्यता आवश्यक नहीं है । ग्राम्य उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा ग्राम्य सेवा में दिये गये डिप्लोमा को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है । यह डिप्लोमा सरकारी नौकरी में भर्ती करने के प्रयोजन के लिये जिनमें कम से कम विश्वविद्यालय की पहली डिग्री होनी आवश्यक होता है, विश्वविद्यालय की पहली डिग्री के समकक्ष होता है । विश्वविद्यालय द्वारा इसे पहली डिग्री के समकक्ष मान्यता देने का प्रश्न अन्तर्विश्व-विद्यालय बोर्ड के विचाराधीन है ।

बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक

†७३५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती मनाने के लिये स्मारक के स्थान के चारों ओर एक पार्क बनाने की योजना अन्तिम रूप से बनाई जा चुकी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पार्क बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय करने का विचार है ; और

(घ) स्मारक तैयार करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां।

(ख) विस्तृत ड्राइंग के दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है। पार्क बनाने का काम उसके पश्चात् आरम्भ किया जायेगा।

(ग) प्राक्कलित व्यय लगभग ७.२२ लाख रुपये है।

(घ) वित्तीय एवं कार्य सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण स्मारक बनाने का प्रस्ताव फिलहाल रोक दिया गया है।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट (लिमिटेड), बंगलौर का उत्पादन

७३६. श्री पद्म देव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर ने १९५८ में अब तक कितने मूल्य का सामान तैयार किया है ; और

(ख) क्या प्रतिरक्षा की आवश्यकता पूर्ति के अतिरिक्त सरकार इस कारखाने में जनता की आवश्यकता पूर्ति के लिये सामान तैयार करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा जनवरी से सितम्बर, १९५८ तक के समय में निर्माण किए गए वैद्युदण्विकी सामान का मूल्य ३५.३७ लाख रुपये था।

(ख) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा इस समय निर्माण किया जा रहा सामान सरकार के असैनिक विभागों के लिए है।

हिमाचल प्रदेश की जेलें

७३७. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की जेलों में किन-किन व्यवसायों व दस्तकारियों को सिखाने की सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) १९५७–५८ में इन उद्योगों से कुल कितनी आय हुई; और

(ग) जेल से जो ऐसे कैदी रिहा होते हैं उन्हें बसाने के लिये सरकार के पास क्या योजना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क)

बुनाई, कताई,
बढ़ईगीरी,
कुर्सियों में बेंत लगाना,
चिक और टोकरी बनाना,
चटाई बनाना,
कृषि,
बाग बगीचा लगाना और दरी बनाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ६,७९८ रुपये ।

(ग) इस मामले पर हिमाचल प्रदेश प्रशासन विचार कर रहा है ।

युद्ध में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों का पुनर्वास

७३८. श्री पद्म देव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होने वाले सशस्त्र सेना के सैनिकों के परिवारों के सदस्यों के पालन-पोषण तथा शिक्षा दीक्षा के बारे में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं ; और

(ख) उन्हें प्राप्त अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सख्या १०४]**

नौ सेना विस्तार कार्यक्रम

†**७३९. श्री उ० च० पटनायक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की नौसेना का कोई छः वर्षीय कार्यक्रम है जैसा कि 'जेन्स फाइटिंग शिप्स' में कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) जी नहीं । २४ सितम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १५५० के भाग (क) और (ख) के दिये गये उत्तर में केवल नौ प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया गया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†**७४०. श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची के कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ;

(ख) १९५८–५९ में कितनी राशि व्यय की जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्वार्टरों के कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) ९५ ।

(ख) ७,८४,७५० रुपये ।

(ग) जनवरी, १९५९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय पैट्रोल प्रोद्योगिकीय संस्था

†७४१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् ने एक अखिल भारतीय पेट्रोल टेक्नोलाजिकल संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश किस प्रकार की है; और

(ग) क्या इस संस्था की स्थापना करने के लिये किसी विदेशी सहयोग की खोज हो रही है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्रम अपीलों के लिये उच्च-न्यायालय की अलग बेंचें

†७४२. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री वोडयार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम अपीलों का शीघ्र ही निबटारा करने के लिये सरकार उच्च न्यायालयों की एक अलग बेंच स्थापित करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो फिलहाल इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली छावनी बोर्ड के अध्यापकों की मांगें

†७४३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में छावनी बोर्ड स्कूल के अध्यापकों की मांगों के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). दिल्ली के छावनी बोर्ड स्कूल के अध्यापकों की केवल एक मांग मई, १९५८ में इस मंत्रालय की जानकारी में लाई गई थी जो यह थी कि अन्य सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्य करने वाले उन के साथियों की भांति उन्हें भी भविष्य निधि का लाभ मिलना चाहिये। जबकि वास्तव में छावनी निधि कर्मचारी नियम १९३७ के उपबन्धों के अनुसार छावनी बोर्ड स्कूलों के अध्यापकों को पहले से ही भविष्य निधि का लाभ मिल रहा था। छावनी बोर्ड जमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब में उस के वेतन का ३¹/₈ प्रतिशत मिलाता है जब कि सहायता प्राप्त अन्य स्कूलों के प्रबन्ध केवल ६¹/₄ प्रतिशत ही देते हैं। उपर्युक्त उल्लिखित नियमों के अधीन विशिष्ट वेतनक्रम के साथ ही छावनी बोर्ड स्कूलों के अध्यापकों को बोनस भी मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

†मूल अंग्रेजी में

डिप्लोमा संस्थायें

†७४४. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री आचार :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २७ नई डिप्लोमा संस्थाओं को स्थापित करने की योजना की क्या स्थिति है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : योजना सरकार के विचाराधीन है ।

नारनौल में लौह अयस्क के निक्षेप

†७४५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब की नारनौल तहसील में लौह अयस्क के निक्षेपों का विदोहन करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सरकार को निक्षेपों का बड़े पैमाने पर विदोहन नहीं करना पड़ता और चाव रखने वाले गैर-सरकारी पक्षों को ठेके दिये जा रहे हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केन्द्र

†७४६. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा १९५८-५९ में अब तक ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के केन्द्र कौन कौन से थे; और

(ख) ऐसे केन्द्रों का चुनाव करने का आधार क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०५**]

(ख) परीक्षा का नया केन्द्र खोलने से पूर्व आयोग उम्मीदवारों की संख्या, आयोग द्वारा जिस प्रकार की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है उस के अनुसार आयोग की ओर से परीक्षा लेने के सम्बन्ध में सुविधाओं की उपलब्धता आदि का कों पर ध्यान दिया है ।

खेलों के लिए अनुदान

†७४७. **श्री केशव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों को अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक कितनी राशि दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां। अनुदान राज्य सरकारों, राज्य खेल-कूद परिषदों और राष्ट्रीय खेल-कूद फेडरेशनों द्वारा उन से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर दिये जाते हैं।

(ख) १९५७-५८

(१) लखनऊ में एक खेल-कूद स्टेडियम बनाने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को २,५८,३८० रुपये की राशि दी गई है।

(२) पंजाब बैडमिंटन एसोसियेशन द्वारा अमृतसर में एक बैडमिंटन स्टेडियम बनाने के लिये पंजाब की सरकार को ५०,००० रुपये दिये गये हैं।

१९५८-५९ (अब तक)

(३) आंध्र प्रदेश की सरकार को हैदराबाद में बने स्टेडियम में एक पैविलियन बनाने के लिये १,१८,००० रुपये दिये गये हैं।

(४) त्रिपुरा प्रशासन को फुटबाल और वालीबाल में प्रशिक्षण शिविरों के चलाने के लिये २,६०० रुपये दिये गये हैं।

भारत स्काउट और गाइड

†७४८. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय ने पचमढ़ी में एक स्थायी अखिल भारतीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने योजना स्वीकृत कर ली है और कुल ३.५४ लाख रुपये देना स्वीकार किया है। इस राशि में से पहली किश्त के रूप में ६०,००० रुपये की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

छात्रेतर[1] युवक क्लब और केन्द्र

†७४९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रेतर युवक क्लब और केन्द्रों की स्थापना करने के लिये राज्य सरकारें वित्तीय सहायता नहीं दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। वित्तीय सहायता विद्यमान क्लबों में सामान की व्यवस्था करने के लिये दी गई है, नये क्लब स्थापित करने के लिये नहीं।

(ख) अभी तक किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Non-Student.

आदिम जाति के कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

†७५०. **श्री रा० च० माझी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिमजाति के कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की सारी सिफारिशें राज्य सरकारों ने स्वीकार कर ली हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार की सरकारों द्वारा कोई सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) आदिम जाति के कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा की गई कुछ सिफारिशें राज्य सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और उनमें से कुछ विचाराधीन हैं ।

(ख) बोर्ड की १९५६ और १९५७ की प्रमुख सिफारिशों पर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार सरकार की प्रतिक्रिया बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०६**] इस वर्ष २८ सितम्बर, १९५८ की बैठक में बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें हाल ही में राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

टैक्निकल संस्थाएं

†७५१. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय सहायता और नई टेक्निकल संस्थाओं की स्थापना करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को कितने गैर-सरकारी अभिकरणों अथवा राज्य सरकारों ने पूरा करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के आरम्भ से लेकर अब तक ऐसी कितनी संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी है; और

(ग) वे कहां स्थित हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) चालू योजना काल में अब तक ३० गैर-सरकारी अभिकरणों ने शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरा करना स्वीकार कर लिया है । सम्बन्धित संस्थाओं ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

२. जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, उनके द्वारा शर्तों को पूरा करने का प्रश्न इसलिये उत्पन्न नहीं होता कि सहायता केवल उन्हीं टेक्निकल शिक्षा की योजनाओं के लिये दी जायेगी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई हैं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गैर-सरकारी अभिकरणों एवं राज्य सरकारों द्वारा निम्न स्थानों में तेरह इंजीनियरिंग कालेज और पचास पोलीटेक्नीक या तो स्थापित किये जा चुके हैं अथवा स्थापित किये जाने वाले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग कालेज

लुधियाना, पटियाला, गौहाटी, बूरला, नागपुर, ग्वालियर, रायपुर (मध्य प्रदेश), वाल्टेयर, त्रिचूर (केरल), क्विलान, कोयम्बटूर, मदुराई, गुलबर्गा ।

पोलीटेक्नीक

पटियाला, अजमेर, उदयपुर, श्रीनगर, पटना, भद्रक, झाड़ग्राम (पश्चिमी बंगाल), पुरुलिया (पश्चिमी बंगाल), मुर्शिदाबाद, बेलपूरिया (पश्चिमी बंगाल), नरसिंहगढ़ (त्रिपुरा), कराद, शोलापुर, वल्लभविद्या नगर (बम्बई), औरंगाबाद, अमरावती, भिल्सा, जओरा, उज्जैन, रायगढ़, नौगांव (मध्य प्रदेश), विशाखापटनम, वारंगल, हैदराबाद तिरुपदी (आन्ध्र प्रदेश), रानुकू, अल्लेप्पी (केरल), अल्लागप्पा नगर, त्रिप्रादर (केरल), पंडालम (केरल), क्विलान, त्रिवेन्द्रम, कन्नानूर, अवाडी (मद्रास), पोल्लाची (मद्रास), सलेम (मद्रास), तंजोर (मद्रास), विरुधनगर (मद्रास), संकरनगर (मद्रास), चेट्टिनाद, अन्नमलाईनगर, करयाड़, चिक्कामगलूर (मैसूर), बेलगांव, बंगलौर(२), भागलकोट (मैसूर), गुलबर्गा (मैसूर), तमकूर, चेन्नापटन ।

विवरणिका का संकलन[1]

†७५२. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य पदाधिकारियों के सम्मेलन में जिला विवरणिका के संकलन के बारे में जो विषय सम्मिलित किये जाने हैं उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : केन्द्रीय संगठन द्वारा तैयार की गई जिला विवरणिका की योजना, नई दिल्ली में ६/७ जून, १९५८ को हुई राज्य सम्पादकों की बैठक में कुछ रूप/भेद कर, स्वीकृत कर ली गई थी । राज्य सम्पादकों की सिफारिशों पर स्वीकृत जिला विवरणिका के परिच्छेद शीर्षक एवं विषय सूची की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०७**]

लाहौल और स्पिती क्षेत्र में सड़कें

†७५३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौल और स्पिती क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) पंजाब सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन महीनों में कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मनाली से माशी और कोकसार से क्वेलांग तक ट्रक चलने योग्य सड़क बनवाने का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो इन सड़कों पर अनुमानत: कितना व्यय होगा; और

(ङ) इस कार्य के लिये १९५९-६० में पंजाब सरकार को कितनी राशि देने का विचार है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Compilation of Gazetteers.

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) पंजाब के अनुसूचित क्षेत्रों में "संचार" के लिये ७७.५४ लाख रुपये का उपबन्ध है।

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ में सड़कों के बनवाने पर कुल ७.१८ लाख रुपया व्यय हुआ। १९५८-५९ में किया गया वास्तविक व्यय वर्ष समाप्त हो जाने पर पता लगेगा।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि द्वितीय योजना काल में सड़कों के निम्न हिस्से ट्रक के चलने योग्य बनाये जाने चाहियें :—

	अनुमानित व्यय
(क) मनाली से कोटी	२ लाख रुपये
(ख) कोटी से रहला	१ लाख रुपये
(ग) ग्राम्फू से क्वेलांग	६ लाख रुपये

(ङ) १९५९-६० के लिये वार्षिक योजना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

बकाया आय-कर

†**७५४. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की कपड़ा मिलों से बकाया आय-कर वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ग) अभी कितनी राशि और वसूल की जानी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां। कानपुर की कपड़ा मिलों पर बकाया आय-कर वसूल करने के लिये आय-कर अधिनियम में उपबन्धित कार्यवाही की गई है और की जा रही है।

(ख) इन मिलों से ३१-१०-१९५८ तक ५५,२०,४८६ रुपये वसूल किये गये हैं।

(ग) २४,२५,४३८ रुपये।

निम्न उदग्र भट्टी अग्रिम संयंत्र[1]

†**७५५. श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर[2] में लोहा पिघलाने के लिये एक निम्न उदग्र भट्टी की स्थापना करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: भट्टी बनाने के सभी भारी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। सहायक विद्युत मशीनें लगाने का काम प्रगति पर है। निम्न उदग्र भट्टी में काम में आने वाले कच्चे माल की ईंटें बनाने के परीक्षण का काम प्रयोगशाला में किया जा रहा है। अग्रुआकारी संयंत्र के अगले चार-पांच महीनों में काम शुरू करने की आशा की जाती है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] Low Shaft Furnace Pilot Plant.

[2] Natural Metallurgical Laboratory Jamshedpur.

इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा

†७५६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा के विषय में शेष राज्यों के उत्तर आ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) कुछेक उत्तर और आये हैं ।

(ख) अब तक जो उत्तर आये हैं उन से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकारें इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा गठित करने के सम्बन्ध में विशेष कुछ उत्साह नहीं दिखा रही हैं ।

(ग) यह मामला अब भी विचाराधीन है ।

प्रतिरक्षा कालेज

†७५७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिये लन्दन के इम्पीरियल डिफेन्स कालेज के नमूने पर यहां भी एक कालेज की स्थापना करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). इस आशय के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

विश्वविद्यालयों को विदेशी अनुदान

†७५८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा मंत्रालय की मार्फत विदेशी अनुदान या सहायता प्राप्त होती है ; और

(ख) वर्ष में इस प्रकार की कितनी सहायता मिलती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०८]**

केरल में अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां

†७५९. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तबसे राज्य सरकार से केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण योजना के क्रियान्वय के सम्बन्ध में कोई टिप्पण प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़िया नाटक

†७६०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़िया नाटक के विकास और संवर्द्धन के लिये उड़ीसा सरकार को १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कुछ वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). भारत सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है परन्तु संगीत नाटक अकादमी ने उड़िया नाटक के विकास के लिये १९५७-५८ में उड़ीसा के विभिन्न संगठनों को कुल ९००० रुपयों के अनुदान दिये थे । १९५८-५९ के लिये अनुदान अभी अकादमी ने निश्चित नहीं किये हैं ।

केन्द्रीय भारत-विद्या संस्था[1]

†७६१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भारत विद्या संस्था के विभिन्न विभागों के लिये पर्याप्त संख्या में विद्वानों को प्रशिक्षित कर लेने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक-गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जिन विश्व-विद्यालयों में संस्कृत और/या भारत-विद्या विभाग हैं उन्हें, और भारत-विद्या सम्बन्धी गवेषणा में लगे उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं से यह अनुरोध किया गया है कि वे उन विद्वानों का विवरण भेज जिनको इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये वह उपयुक्त समझते हों । जो सुझाव प्राप्त होंगे उन पर सरकार भारत-विद्या समिति के परामर्श से विचार कर लेगी ।

आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम

†७६२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट टीम हमारे देश में आने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस का कार्यक्रम बना लिया गया है ;

(ग) वह किस तारीख को आयेगी ; और

(घ) वह किन शर्तों पर हमारे देश का दौरा करने को राज़ी हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). यह टीम सम्भवतः १९५९-६० की सर्दियों में आयेगी । इस के कार्यक्रम और आने की शर्तों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Please consult Deptt

विश्व पैट्रोलियम सम्मेलन

†७६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ के मई और जून के महीनों में न्यूयार्क में जो विश्व पैट्रोलियम सम्मेलन होने वाला है क्या भारत उस में भाग ले रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह मामला विचाराधीन है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये परामर्शदाता इंजीनियर

†७६४. **श्री नाथ पाई** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड ने इस समय दुर्गापुर इस्पात कारखाने के परामर्शदाता इंजीनियरों को कुल कितने भारतीय टेक्नीशियन दिये हैं ;

(ख) ये टेक्नीशियन किन शर्तों पर रखे गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ४७ ।

(ख) वे हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं और उनकी नौकरी की शर्तें वही हैं जो हिन्दुस्तान स्टील में ऐसे ही पदों पर काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की हैं ।

(ग) ३,५५,३२५ ।

नौसेना के अभ्यास

†७६५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५८ में नौसेना के जो अभ्यास हुए थे उन में कितने भारतीय पोतों और विमानों ने भाग लिया ; और

(ख) अभ्यास में उन को कितनी सीमा तक सफलता प्राप्त हुई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) कोचीन से बम्बई तक के रास्ते में नौ पोतों और पांच विमानों ने इस अभ्यास में भाग लिया । जिस समय यह बेड़ा बम्बई पहुंचा, भारतीय वायु-सेना के कुछ विमानों ने भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास में भाग लिया ।

(ख) ये अभ्यास सफल रहे और अफसरों और जवानों को बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्

†७६६. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्यागिक गवेषणा परिषद् से संबद्ध संगठनों ने १९५४ से १९५८ में अब तक कितने और किस प्रकार के पेटेन्ट लिये हैं ; और

(ख) इस देश में या/और विदेशों में ये पेटेन्ट कितने उपयोगी सिद्ध हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् से सम्बद्ध संगठनों ने १९५४ से १९५८ (३ नवम्बर, १९५८ तक) की अवधि में २७६ पेटेन्ट लिये हैं। ये पेटेन्ट औद्योगिक और विकास मूलक हैं और विज्ञान और टेक्नॉ-लॉजी और के व्यापक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

(ख) इन पेटेन्टों में से (१) २४ पेटेन्टों के लाइसेन्स वाणिज्यिक विदोहन के लिये भारत के उद्योगों को दिये गये हैं, विदेशों के लिये एक भी नहीं है ; (२) २८ पेटेन्ट भारत के उद्योगों को निःशुल्क रूप से दिये गये हैं।

पिछड़े वर्गों का पुनर्वर्गीकरण

†**७६७. श्री बसुमतारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में नमूना सर्वेक्षण करने के विषय में डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल को क्या हिदायतें दी गई हैं या उन के निदेश पद क्या हैं ;

(ख) क्या आसाम के चाय-बागानों में और उनके बाहर भी बड़ी संख्या में काम करने वाली आदिम जातियों के लोगों को जिन्हें भूतपूर्व चाय बागान आदिम जातियां कहते हैं, अनुसूचित आदिम जाति माना जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) इस सर्वेक्षण के बारे में डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल को कुछ विशिष्ट निदेश नहीं दिये गये हैं। "अन्य पिछड़े वर्गों" की सुस्पष्ट परिभाषा के लिये सरकार को उपयुक्त मानदण्ड निर्धारित करने योग्य बनाने के उद्देश्य से उनसे यह कहा गया था कि १९५१ की जनगणना के आधार पर वह बम्बई, मद्रास और पश्चिम बंगाल निवासियों की साक्षरता और काम धंधों के विषय में जानकारी एकत्र कर भेज दें।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवेकाधीन निधियां[1]

†**७६८. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विवेकाधीन निधियों में से पिछले पांच वर्षों में आसाम राज्य की संस्थाओं/व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशियां मंजूर की गयी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Discretionary Funds.

भारतीय नागरिकता

†७६९. **श्री सुविमल घोष** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को छोड़ कर विदेशों के कितने निवासियों ने १९५७ और १९५८ में अब तक भारत के नागरिक बनने के आवेदन-पत्र भेजे हैं ;

(ख) ये किन-किन देशों के रहने वाले हैं ; और

(ग) ऐसे कितने आवेदन मंजूर किये गये हैं, कितने नामंजूर कर दिये गये हैं और कितने विचाराधीन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी के दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११०]**

पनडुब्बी-अभेद्य युद्ध पोतों की खरीद

†७७० { **श्री प्र० के० देव :**
श्री वि० च० प्रधान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौ-सेना के लिये पनडुब्बी-अभेद्य युद्धपोत खरीदने के आर्डर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस कीमत पर; और

(ग) क्या इन युद्ध-पोतों के संभरण के लिये विश्व-भर के देशों से टेंडर मांगे गये थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) पनडुब्बी-अभेद्य युद्ध-पोत की खरीद के लिये हाल ही में कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीकानेर में पकड़ा गया चोरी-छिपे लाया गया सोना

७७१. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९५८ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में कितने मूल्य का चोरी-छिपे लाया गया सोना पकड़ा गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में १ अगस्त, १९५८ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक चोरी-छिपे लाते हुए जो सोना पकड़ा गया उसका मूल्य १,३७,७६१,०० रुपये है ।

त्रिपुरा में परगना-हाकिमों[1] की नियुक्ति

†७७२. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में परगना हाकिमों की नियुक्ति का तरीका क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] S.D.O's.

(ख) क्या परगना हाकिमों के पद के उम्मीदवारों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना पड़ता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) परगना हाकिमों के पदों के लिये भर्ती चुनाव के आधार पर सब-ट्रेजरी आफिसर के तत्काल नीचे के पद से पदोन्नति द्वारा की जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पदों की संख्या बिल्कुल सीमित होने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती का तरीका उचित नहीं समझा जाता ।

नोटों का पकड़ा जाना

†७७३. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने २५ अक्तूबर, १९५८ को कलकत्ते के दमदम हवाई अड्डे पर ५१,००० रुपये के १००–१०० रुपये के भारतीय नोट पकड़े थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां । २५ अक्तूबर, १९५८ को कलकत्ते के दमदम हवाई अड्डे के सीमा-शुल्क अधिकारी ने हांगकांग को निर्यात के लिये बुक किये गये माल की जांच करते समय एक लकड़ी का बक्सा देखा जिसके बारे में शिपिंग-बिल में लिखा था कि यह एक उपहार की पार्सल है । सन्देह होने पर सीमा-शुल्क अधिकारी ने उस बक्स की सावधानीपूर्वक जांच की जिससे पता चला कि बक्स को मजबूत बनाने के लिये बाहर की ओर लगाये गये फलक होशियारी से भीतर से खोखले कर लिये गये हैं और उनमें १००–१०० रुपये के ५१,००० रुपयों के भारतीय नोट रखे हैं ।

सेनाओं में भर्ती

†७७४. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों सेनाओं के निम्न पदों पर भर्ती के लिये किन-किन बातों पर विचार किया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : तीनों सेनाओं में सामान्य सैनिकों के पदों पर भर्ती के लिये जिन मुख्य-मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है वह हैं आवेदकों की राष्ट्रीयता, आयु, शारीरिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिमान और शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें ।

फौजी ट्रकों की दुर्घटनायें

†७७५. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५६, १९५७ और १९५८ में फौजी ट्रकों और असैनिक बसों के बीच टक्कर की कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल कितनी जानें गयीं और फौजी तथा असैनिक सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची है, और

(ग) इन दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने वाली है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) इन तीन वर्षों में फौजी लारियों और असैनिक बसों या लारियों की टक्कर से हुई दुर्घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :—

१९५६ . . .	१०
१९५७ . . .	७
१९५८ . . .	११

(ख) दुर्घटनाओं के फलस्वरूप केवल एक असैनिक व्यक्ति की १९५६ में मृत्यु हुई थी । इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप १९५७ और १९५८ में एक भी मृत्यु नहीं हुई जहां तक फौजी और असैनिक सम्पत्ति को हुई क्षति का सम्बन्ध है, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार के मामलों का निबटारा विभिन्न यूनिटों ने किया था और तब से उनके स्थानों में परिवर्तन हो चुका है । यह जानकारी एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले फल के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) सशस्त्र सेनाओं में मोटरगाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या कम से कम करने के लिये सशस्त्र सेनाओं को समय समय पर (१) यातायात सम्बन्धी नियमों का, विशेष रूप से असैनिक और घने बसे क्षेत्रों में, कड़ाई से पालन, (२) चलती हुई मोटर गाड़ियों की फौजी उड़न-दस्तों द्वारा इस बात की जांच कि वे कहीं निर्धारित से अधिक रफ्तार पर तो गाड़ी नहीं भगा रहे हैं, और (३) रंगरूट ड्राइवरों को निर्धारित प्रतिमान तक प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले यूनिटों में नियुक्त न करने की हिदायतें दे दी जाती हैं ।

'राजपथों पर आचरण के नियम', 'रफ्तार सम्बन्धी प्रतिबन्धों', 'एम० टी० अनुशासन' आदि के विषय में भी हिदायतें मौजूद हैं और समय समय पर जारी और पुनरीक्षित की जाती हैं । फौजी ट्रकों की प्रत्येक दुर्घटना की जांच अदालत में की जाती है और अपराधी पाये गये व्यक्ति व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया जाता है ।

वैस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिये विदेशी मुद्रायें

†७७६. **श्री अरन्विद घोषाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी सर्दियों में वैस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के दौरे के लिये कुछ विदेशी मुद्रायें मंजूर की गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) १६,५०० पौण्ड ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के कर्मचारी

†७७७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में असिस्टेंटों और क्लर्कों के कितने कितने प्रतिशत पद सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित कर दिये हैं ;

(ख) इन्हें न भरने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ये कब तक भरे जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के असिस्टेंटों और क्लर्कों के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा[1] की पदालियों में सम्मिलित हैं और इन पर प्रत्यक्ष भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चलायी जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण सचिवालय के लिये की जाती हैं। इस भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये क्रमशः १२½ प्रतिशत और ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहते हैं। अन्य प्रकार से भरे जाने वाले क्लर्कों के पदों में क्रमशः १६.२३ और ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहते हैं।

(ख) और (ग). स्थानों को भरने में यह कमी उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी और इस कारण भी होती है कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किये गये उम्मीदवार जातियों के आधार पर विभिन्न मन्त्रालयों को नहीं दिये जाते। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इन जातियों के लिये रक्षित स्थानों का कोटा कब तक पूरा हो सकेगा।

सेवा निरंतरता और परिवीक्षा-अवधि नियम[2]

†७७८. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी भी वेतन-क्रम वाले किसी कर्मचारी को उसी विभाग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है या पदोन्नति पर उसे अन्य किसी विभाग को स्थानांतरित किया जाता है तो क्या उसकी पिछली सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये परिवीक्षा की कितनी कितनी अवधि विहित है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां। किसी कर्मचारी की सेवा की निरन्तरता केवल उसी अवस्था में भंग होती है जब उसे नौकरी से मुक्त किया जाता है, हटाया जाता है या बर्खास्त किया जाता है पदोन्नति या ऊंचे पद पर स्थानान्तरण होने पर कर्मचारी की सेवा की निरन्तरता कायम रहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Central Sectt. Clerical Service.

२ Service Continuity and Probation Period Rules.

(ख) केन्द्रीय सेवाओं में सभी श्रेणियों के पदों के लिये परिवीक्षा की कोई एक-सी अवधि विहित नहीं है। परिवीक्षा की अवधि जो एक से दो वर्ष तक की होती है, प्रत्येक सेवा विभाग के लिये उसकी आवश्यकतानुसार अलग निश्चित की जाती है। अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे जमा करने में बड़ा श्रम और समय लगेगा।

सोने का तस्कर व्यापार

७७९. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री पांगरकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९५८ से अब तक देश में कुल कितने मूल्य का अवैध सोना बरामद किया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १ अगस्त १९५८ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में चोरी-छिपे लाये जाते हुए जो सोना कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा उसका मूल्य २७,८४,३२७ रुपये था।

(ख) १६९

उड़ीसा में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†७८०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने उड़ीसा में कल्याण विस्तार परियोजनायें चलायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनायें किन किन स्थानों पर आरम्भ की गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १११]**

हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज

†७८१. **श्री जीन चन्द्रन्** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण के लिये प्रतिवर्ष कितने छात्रों को भर्ती किया जाता है और इनका पाठ्यक्रम कितने दिनों का है;

(ख) क्या यह कालेज केवल उन्हीं पदाधिकारियों के लिये है जो नौकरी में हैं, यदि हां, तो भर्ती के लिये आयु की अधिकतम सीमा क्या है; और

(ग) इस प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक छात्र पर भारत सरकार का कितना व्यय होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज प्रति वर्ष तीन तीन महीने की अवधि के तीन कोर्स चलाता है। अब तक जो तीन कोर्स चलाये जा चुके हैं उन में भर्ती किये गये छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

पहला कोर्स	६ दिसम्बर, ५७ से २८ फरवरी, '५८	३०
दूसरा कोर्स	१३ जून, ५८ से ५ सितम्बर, '५८	३६
तीसरा कोर्स	२६ सितम्बर, ५८ से १९ दिसम्बर, '५८	३७

पूरी तरह संगठित होने पर इस कालेज में प्रत्येक कोर्स में ६० उम्मीदवार भर्ती किये जायेंगे।

(ख) उद्योग, वाणिज्य, सरकारी विभागों और अन्य संगठनों में वरिष्ठ कार्य पालक पदों पर काम करने वाले और आम तौर पर १०-१५ वर्ष के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है। कोई निश्चित आयु सीमा तो नहीं है, परन्तु आम तौर पर ३०–४५ वर्ष की आयु के व्यक्ति लिये जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार कालेज को प्रथम तीन वर्षों के लिये प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये का आवर्त्तक अनुदान दे रही है। इस आधार पर प्रत्येक उम्मीदवार पर होने वाले व्यय में सरकार का अंश १६६६ रुपये पड़ता है। इस के अलावा सरकार प्रशिक्षण के लिये इस कालेज में भेजे जाने वाले केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों की फीस का और अन्य खर्च भी देती है।

देहली पब्लिक लाइब्रेरी

†**७८२. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहली पब्लिक लाइब्रेरी के पुनर्संगठन की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ऐसी कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आदिम जाति क्षेत्र

†**७८३.** { **श्री उ० च० पटनायक :**
श्री मोहन नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ सरकार आदिम जाति क्षेत्रों में जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करती है उनके मन में आदिम जातियों के प्रति सहानुभूति के भाव को प्रोत्साहन देने के लिये उसने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : आदिम जाति क्षेत्रों में जो पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं वह राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं। इन पदाधिकारियों को आदिम जातियों संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिये कुछ राज्यों ने स्वयं प्रबन्ध कर रखा है। बम्बई की टाटा समाज विज्ञान संस्था[1] में राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का खर्च पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने भी अनुदान मंजूर किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Tata Institute of Social Sciences.

आदिम जाती प्रविधिक संस्था[1]

†७८४. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल की आदिम जाति प्रविधिक संस्था में ओवरसियर कोर्स के लिये आदिम जाति के लड़कों की सदा कमी रहती है; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीपुर के बाहर की संस्थाओं में ओवरसियर कोर्स के लिये स्थान मिलना कठिन होता है, क्या सरकार ने अगले सेशन से आदिम जाति प्रविधिक संस्था में गैर-आदिम जाति छात्रों को भर्ती करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं । यह मामला विचाराधीन है ।

असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परामर्शदातृ परिषद्

†७८५. **डा० सुशीला नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदातृ समिति के सदस्यो के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों में उन्होंने कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं ;

(ग) उनमें से अब तक किन किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है; और

(घ) असमर्थ बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के किये एक व्यापक योजना तैयार और क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११२]**

भंगियों के लिये हाथ गाड़ियां और ठेले[2]

†७८६. **श्री बै० च० मलिक** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं और अन्य निकायों द्वारा रखे जाने वाले भंगियों को हाथ गाड़ियों और ठेलों के सम्भरण की योजनायें दी हैं; और

(ख) क्या उपर्युक्त प्रयोजन के लिये उड़ीसा सरकार को मंजूर की गयी ३९,००० रुपयों की राशि ले ली गयी है ?

†**गृह-कार्य उप मंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार से प्रगति का प्रतिवेदन अभी मिला नहीं है । अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]. Adimjati Technical Institute.

[2]. Handicrafts and Barrows.

प्राइमरी शिक्षा

†७८७. **श्री बैं० च० मलिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को प्राइमरी शिक्षा के लिये १९५८–५९ में अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन उड़ीसा राज्य को प्राइमरी शिक्षा के लिये कुल कितनी राशि दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन वाले विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता का भुगतान करने के लिये इस वर्ष जो नयी प्रक्रिया लागू की गयी है उस के अनुसार अलग अलग योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को पृथक मंजूरी अग्रिम नहीं दी जाती । विकास के सभी क्षेत्रों के लिये स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के ३/४ भाग तक की एक मुश्त अर्थोपाय पेशगियां नियमित माहवारी किश्तों में दी जाती हैं और माहवारी किश्तें, मई, १९५८ से आरम्भ होती हैं । किसी भी श्रेणी की योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा सकेगी इस का हिसाब वर्ष की चौथी तिमाही में इस बात के आधार पर लगाया जायेगा कि पिछली तीन तिमाहियों में राज्य ने वास्तव में कितनी प्रगति की है और चौथी तिमाही के प्राक्कलन क्या हैं । उस समय प्रत्येक योजना के लिये १९५८–५९ के केन्द्रीय अनुदानों की मंजूरी दी जा ेगी ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय प्रारम्भिक शिक्षा के लिये (जिस में बुनियादी शिक्षा भी शामिल है) उड़ीसा राज्य के लिये २६५.२३ लाख रुपयों की मंजूरी दी गई थी ।

दिल्ली के बेसिक स्कलों के अध्यापक

†७८८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६४ के उत्तर के संबंध में यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बेसिक स्कूलों के शेष अध्यापकों को स्थायी बना दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) दिल्ली के बेसिक स्कूल तब से दिल्ली नगरपालिका निगम को हस्तांतरित किये जा चुके हैं और यह मामला अब उन के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीमा

†७८९. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में 'अन्य श्रेणियों'[१] में आने वाले सैनिको को भविष्य निधि में जमा की गयी राशि से बीमा कराने की अनुमति नहीं दी जाती; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की श्रेणी के नीचे के कर्मचारियों के लिये लम्बे कार्य-काल का उपबन्ध नहीं है । सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की भविष्य-निधि का उद्देश्य उन्हें अपने सेवा-काल में कुछ रुपया जमा कर लेने के योग्य बनाना है जो असैनिक जीवन में उन्हें अपना पुनर्वास करने में सहायक हो सके और सेवा काल में भी विवाह तथा अन्य अनिवार्य रीति-रस्म पूरी करने में सहायक हो सके । वरिष्ठ पदों वाले कर्मचारियों के, जैसे जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये यह बचत का रुपया मकान खरीदने अथवा बनवाने के उद्देश्य के लिये सुरक्षित रखा जाता है । निधि में रुपया जमा करना अपनी इच्छा पर निर्भर है, अनिवार्य नहीं, और कर्मचारियों से उपर्युक्त कारणों के आधार पर यह अपेक्षा की जाती है कि यदि वह कोई बीमा करायें तो उस का रुपया सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा कराये रुपये में से न दे कर अन्य प्रकार से की गयी बचत में से दें ।

स्वदेशी वस्तुओं का प्रभावपूर्ण उपयोग

†७९०. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी वस्तुओं में आवश्यकतानुसार सुधार कर उन्हें अपनाने और उनका प्रभावपूर्ण उपयोग करने का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) क्या मंत्रालय काम न दे सकने योग्य ट्रकों और अन्य फौजी गाड़ियों को ठीक करने वाला है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या अनुभव हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां ।

(ख) मरम्मत योग्य ऐसी गाड़ियों को, जिन की जरूरत होती है, प्रावस्थाभाजित मरमत कार्यक्रमों के अधीन सेना की बेस वर्कशापों में ठीक कर लिया जाता है या उन का पूर्ण-प्रतिसंस्कार[२] कर दिया जाता है ।

(ग) ई० एम० ई० की बेस वर्कशापों में जिन गाड़ियों का पूर्ण-प्रतिसंस्कार हो चुका है वे सन्तोषजनक रूप से काम कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१. Osher Ranks.

२. Overhauling.

अप्रवासी मुसलमान

७९१. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अक्तूबर, १९५२ से देश में (राज्यानुसार) कितने मुसलमान बाहर से आ कर भारत में बसे हैं;

(ख) तब से कितने मुसलमान परिवार पाकिस्तान चले गये;

(ग) उक्त अवधि में कितने मुसलमान पारपत्र पद्धति के आधार पर भारत आये किन्तु जब वापस पाकिस्तान जाने के लिये तैयार नहीं हैं; और

(घ) जो मुसलमान पाकिस्तान से आ कर भारत में बस गये अथवा जो पारपत्र पद्धति के अधीन भारत आये क्या उन में से कोई पंचमार्गी होने के अपराध में गिरफ्तार किये गये ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क)

राज्य	३१ अक्तूबर १९५८ तक आने वालों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	१३३
असम	३
बिहार	७७
बम्बई	१,३१७
दिल्ली	६३२
हिमाचल प्रदेश	३
केरल	२
मध्य प्रदेश	१४५
मद्रास	५८
मैसूर	२१
उड़ीसा	१४
पंजाब	२६४
राजस्थान	२३०
त्रिपुरा	४
उत्तर प्रदेश	१,२९६
पश्चिम बंगाल	३४
जोड़	४,२३७

(ख) यह सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ग) फिलहाल केवल १९५६ और १९५७ के ही आंकड़े प्राप्त हैं । इन दो सालों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५१,६९६ है ।

(घ) कुछ पाकिस्तानी नेशनल्ज द्वारा अनुचित कार्यवाहियां की जाने का पता लगा है ।

पंजाब में लौह अयस्क के लिये निक्षेप

†७९२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में अच्छी किस्म के लौह अयस्क के निक्षेप बड़े परिमाण में मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में, और उनके परिमाण क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं । केवल कुछ मामूली निक्षेपों का पता चला है ।

(ख) मध्यम आकार वाली अच्छी किस्म की लौह अयस्क के जो निक्षेप मिले हैं वह इस प्रकार हैं :

स्थान	परिमाण	किस्म
१. धर्मन के निकट उल नदी के बायें तट पर—कांगड़ा जिले में	५ लाख टन	६ मील लम्बी इस पट्टी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किस्म की अयस्क है ।
२. महेन्द्रगढ़ जिला—महेन्द्रगढ़ के छपरा—अंत्री-बिहारीपुर में लौह अयस्क का पता चला है	१० लाख टन से कुछ अधिक	अयस्क अच्छी किस्म की है जिसमें औसतन ६०.७८ प्रतिशत कोयला होने की संभावना है ।

महेन्द्रगढ़ जिले की घनोटा और दादरी तहसीलों के निकट भी लौह अयस्क मिलने की खबर है ।

पुस्तकों के सस्ते संस्करण

†७९३. **श्री हेम बरूआ :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने प्रकाशन और पुस्तक-उत्पादन के सम्बन्ध में जो विचारगोष्ठी आयोजित की थी उस में शिक्षा मंत्री ने यह संकेत किया था कि सरकार पेंग्विन और पेलिकन पुस्तकमालाओं की पुस्तकों के सस्ते संस्करणों के उत्पादन में मदद देने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव का व्यौरा तैयार हो गया है; और

(ग) वह किस प्रकार का है ?

†**शिक्षा मंत्री (डॉ० का० ला० श्रीमाली) :** (क) इस विचार गोष्ठी में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था "विभिन्न विषयों पर कम खर्चीली पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में प्रकाशन करने के लिये पिछले वर्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना की गयी थी । हमें ज्ञात है कि अंग्रेजी की पेलिकन और पेंग्विन पुस्तकें विश्व के लिये कितनी उपयोगी सिद्ध हुई हैं । हमारा लक्ष्य इस बात की व्यवस्था

†मूल अंग्रेजी में

करना भी है कि अच्छी पुस्तकें, चाहे वह किसी भी भाषा की क्यों न हों, सामान्य जन के पास तक पहुंच जायें ।" (हिन्दी में दिये गये भाषण से)

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

वार्षिक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी

†७९४. **श्री हेम बरूआ :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ललित कला अकादमी वार्षिक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अब तक दिये जाने वाले एकमात्र पुरस्कार के स्थान पर कला की बौद्धिक, प्राच्य और आधुनिक शैलियों की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों के लिये तीन पुरस्कार प्रदान करने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो मूल प्रक्रिया में परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) ललित कला अकादमी ने चित्रकला की तीनों बौद्धिक—वास्तविक, प्राच्य और आधुनिक—शैलियों में से प्रत्येक की तीन-तीन सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों पर १०००–१००० रुपये के ९ पुरस्कार देने का निश्चय किया है । इन नौ कलाकृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति को, यदि उसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मान लिया जाय तो, उस वर्ष का स्वर्ण सिध्न[1] भी प्रदान किया जा सकता है ।

(ख) मुख्य कारण देश में चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रोत्साहन देना और मान्यता प्रदान करना है ।

पैट्रोलियम उत्पाद

†७९५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के लिये भारत की पैट्रोलियम उत्पादों सम्बन्धी आवश्यकताओं के दीर्घकालीन प्राक्कलन क्या हैं; और

(ख) भारत में इस समय तेल शोधनशालाओं के काम करने के फलस्वरूप विदेशी मुद्राओं की ठीक-ठीक कुल कितनी बचत हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) देश में पैट्रोलियम उत्पादों की भावी आवश्यकताओं को गोपनीय माना जाता है और इसीलिये लोकहित में प्रगट नहीं किया जाता ।

(ख) भारत के रिजर्व बैंक ने जो हिसाब लगाया है उसके अनुसार १९५५ में (रक्षित आय[2] को छोड़ कर) २.६२ करोड़ रुपये की और १९५६ में ३.२२ करोड़ रुपयों की बचत हुई । इन हिसाबों की और आगे जांच की जा रही है; १९५७ के बारे में भी इसी प्रकार का पुनरीक्षण चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१. Plaque

२. Retained earnings

सशस्त्र सेना के प्रधान कार्यलय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

७९६. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना के प्रधान कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर पहले किये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस तिथि तक जिन विषयों के बारे में निर्णय नहीं किया गया था उनके बारे में अन्तिम निर्णय करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). स्थितिसूचक एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सशस्त्र सेना प्रधान कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उठाए गए मामलों पर पहले किए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने में प्रगति :—

क्र० सं०	विषय	स्थिति
१	वर्दियां प्रत्येक व्यक्ति के नाप की बनवाई जानी चाहिएं । १०-४-५८ को उत्तर दिये गये अतरांकित प्रश्न संख्या २२६४ के उत्तर में संलग्न विवरण का विषय नम्बर ५)	अब वर्दी की प्रत्येक चीज़ व्यक्ति के नाप के अनुसार जारी की जाती है ।

(ख) सशस्त्र सेना प्रधान कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उठाए गए उन मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय किए जाने के बारे में प्रगति, जिन के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया गया था ।

१	सुरक्षादल के कर्मचारियों को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं का दिया जाना । (१०-४-५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ के उत्तर में संलग्न विवरण का विषय नम्बर ६)	उन्नति देने के विषय में उपयुक्ता के साधारण नियमों के अधीन आने वाले सुरक्षादल के चपरासियों से अन्य चपरासियों जैसा बर्ताव किया जाता है । सुरक्षादल के उपयुक्त चपरासी अर्धस्थायी घोषित किये गये हैं । सुरक्षादल के अस्थायी चपरासियों की आसामियों को स्थायी बनाने के विषय में एक मामले पर सरकार विचार कर रही है ।
२	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये हिन्दी कक्षाएं जारी की जायें (उसी का विषय नम्बर ७)	सरकार अभी मामले पर विचार कर रही है ।
३	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निवासस्थानों में बिजली के पंखे लगाये जायें । (उसी का विषय नम्बर ८)	सरकार अभी मामले पर विचार कर रही है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

लैन्सडौन, लन्धौर और चकरौता छावनियों का विकास

७९७. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैंसडौन, लन्धौर और चकरौता के छावनी बोर्डों को जो अनुदान १९५७-५८ में स्वीकृत किये गये थे उनमें से कितनी राशि (मदवार) राशि व्यय की गई है ।

(ख) उपरोक्त छावनियों को १९५८-५९ के वर्तमान चालू वर्ष में विभिन्न विकास कार्यों के लिये कितना-कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है; और

(ग) उन स्वीकृत धनराशियों के उपयोग में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११३**]

इंजीनियरिंग का डिप्लोमा

†७९८. **श्री वाजपेयी :**
श्री बांगशी ठाकुर :
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती सुचेता कृपलानी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति के लिये लखनऊ के हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल के अर्हताप्राप्त ओवरसियरों के बारे में तो विचार कर लिया जाता है लेकिन इलाहाबाद के सिविल इंजीनियरिंग स्कूल वालों के बारे में विचार नहीं किया जाता;

(ख) क्या यह सच है कि एक सम्मिलित परीक्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश का इंजीनियरिंग शिक्षा सम्बन्धी तदर्थ बोर्ड इन सभी संस्थाओं के ओवरसियरों को सिविल इंजीनियरिंग का एक-सा ही डिप्लोमा प्रदान करता है; और

(ग) इस प्रकार का भेद-भाव क्यों किया जाता है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार सिविल इंजीयरिंग के लिये जो ओवरसियर सर्टिफिकेट देती है उसे केन्द्रीय सरकार ने १९५५ में अस्थायी तौर पर मान्यता प्रदान की थी । उस समय लखनऊ के हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल इस सर्टिफिकेट के लिये अभ्यर्थियों को तैयार करते थे ।

राज्य सरकार ने १९५८ में अपने इंजीनियरिंग शिक्षा संबंधी तदर्थ बोर्ड का पुनर्संगठन कर उसे राज्य की विभिन्न प्रविधिक संस्थाओं के लिये पाठ्य-क्रम निर्धारित करने, परीक्षायें लेने

---

†मूल अंग्रेज़ी में

और प्रमाणपत्र देने के अधिकार प्रदान कर दिये । लखनऊ के हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, इलाहाबाद का सिविल इंजीनियरिंग स्कूल और राज्य की अनेकों अन्य संस्थायें, जो हाल ही में स्थापित हुई हैं, अब इस तदर्थ बोर्ड से सम्बद्ध हैं । बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमा और सर्टिफिकेटों को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली के लिये कोयला

†७९९. **श्री वाजपेयी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अपना शीतकालीन रक्षित स्टाक जमा करने के उद्देश्य से कोयले का अतिरिक्त संभरण प्राप्त करने के लिये राज्य व्यापार निगम की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध का क्या उत्तर मिला है ; और

(ग) क्या इस सौदे की शर्तें और निबंधन तैयार हो गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). सर्दी के महीनों में दिल्ली में घरेलू कोक की कमी न होने देने के लिये दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर राज्य व्यापार निगम इस सीजन में कोयले का अतिरिक्त संभरण करने के लिये राजी हो गया है । इस सौदे की शर्तें और निबन्धन राज्य व्यापार निगम और दिल्ली प्रशासन के आपस में मिल कर तैयार कर लिये हैं ।

भ्रष्टाचार के मामले

†८००. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने कुल कितने भ्रष्टाचार के मामले चलाये और इन में अन्त में कितने व्यक्ति दण्डित हुए ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११४]**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†८०१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ;

(ख) क्या इस संख्या से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान पूरे हो जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**गृह-काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लुनेज में भूमि का अर्जन

†८०२. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री अ० उ० परमार :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुनेज में तेल के लिये छिद्रण करने के प्रयोजन से अर्जित की गयी भूमि के लिये कुछ प्रतिकर दिया गया था ; और

(ख) प्रति एकड़ कितनी राशि दी गयी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) केवल तीन मामलों को छोड़ कर छिद्रण स्थान संख्या १ के लिये अर्जित की गई अन्य भूमि के लिये प्रतिकर दिया जा चुका है । इन तीन भूस्वामियों में से दो ने प्रतिकर लेने से इंकार कर दिया और एक का दावा संशयात्मक प्रतीत होता है । छिद्रण स्थान संख्या २ के लिये और स्थान संख्या १ पर ली गई कुछ अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में फसल के प्रतिकर को छोड़ कर अन्य किसी प्रतिकर का भुगतान नहीं हुआ है ।

(ख) प्रति एकड़ भूमि के लिये १११ रुपये दिये गये हैं ।

दिल्ली पुलिस

८०३. **श्री भक्त दर्शन ।**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में दिल्ली पुलिस में कितनी भर्ती की गई ;

(ख) उन में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उन की संख्या उन के लिये निर्धारित कोटे से कम है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११५]**.

(ग) जी हां ।

(घ) अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये शारीरिक और शैक्षणिक योग्यताओं में छट दे देने के बावजूद भी उन जातियों के योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

गन्ने का मल्य बढ़ान म कथित विफलता

†**अध्यक्ष महोदय:** मुझे श्री राम सेवक यादव तथा श्री अर्जुनसिंह भदौरिया के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। वे निम्न बातों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं :—

> "गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं द्वारा सर्व-सम्मति से पारित संकल्पों पर भारत सरकार द्वारा कार्यवाही करने में विफलता।"

लगभग ८ नवम्बर को या उस के पूर्व गन्ने के मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में मुझे श्री खुश-वक्त राय के एक प्रस्ताव की सूचना मिली थी जिस में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं ने गन्ने का मूल्य बढ़ा कर निर्धारित करने के लिये जो सिफारिश की है, उस पर चर्चा की जाये। १६ तारीख को मैं ने एक आदेश दिया था "कि उस सूचना को ध्यान दिलाने वाली सूचना क्यों न मान लिया जाये जिस पर सरकार एक वक्तव्य दे। यदि फिर भी वे चर्चा चाहते हैं तो हम बाद में विचार कर सकते हैं।" उस के बाद हम ने माननीय मंत्री को लिखा ? उन्हें अभी तक सभा के सामने वक्तव्य देने का अवसर नही मिला। क्या वह आज वक्तव्य दे सकते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मैं कुछ दिनों में या यदि आप चाहें तो आज ही वक्तव्य दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री वक्तव्य आज दे दें। हमें मामले को लंबित नहीं रखना चाहिये।

†**श्री यादव** (बाराबंकी) : उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों ने हड़ताल करने तथा मिलों को गन्ना देने बन्द करने का निश्चय कर लिया है, अतः यदि माननीय मंत्री १५ दिसम्बर तक मूल्य निर्धारित कर लें तो अच्छा हो।

†**श्री अ० प्र० जैन** : गन्ने का मूल्य सरकार गन्ने की फसल कटने के एक वर्ष पूर्व निर्धारित करती है। १९५८-५९ की फसल के लिये गन्ने का मूल्य या तो दिसम्बर १९५७ में या १९५८ के आरम्भ में, अर्थात् गन्ने की फसल बोई जाने के पूर्व निर्धारित किया था। गन्ने का मूल्य मिल के दरवाजे पर १ रु० ७ आने तथा बाहर १ रु० ५ आने निर्धारित किया गया था। यही मूल्य अब भी चालू है।

मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार की विधान सभाओं ने मूल्य बढ़ाने के लिये संकल्प पारित किये हैं। पर परिपाटी यह है कि एक बार घोषित किया गया मूल्य आगामी फसल पर लागू होता है।

इस सभा में कई बार बताया गया है कि मिलों पर १ रु० ७ आने तथा बाहर १ रु० ५ आने मूल्य होने पर भी गन्ने की खेती बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तो अनाज पैदा करने वाले खेतों में भी गन्ने की खेती होने लगी है। यह मूल्य काफी लाभप्रद है और सरकार १९५८-५९ के लिये मूल्य बढ़ाना नहीं चाहती। १९५९-६० के लिये मूल्य का मामला सरकार के सामने बाद में आयेगा और बाद में ही निर्धारित मूल्य की घोषणा की जायेगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

यदि कोई दल किसानों को उकसाता है कि वे मिलों को गन्ना न दें, तो यह गन्ना उत्पादकों के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। यदि गन्ना उत्पादक मिलों को गन्ना नहीं देंगे तो उन को बहुत हानि होगी ।

अतः मेरा निवेदन है कि सरकार ने अपनी नीति की घोषणा समय से कर दी है और उस में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस नीति के विरुद्ध कोई भी आन्दोलन गन्ना उत्पादकों या अन्य किसी के लिये लाभदायक नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रश्न यह है कि क्या स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जा सकती है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश विधान मंडलों के संकल्पों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री को पता है। उन का कहना है कि अब सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यह एक निरन्तर चलने वाला मामला है अतः स्थगन प्रस्ताव इस के लिये समुचित उपाय नहीं है। मैं, माननीय मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की बैठक में भाग लेने वालें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की तेरहवीं वार्षिक बैठक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के गवर्नर बोर्ड की दूसरी वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १०६१/५८]

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा टर्न ओवर) नियमों में संशोधन

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन तथा निकासी) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५९ द्वारा संशोधित दिनांक १ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८९६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १०९५/५८]

आश्वासनों पर की गयी कार्यवाही क बारे में विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** मैं विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २ दूसरी लोक-सभा का पहला सत्र, १९५८ ।

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११६]

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ११ दूसरी लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५८ ।

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११७]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३ दूसरी लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५७ ।

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११८]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १० पहली लोक-सभा का पन्द्रहवां सत्र, १९५७ ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११९]

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमों में संशोधन

†**गृह-काय उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिए एल० टी० १०६२/५८]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९५४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ९५४ दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ९५५, दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८ ।

(३) जी० एस० आर० संख्या १०१६, दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(४) जी० एस० आर० संख्या १०१७, दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(५) जी० एस० आर० संख्या १०१९, दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १०६८/५८]

कार्य मंत्रणा समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यानारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १ दिसम्बर, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार जारी रखेगी। पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना संशोधन रख सकते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): मैं अपना संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं जिसके द्वारा मैं एक नया खण्ड ३-क रखना चाहता हूं।

मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक के पारण के बाद एक महीने के अन्दर ही एक स्थायी संसदीय उप-समिति नियुक्त की जानी चाहिये, जो सभी समितियों के सम्बन्ध में छानबीन करे, उन समितियों की भी जो इस विधेयक की अनुसूची में दी गई हैं और अन्य समितियों की भी। वह समिति सभी समितियों के पदों और उनके कृत्यों की जांच करके संसद् के सामने अपनी सिफारिशें रखे कि अनुसूची में किन-किन समितियों के नाम और सम्मिलित किये जायें। तभी अनुसूची पूर्ण होगी और तभी उसका पूरी तौर से प्रचार किया जाये।

इस अनुसूची में उन सभी समितियों के नाम रहने चाहियें जिनको संसद् अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत विमुक्त कर रही है। तब इसमें कोई भी अस्पष्टता नहीं रह जायेगी। अभी वर्तमान खण्ड ३ (झ) की भाषा कुछ प्रकार की रखी गई है कि उससे तो सभी वर्तमान और भावी समितियों के पदों को विमुक्ति मिल जाती है।

हमें अपने संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिये। इस तरह उसे अनदेखा नहीं करना चाहिये। बड़ी सावधानी और गम्भीरता से विचार करने के बाद ही यह तय किया जाना चाहिये कि किन समितियों के किन पदों को अनर्हित किया जाये। संयुक्त समिति ने १३०० से अधिक समितियों के गठन पर विचार नहीं किया है। आपने स्वयं ही २५ नवम्बर को सभा में कहा था कि लाभपद धारण करने वाले सभी व्यक्तियों को संसद् सदस्यता से अनर्हित करना चाहिये। आपने ही कहा था कि प्रत्येक संसद्-सदस्य के सभी समितियों की सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति नहीं रहनी चाहिये।

इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखते समय, माननीय प्रस्तावक ने स्वयं ही कहा था कि विमुक्ति देने से पहले प्रत्येक पद के सम्बन्ध में विचार करलेना चाहिये। मेरी अपनी राय तो यह है कि जब तक हम इस बात से सन्तुष्ट न हो जायें कि किसी संसद्-सदस्य विशेष को किसी समिति का पद ग्रहण करने की अनुमति न देने से देश को हानि पहुंचने की सम्भावना है, तब तक उसे विमुक्त नहीं किया जाना चाहिये। बिना विचार किये, सभी संसद् सदस्यों को इतनी व्यापक विमुक्ति दे देना उचित नहीं होगा।

विमुक्ति देने से पहले, हमें प्रत्येक समिति के सम्बन्ध में विचार कर लेना चाहिये। संयुक्त समिति को सभी समितियों के सम्बन्ध में विचार करने का अवसर नहीं मिल पाया था। इसलिये सभी समितियों के पदों को इस प्रकार विमुक्त नहीं करना चाहिये।

यह बहुत जरूरी है कि प्रत्येक समिति के गठन पर विचार किया जाये। यह अभी तक नहीं हो पाया है।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि सभी समितियों के गठन की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सभी समितियों के सभी पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को संसद्-सदस्यता से अनर्हित किया जाना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये। मैं तो समझता हूं कि देश के विकास की दृष्टि से हमें उद्योगों, स्वास्थ्य इत्यादि से सम्बन्धित समितियों में भाग लेने से संसद् सदस्यों को अनर्हित नहीं करना चाहिये। इसीलिये संयुक्त समिति ने लगभग १३०० समितियों पर विचार करने के बाद, उनमें से १२०० से अधिक समितियों को विमुक्त किया है।

लेकिन संविधान के प्रति ईमानदारी बनाये रखने के लिये यह जरूरी है कि हम प्रत्येक समिति के गठन पर विचार अवश्य कर लें। इसलिये अनुसूची को पूर्ण करने के लिये ऐसी संसदीय समिति नियुक्त करना अत्यावश्यक है। यह समिति छैः महीनों में सभी समितियों के गठन पर विचार कर लेगी।

माननीय विधि मंत्री स्वयं ही यह मानते हैं कि स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिये। हां, उसे उन्होंने विधेयक में नहीं रखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अनुसूची छैः महीनों में पूरी हो जाये। इसलिये सभा को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे सामान्य ढंग से सभी को विमुक्त करना ठीक है? खण्ड ३ के उपखण्ड (ज) तक तो ठीक है, लेकिन खण्ड (झ) में तो प्रतिकर भत्ते से अधिक पारिश्रमिक न पाने वाले सभी व्यक्तियों को विमुक्ति दे दी गई है। अनुच्छेद १०२ में संसद् द्वारा घोषित पदों के अतिरिक्त सभी को अनर्हित किया गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि संसद् को प्रत्येक पद के सम्बन्ध में छानबीन करना चाहिये? इतनी व्यापक विमुक्ति कहां तक उचित है?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : कल खण्ड ३ पर विचार करते समय कुछ माननीय सदस्यों ने यही कहा था और मैंने उसके उत्तर में कहा था कि वर्तमान अधिनियम और इस विधेयक के अन्तर्गत विमुक्ति का सिद्धान्त यही माना गया है कि प्रतिकर भत्ते के अतिरिक्त कुछ और न पाने वाले, संविहित और गैर-संविहित निकायों के सभी सदस्यों को विमुक्त कर दिया जायेगा। अनुसूची में भी यही कसौटी रखी गई है। विधेयक में भी यही है। इसलिये, मैं समझता हूं कि राज्य या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले हजारों निकायों की ब्यौरेवार छानबीन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब संयुक्त समिति को इस पर छैः आठ महीने खर्च नहीं करने चाहिये थे।

†**श्री अ० कु० सेन** : समिति ने विभिन्न निकायो की जो छानबीन की है, उसका कारण कुछ और ही था। यह तो स्पष्ट था कि उनमें कुछ ऐसे निकाय भी थे, जिनकी सदस्यता ग्रहण करने वाले माननीय सदस्य, अन्य सदस्यों की अपेक्षा, अपना प्रभाव अधिक बढ़ा सकते थे। संयुक्त समिति ने इन संविहित और गैर-संविहित निकायों की छानबीन यह देखने के लिये ही की थी कि किन समितियों को अनर्हित किया जाये और किन को उपखण्ड (झ) के अन्तर्गत विमुक्ति दी जाये। इसीलिये, अनुसूची रखी गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका अर्थ तो यह हुआ कि जिन व्यक्तियों को वेतन नहीं, बल्कि प्रतिकर भर मिलता है, उन सभी व्यक्तियों को उपखण्ड (झ) के अन्तर्गत विमुक्त कर दिया गया है; लेकिन उनमें प्रतिकर भर पाने वाले वे व्यक्ति नहीं आते जिनसे सम्बन्धित निकायों पर विचार किया जा चुका है।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह कहना उचित नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिनसे सम्बन्धित निकायों पर विचार किया जा चुका है और जिनको अनुसूची में रख दिया गया है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : विचार तो लगभग १२०० निकायों पर किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें मुझे कठिनाई यह महसूस हो रही है कि यदि अभी उपखण्ड (झ) के अन्तर्गत कुछ निकायों के सदस्यों को इस प्रकार सामान्य ढंग से विमुक्ति मिल जाती है, तो बाद में उनसे सम्बन्धित निकायों की जांच करने पर हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि उनमें से कुछ को विमुक्ति नहीं मिलनी चाहिये । लेकिन, जब तक ऐसे निकायों पर विचार नहीं हो जाता, तब तक वे विमुक्ति का लाभ उठाते ही रहेंगे । माननीय सदस्य को इसी पर आपत्ति है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह खामी तो है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो क्या सभा यह मान ले कि इस विधेयक के पारित होने के बाद भी सरकार अन्य समितियों के सम्बन्ध में विचार करती रहेगी और यदि ठीक समझेगी तो उन्हें अनुसूची के भाग १ और २ में सम्मिलित करती रहेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैंने संयुक्त समिति में यही आश्वासन दिया था । मैं इससे सहमत हो गया था कि सरकार एक स्थायी समिति स्थापित करने के लिये सहमत हो जायेगी और वह स्थायी समिति समय-समय पर संसद् को प्रतिवेदित करती रहेगी ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : इसीलिये तो यह और भी आवश्यक है कि संसद् से सिफारिश की जाये कि ऐसी एक समिति गठित की जाये । वह समिति सभी विभिन्न समितियों की छानबीन करेगी । इसकी व्यवस्था इसी विधेयक में कर दी जानी चाहिये कि इस सभा के दस सदस्यों और राज्य-सभा के पांच सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी । मैं नहीं समझता कि सरकार को इस पर कोई आपत्ति होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक के पारित होने के बाद एक संकल्प पुरःस्थापित करेंगे कि दोनों सभाओं के सदस्यों की एक स्थायी समिति गठित की जाये ।

†**श्री रंगा** : इसमें खतरा यह है कि कई लोगों के दिमाग़ में कई तरह के सन्देह उठेंगे । जिन समितियों के सम्बन्ध में अभी विचार नहीं किया जा सका है, उनके बारे में, और इसके बाद नियुक्त होने वाली समितियों के बारे में भी, लोगों को कई प्रकार के सन्देह होंगे । हमें सन्देहों की गुंजाइश ही नहीं रहने देनी चाहिये । इसलिये इस समिति विशेष को गठित करने की व्यवस्था यहीं कर दी जानी चाहिये । इस संशोधन में यही कहा गया है कि उसकी व्यवस्था इसी विधेयक में हो, जिससे कि वह एक संविहित निकाय बन जाये ।

मुझे पंडित ठाकुर दास भार्गव की केवल एक ही बात पर आपत्ति है कि यह समिति छैः महीनों में अपना काम पूरा कर दे । मैं तो चाहता हूं कि वह एक नियमित स्थायी समिति हो, जिसका काम ही यह हो कि वह समय-समय पर संघ सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गठित की जाने वाली समितियों के सम्बन्ध में विचार करती रहे । वह बताती रहे कि नयी गठित होने वाली समितियों में से किन को अनर्हित और किन को नहीं करना चाहिये ।

इसलिये इसकी व्यवस्था विधेयकों में ही होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई और भी ऐसी स्थायी समितियां हैं, जिनको सरकार को परामर्श देने के लिये संविहित तौर पर नियुक्त किया गया हो ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : इसमें एक कठिनाई और सामने आयेगी । यदि ऐसी समिति गठित होती है तो उसकी सिफारिशों के आधार पर अनर्हित किये जाने वाले या विमुक्त किये जाने वाले पदों को विधेयक की सूची में यथास्थान तो रखना ही पड़ेगा, और तब इसके लिये हर बार संशोधन विधेयक रखने पड़ेंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत व्यवस्था है कि विधि का पारण संसद् को ही करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन स्थायी समिति तो संसद्-सदस्यों को ही सलाह देगी कि किसे अनर्हित किया जाये या न किया जाये । इसलिये जैसे हम अन्य स्थायी समितियां नियुक्त करते हैं, उसी तरह नियमों के अन्तर्गत एक संकल्प द्वारा इस स्थायी समिति की भी नियुक्ति कर दें ।

यह केवल एक सलाहकार समिति ही होगी, जैसी कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री इस विधेयक के अधिनियमित होते ही संयुक्त समिति के गठन के लिये एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे । उससे भी हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा । इस अधिनियम में संयुक्त समिति की व्यवस्था करना उचित नहीं होगा ।

हर वर्ष उसकी नियुक्ति की जायेगी ।

आशा है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे ।

†**श्री रंगा** : मैं आपका सुझाव मानता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : संविहित समिति पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन कुछ एसी समितियां हैं जिनके सम्बन्ध में शीघ्र ही विचार होना. . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति अपनी नियुक्ति के बाद सभी उन समितियों के सम्बन्ध में विचार करेगी जिन पर अभी विचार नहीं हुआ है । और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वह समिति हर तीन महीने बाद सभा को प्रतिवेदित करती रहेगी । यही तो माननीय सदस्य चाहते हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : अब मुझे उत्तर देना जरूरी नहीं रहा है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं इस पर आग्रह नहीं करता कि मेरे संशोधन को मतदान के लिये रखा जाये । लेकिन आश्वासन स्पष्ट भाषा में दिया जाना चाहिये । आश्वासन यह होना चाहिये कि यथाशीघ्र एक समिति नियुक्त की जायेगी, जो सभी वर्तमान समितियों के सम्बन्ध में यथाशीघ्र विचार करेगी . . . . . .

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं समिति की ओर से कोई आश्वासन कैसे दे सकता हूं ? मैं तो यही आश्वासन दे सकता हूं कि मेरे संकल्प का क्षेत्र क्या होगा ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : इसका यह अर्थ तो नहीं है कि हम अनुसूची में कुछ जोड़ने या घटाने के लिये संशोधन नहीं रख सकते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं । मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह स्थायी समिति अनुसूची द्वारा दी गई विमुक्तियों पर भी पुनः विचार कर सकती है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह समिति अनुसूची में उल्लिखित विमुक्तियों पर भी फिर से विचार कर सकती है; वह सभी वर्तमान समितियों के सम्बन्ध में विचार करेगी । हो सकता है कि परिस्थिति बदलने के साथ-साथ, अब संसद् ऐसी कुछ समितियों में भी संसद्-सदस्यों का रहना अब आवश्यक समझे जिनको अनर्हित किया जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या मैं अपना संशोधन संख्या ८८ प्रस्तुत कर सकता हूं जिसके द्वारा मैं एक नया खंड ३-ख विधेयक में रखना चाहता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार का कहना है कि वह नियम बाह्य है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** वह 'ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स अनर्हता अधिनियम' की व्यवस्था पर आधारित है । उसमें व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन के लिये खड़ा होने वाला प्रत्येक उम्मीदवार घोषित करता है कि उसने अनर्हताओं सम्बन्धी अधिनियम पढ़ लिया है और वह अनुसूची में उल्लिखित किसी भी पद पर नहीं है । मैं ऐसी ही व्यवस्था इस विधेयक में करना चाहता हूं ।

†**श्री अ० कु० सेन :** यह तो लोक प्रतिनिधान अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों का संशोधन होगा । इस विधयक का इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि माननीय सदस्य इसे आवश्यक समझते हैं, तो उन्हें लोक प्रतिनिधान अधिनियम के नियमों में उपयुक्त अवसर पर उचित प्रक्रिया से संशोधन करना चाहिये । यदि सभा सहमत होगी, तो ऐसा संशोधन कर दिया जायगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** माननीय मंत्री उसे स्वीकार कर लेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** अन्य बातों पर भी तो विचार करना पड़ेगा ।

†**श्री त्यागी :** कई नये उम्मीदवार भी तो निर्वाचन के लिये खड़े होंगे, वे कैसे जानेंगे कि वे अनर्हित हैं या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं इसे मतदान के लिये रखूं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** उससे पहले मैं स्पष्टीकरण कर दूं । हम ने लोक प्रतिनिधान अधिनियम में इसे इसलिये नहीं रखा था कि अभी भी हमारा एक अधिनियम एसा है जिसमें अनर्हताओं से विमुक्ति दी गई है । अनुच्छेद १०२ भी है । हमें इस में जरा भी संदेह नहीं है कि संसद् या स्थानीय विधान मंडल के लिये खड़ा होने वाला प्रत्येक उम्मीदवार पहले ही यह जान-समझ लेता है कि वह अनर्हित तो नहीं है । हमें हर बात में ब्रिटिश अधिनियम की नक़ल नहीं करनी चाहिये । यह संशोधन अनावश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न तो यह है कि कभी कोई ऐसा मामला भी हुआ है जिसमें किसी लाभ-पदधारी ने निर्वाचन के लिये खड़े होने से पहले यह मालूम न कर लिया हो कि वह खड़ा भी हो सकता है या नहीं । वह पहले ही पता लगा लेता है कि उसे लोक प्रतिनिधान अधिनियम या अनर्हता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति मिलती है या नहीं । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम लोक प्रतिनिधान अधिनियम में व्यवस्थित कुछ अनर्हताओं और वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विमुक्तियों को निरसित कर रहे हैं । इसलिये सिर्फ यह घोषणा भर कर देने से कि विधेयक पढ़ लिया है कोई उम्मीदवार अधिक समझदार नहीं बन जायेगा । वैसे भी सभी उम्मीदवार खड़े होने से पहले इसका पता चला लेते हैं । जो भी हो, इसे यदि रखा भी जाये तो लोक प्रतिनिधान अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में संशोधन करके ही रखा जा सकता है । अधिनियम में इसे सम्मिलित करना प्रारूपण की दृष्टि से बड़ा बेढंगा होगा । मैं अधिनियम में ही ऐसा कोई खण्ड जोड़ने का विरोध करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं इसे दूसरे संशोधन विधेयक की चर्चा के समय रखूंगा । अभी मैं इस संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी उम्मीदवार निर्वाचन के लिये खड़ा होता है, वह स्वयं पहले से सभी से सलाह ले लेता है और नियमों इत्यादि का पता कर लेता है । इसलिये ऐसी व्यवस्था करने से कोई लाभ नहीं दिखता ।

मैं यह माननीय मंत्री पर छोड़ता हूं कि वे यह विचार कर लें कि अभी तक के अनुभव के आधार पर नियमों में कोई रूपभेद करना आवश्यक है या नहीं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** । मैं संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

खण्ड ४ (निरसन)

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति १४ और १५ में,

"and the Prevention of Disqualification Act, 1953, are hereby repealed"

("और अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३, एतत्द्वारा निरसित किये जाते हैं")

शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"the Prevention of Disqualification Act, 1953, and any provision in any other enactment which is inconsistent with this Act are hereby repealed."

("अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३, और किसी भी अन्य अधिनियम में किया गया कोई उपबन्ध, जो इस अधिनियम से असंगत हो, एतत्द्वारा निरसित किये जाते हैं।")

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस अधिनियम से असंगत उपबन्ध कौन से हैं ? ऐसी सामान्य व्यवस्था क्यों की जा रही है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं ।

कई ऐसे अधिनियम हैं जिनमें ऐसी व्यवस्थायें हैं कि कोई पद विशेष धारण करने वाले व्यक्ति को संसद्-सदस्यता से अनर्हित किया जाये या नहीं । जैसे कि मुस्लिम वक्फ़ अधिनियम में व्यवस्था है कि उस निकाय के सभापति या सदस्य को संसद्-सदस्यता के लिये अनर्हित नहीं किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशुल्क अधिनियम में अनर्हित किया गया है । इसलिये हम ने यही कहा है कि अर्हताओं या अनर्हताओं का निर्धारण इस अधिनियम को देखकर किया जाना चाहिये, अन्य अधिनियमों के आधार पर नहीं । यह अधिनियम को अधिक स्पष्ट बनाने के लिये ही है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : प्रारूपण का यही मान्य रूप है । हम कभी भी असंगत अधिनियमों की सूची किसी अधिनियम के साथ संलग्न नहीं करते ।

†**श्री मुरारका** : भारत के राज्य बैंक अधिनियम में एक स्पष्ट व्यवस्था है कि संसद्-सदस्य उस बैंक के सदस्य या निदेशक नहीं बन सकते । लेकिन अनुसूची में हम ने ऐसी अनर्हता नहीं रखी है । इसका क्या प्रभाव होगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : अनर्हता रहेगी । माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि विमुक्ति केवल उन पदों को ही दी गई है जिनको धारण करने से संसद्-सदस्यों को मात्र प्रतिकर भत्ता मिलता है । राज्य बैंक के निदेशकों को तो इससे कहीं अधिक मिलता है ।

†**श्री मुरारका** : संसद्-सदस्य यदि राज्य बैंक का निदेशक बनेगा, तो उसे भी केवल प्रतिकर भत्ता ही मिलेगा । कोई अन्य व्यक्ति यदि निदेशक बने, तो उसे अवश्य ही अधिक मिलेगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : संसद्-सदस्य द्वारा केवल प्रतिकर भत्ता लेना मंजूर करने और केवल प्रतिकर भत्ते वाले पदों—इन दोनों में अन्तर है । यदि मुझे कोई ऐसा पद दिया जाये जिसके लिये प्रतिकर भत्ते से अधिक मिलता हो, तो मैं केवल इतनी घोषणा करके ही अनर्हता से नहीं बच सकूंगा कि मैं प्रतिकर भत्ते से अधिक कुछ नहीं लूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी पद के लिये वेतन दिया जाता हो, तो वह अनर्हित रहेगा । संसद्-सदस्य उस वेतन को न लेने की घोषणा करदे, तब भी ।

माननीय मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिये । यह इसलिये जरूरी है कि इस में हम एक बड़ी व्यापक व्यवस्था कर रहे हैं कि अन्य विधियों की इस से असंगत सभी व्यवस्थायें इस सम्बन्ध में निलम्बित मानी जायेंगी । इसका अर्थ यही है कि हमें अन्य अधिनियमों की इस अधिनियम से असंगत सभी व्यवस्थाओं पर विचार कर लेना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह असंगति इसीलिये आई है कि हम ने कुछ ऐसे पदों को अनर्हित कर दिया है जिनको अन्य संगत अधिनियमों में विमुक्ति दी गई थी । जिन समितियों का अभी इस दृष्टि से अध्ययन नहीं किया जा सका है, उनमें इस अधिनियम के कारण कोई असंगति पैदा नहीं हुई है । यह असंगति तो उन पदों के सम्बन्ध में ही पैदा हुई है जिनको स्पष्टतया अनर्हित किया गया है । उनको अनर्हित करने का यह तो पड़ना ही था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुरारका ने अभी एक उदाहरण दिया है कि संसद्-सदस्य राज्य बैंक के बोर्ड के सदस्य नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उसे अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : सब से पहली चीज तो यह है कि वह कुछ ऐसी बातों की कल्पना कर रहे हैं जो इस अधिनियम से असंगत हों, जब कि कोई असंगति है ही नहीं । यह अधिनियम पहले के अधिनियम की तरह का ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तव में यह कठिनाई इसलिये पैदा हो गई है कि माननीय सदस्यों ने यह मान लिया है कि किसी पद के पारिश्रमिक या भत्ते का कुछ भाग छोड़ देने से ही वह लाभ पद नहीं रह जाता, क्योंकि उस में प्रतिकर भत्ता ही उन को मिलता है। हम ने १२०० निकायों की परीक्षा की है, उन में एक भी ऐसा संविहित निकाय नहीं था जिस के निदेशक को प्रतिकर भत्ते से कुछ अधिक न मिलता हो। यह केवल उन संविहित उपक्रमों की बात है जिनके निदेशकों को केवल प्रतिकर भत्ता ही मिलता है, और कुछ भी नहीं।

और, प्रतिकर भत्ते की भी परिभाषा मौजूद है। प्रतिकर भत्ता वह राशि ही होगी जो किसी पदधारी को दैनिक भत्ते के रूप में अदा की जायेगी। यह दैनिक भत्ता संसद्-सदस्य को मिलने वाले दैनिक भत्ते से अधिक नहीं होगा। इस भत्ते का मंशा यही है कि उस पद के कर्तव्यों के निभाने में जो भी व्यय हो, उसे पूरा करना।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : यदि आप रक्षित बैंक अधिनियम में कहते हैं कि उस के बोर्ड का निदेशक संसद्-सदस्य नहीं बन सकेगा। लेकिन यदि कोई निदेशक संसद्-सदस्य बन जाये तो वह निदेशक के पद से अनहिति होगा, संसद्-सदस्यता से नहीं।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह असंगति तो तभी पैदा होगी जब एक अधिनियम में उसे अनर्हित किया गया हो और दूसरे में नहीं। यदि दोनों में अनर्हिति किया गया हो, तो यह प्रश्न भी पैदा नहीं होगा।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले इस संशोधन पर विचार हो चुकने दीजिये।

†**श्री त्यागी** : मेरा अपना ख्याल तो यह है कि इस संशोधन में माननीय मंत्री को यह कहने के स्थान पर कि अन्य अधिनियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं, कहना यह चाहिये कि इस अधिनियम के प्रभावी होने पर अन्य सभी अधिनियमों को निरसित मान लिया जायेगा। एतद्द्वारा का अर्थ तो यह निकलता है कि इस विधेयक के पारित होते ही सभी अन्य अधिनियम निरसित हो जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन में सभी अन्य अधिनियम नहीं, बल्कि अन्य अधिनियमो की कोई भी असंगत व्यवस्थायें निरसित हो जायेंगी। क्या यहां कोई भी के स्थान पर सभी कहना ठीक नहीं होगा!

†**श्री अ० कु० सेन** : कोई भी का मतलब सभी ही है। और इसी अधिनियम से मतलब इस अधिनियम की सभी व्यवस्थायें ही हैं। अन्य अधिनियमों की असंगत व्यवस्थायें तभी निरसित होंगी जब कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जायेंगे और इसे विधि की शक्ति मिल जायेगी।

†**श्री त्यागी** : ऐसे अधिनियम कौन से हैं? अनर्हताओं के संबंध में तो कोई और अधिनियम है नहीं।

†**श्री हजारनवीस** : प्रशुल्क आयोग अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि किसी संसद्-सदस्य या विधान मंडल के सदस्य को आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया जाये तो वह नियुक्ति प्रभाव-शून्य मानी जायेगी, यदि वह अपनी नियुक्ति के बाद एक महीने के अन्दर संसद्-सदस्यता नहीं छोड़ देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** इस संशोधन की भाषा त्रुटिपूर्ण है। इस में लम्बरदार को राजस्व अधिकारी माना गया है, जब कि पंजाब भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वह राजस्व अधिकारी नहीं है। यदि यह असंगति रहने दी गई, तो भू-राजस्व अधिनियम भी निरसित हो जायेगा।

†**श्री अ० कु० सेन :** एक औचित्य प्रश्न है। पंजाब भू-राजस्व अधिनियम का विषय अनर्हतायें या अर्हतायें नहीं हैं, इसलिये उस का यहां प्रश्न ही नहीं उठता।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** लम्बरदार के संबंध में तो दोनों अधिनियमों में असंगति है ही, और इसलिये भू-राजस्व अधिनियम निरसित तो हो जायेगा।

माननीय मंत्री चाहते तो यह हैं कि यदि किसी अन्य अधिनियम में कुछ अनर्हतायें, हों तो उस हालत में इस अधिनियम की व्यवस्था को ही माना जाना चाहिये। तब इसे स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिये। अन्य अनियमो सम्बन्धी व्यवस्था की भाषा बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिये। नहीं तो कुछ ऐसे भी अधिनियम निरसित हो जायेंगे जिन्हें हम निरसित नहीं करना चाहते।

†**श्री अ० कु० सेन :** यह आशंका निर्मूल है। इस में 'प्रतिकर भत्ता' और 'संविहित निकाय' की परिभाषायें इसी अधिनियम के प्रयोजन के लिये की गई हैं। उन का मंशा यही है कि कुछ श्रेणियों के लाभ पदों संबंधी अनर्हताओं को हटा दिया जाये। इस अधिनियम में यह परिभाषायें इसी लिये की गई हैं। इस अधिनियम में प्रति कर भत्ते की जो परिभाषा की गई है वह इसी अधिनियम के प्रयोजन के लिये है, उस का संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस का प्रभाव अन्य अधिनियमों की केवल उन व्यवस्थाओं पर ही पड़ेगा जो संसद्-सदस्यों की अनर्हताओं तथा अर्हताओं के संबंध में होंगी, और इस अधिनियम की व्यवस्थाओं से असंगत होंगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १४ और १५ में "and the Prevention of Disqualification Act, 1953 are hereby repealed" ["और अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३, एतत्द्वारा निरसित किये जाते हैं"] शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायें :—

"The prevention of Disqualification Act, 1953 and any provision in any other enactment which is inconsistent with this Act are hereby repealed" ["अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३, और किसी भी अन्य अधिनियम में किया गया कोई उपबन्ध, जो इस अधिनियम से असंगत हो, एतत्द्वारा निरसित किये जाते हैं।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूची

†**अध्यक्ष महोदय :** जो माननीय सदस्य अनुसूची पर अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें, कर सकते हैं ।

†**श्री मुरारका :** मैं अपने संशोधन संख्या ७९, ८१, ८२ और ८३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं अपने संशोधन संख्या ९० और ९२ प्रस्तुत करता हूं । मैं अपना संशोधन ९१ भी प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(i) पृष्ठ ४ में, पंक्ति ५ से १० निकाल दी जायें; और

(ii) पृष्ठ ९ में,—

पंक्ति २८ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

["Advisory Committee for the Air India International Corporation appointed under Section 4 of the Air Corporation Act, 1953 (27 of 1953.)

Advisory Committee for the Indian Airlines Corporation appointed under Section 41 of the Air Corporation Act, 1953 (27 of 1953)"

[विमान निगम अधिनियम, १९५३ (१९५३ का २७) की धारा ४१ के अधीन नियुक्त, एअरइण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के लिये मंत्रणा समिति ।

विमान निगम अधिनियम, १९५३ (१९५३ का २७) की धारा ४१ के अधीन नियुक्त इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन के लिये मंत्रणा समिति)]

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं अपने संशोधन संख्या ६३, ६४ और ९३ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राधारमन : (चांदनी चौक) : मैं अपने संशोधन संख्या ९६ और ९८ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बर्मन (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या ५१ और ५२ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायणन कुट्टि मेनन : (मुकन्दपुरम्) : मैं अपना संशोधन संख्या १०३ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री तंगामणि (मदुरै) : मैं अपना संशोधन संख्या १०४ प्रस्तुत करता हूं । मैं अपना संशोधन संख्या १०५ भी प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ६ में,—

पंक्ति ९ से ११ हटा दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपने संशोधन जल्दी से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशीनाथ पाण्डे** (हाता) : मैं अपने संशोधनों की सूचना दे चुका हूं। मैं उन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप ने सूचना अभी दी है।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी।

†**श्री अ० कु० सेन** : चूंकि अनुसूची में अनेक संस्थाओं का मामला है अतः मैंने सोचा कि अन्तिम समय तक माननीय सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक ।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे** : मैं अपना संशोधन संख्या १०७ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ में,—

पंक्ति २९ और ३० हटा दी जायें ।

मैं अपना संशोधन संख्या १०८ भी प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६ में,—

पंक्ति १२ से १४ हटा दी जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ये संशोधन सभा के सामने हैं। श्री काशी नाथ पांडे अपने संशोधनों को समझायें ।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे** : कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उल्लेख अनुसूची में किया गया है। मैं उसी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस निगम का सदस्य आरम्भ से रहा हूं। यहां मुझे २१ रु० प्रतिदिन भत्ता मिलता है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में १२ रु० प्रति दिन। फिर भी इस निगम का उल्लेख अनुसूची में किया गया है। इस प्रकार मुझे निगम का सदस्य रहने से रोका गया है ।

मैं उस निगम में नाम निर्देशित किया गया हूं और कर्मचारियों के मामलों को निगम के सामने प्रस्तुत करता हूं। अतः मेरा निवेदन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अनुसूची से निकाल दिया जाये।

†**श्री दासप्पा** : कल मैंने कहा था कि संविहित तथा गैर-संविहित संस्थाओं की सदस्यता का पद अनर्हता न हों पर माननीय मंत्री इसे स्वीकार नहीं करते। अतः मेरा निवेदन है कि एअर इंडिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन तथा इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन की मंत्रणा समिति को इस में अवश्य निकाल दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इस प्रकार चाहे सभापति या सचिव का पद अनर्हता हो पर इन मंत्रणा समितियों की सदस्यता अनर्हता न रखी जाय। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री मेरा संशोधन अवश्य स्वीकार करें।

†**श्री हेम राज :** मैं जानना चाहता हूं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति का सदस्य होना अनर्हता होगी या नहीं।

†**श्री अ० कु० सेन :** जी नहीं : ऐसी बहुत सी समितियां हैं जिन के सदस्य प्रभावपूर्ण पद पर होते हैं पर लाभप्रद पद पर नहीं। अतः उन के अनर्ह होने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

†**श्री मुरारका :** मैंने संशोधन संख्या ७९ प्रस्तुत किया है जो कि बहुत सरल है। मेरे संशोधन का उद्देश्य है कि अनुसूची को पूर्ण तथा तर्कपूर्ण बनाना। इस संशोधन द्वारा मेरा निवेदन है कि कुछ अन्य निगमों को भी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाये। अनुसूची में सरकार के कुछ निगमों को सम्मिलित किया गया है। पर कुछ निगमों को छोड़ दिया गया है। जिन निगमों को अनुसूची में सम्मिलित किया गया है उसी प्रकार के अन्य निगमों को सम्मिलित करने के लिये मेरा निवेदन है। अतः या तो जिन निगमों का नाम मैं ने अपने संशोधन में रखा है उन्हें भी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाये या फिर जिन निगमों को सम्मिलित किया गया है उन्हें भी निकाल दिया जाये। जिन निगमों को आप ने सम्मिलित किया है उन में से कुछ तो बहुत बड़े हैं यदि उन के सभापति चाहेंगे तो अपना बहुत प्रभाव डाल सकेंगे। उदाहरण के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को लीजिये।

कल माननीय मंत्री ने कहा था कि संसद् सदस्यों को सभा में बैठने के अतिरिक्त सरकार के काम में भी सहयोग करना चाहिये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। सभा के सदस्यों को यदि आप निगमों में प्रभावपूर्ण पद देते हैं तो इस से उन निगमों की नीति पर प्रभाव पड़ेगा और इसी कारण मेरा मत है कि सदस्यों को बाहर रहना चाहिये।

यदि इस सभा के सदस्यों को निगमों में घुसने का अवसर दिया जायेगा तो ठीक नहीं होगा। कुछ निगमों के लेखे परीक्षण के लिये हमारी सभा के सामने आते हैं अतः यदि सदस्यों को ऐसे निगमों में स्थान दिया जायेगा तो ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि लेखे प्रस्तुत करने वालों तथा लेखे का परीक्षण करने वालों में संघर्ष पैदा हो। अतः मेरा निवेदन है कि सभा मेरे संशोधन संख्या ७९ पर विचार कर के उसे अवश्य स्वीकार करे और अनुसूची को विस्तृत करे।

अपने संशोधन संख्या ८१, ८२ और ८३ के संबंध में मैं केवल एक या दो शब्द कहना चाहता हूं इन संशोधनों द्वारा अनुसूची में मैं कुछ बातें सम्मिलित करना चाहता हूं जिन्हें छोड़ दिया गया है। ये हैं जैसे अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी समिति तथा गौसंवर्द्धन की केन्द्रीय समिति।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधनों को, विशेषतया संशोधन संख्या ७९ को अवश्य स्वीकार किया जाये।

†**श्री बर्मन :** मैंने संशोधन संख्या ५१ और ५२ इस कारण प्रस्तुत किये हैं कि मंत्रणा समितियों में से केवल दो मंत्रणा समितियों को ही अनुसूची के भाग १ में सम्मिलित किया गया है। मैं देखता हूं कि केवल विमान निगमों तथा समवाय विधि मंत्रणा आयोग की मंत्रणा समितियों को अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि केवल इन्हीं दो समितियों को ही क्यों सम्मिलित किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजारनवीस** : यदि माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करें कि इन समितियों का काम क्या है, तो मैं उन का आभारी हूंगा ।

†**श्री बर्मन** : मुझे इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी हाल में ही इण्डियन इण्टरनेशनल निगम की मंत्रणा समिति का सदस्य बनाया गया हूं । उसकी किसी बैठक में मैंने अभी तक भाग नहीं लिया है । पर पिछली बैठक की कार्यवलि मेरे पास है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक बैठक की कार्यवलि से यह पता नहीं चल सकता कि उस समिति के क्या कर्तव्य हैं तथा वह कितनी प्रभावी है ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : मेरा संशोधन मित्र श्री मुरारका के संशोधन से पूर्णतया विपरीत है । इस का आशय यह है कि अनुसूची का भाग हटा दिया जाये ।

कल माननीय विधि मंत्री ने बताया कि अनुसूची किन परिस्थितियों में तैयार की गई है और उन्हों ने कहा था कि अब हमारा प्रयास निगमों की संख्या की वृद्धि करने का नहीं होना चाहिये बल्कि उन को घटाने का होना चाहिये । श्री मुरारका ने तर्क बाद की बात चलाई । तर्क तो यही है कि जैसे मैं संसद् सदस्य हूं वैसे वह भी हैं । क्योंकि मैं साम्यवादी हूं अतः वह भी साम्यवादी हैं । यह है तर्क । इस प्रकार के तर्क से क्या बनता है । यह तर्क भी क्या महत्व रखता है कि जैसे ही एक सदस्य किसी निगम के भीतर चला जाय वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगेगा ।

उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में हरबर्ट मारीसन की लिखित सिद्धान्त पंक्तियां उद्धृत की हैं । किन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि हर्बर्ट मारीसन ने यह बातें कब लिखीं और कैसे लिखीं । हरबर्ट मारीसन को स्वतः यह ज्ञात नहीं था कि इस नीति के कारण श्रमिक दल की राष्ट्रीयकरण की सारी नीति ही असफल हो जायेगी । बाद में उन्हें भी गलती का आभास हुआ किन्तु तब क्या होता था ।

यदि इन निगमों में न तो संसद् सदस्य ही जायें और न ही सरकारी कर्मचारी इन में जायें तब तीसरा कौन सा व्यक्ति इन में जायगा । उन्हों ने कहा कि उन निगमों में संसद् सदस्य भी हस्तक्षेप न करें और न ही सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की टांग अड़ायें अतः इन का प्रबन्ध वही लोग करें जिन की नीति ही उन से पूर्णतया भिन्न है । और इन्हीं के कारण बाद में राष्ट्रीयकरण की सारी नीति पूर्णतया असफल हो जाये ताकि यह बता सकें कि इस नीति में कोई तत्व नहीं है और सरकार को समस्त औद्योगिक नीति बदलनी पड़े ।

इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं है । इस स्थिति में भी गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि आ सकते हैं । टाटा के प्रतिनिधि यहां आ कर उनका दृष्टिकोण सभा के समक्ष रख सकते हैं । जब बाहर के उद्योगों से सदस्य यहां आ सकते हैं तो क्या संसद् के सदस्य हिन्दुस्तान स्टील आदि समवायों के काम में रुचि नहीं ले सकते ।

श्री दासप्पा ने केरल की बात कह कर मुझे वाधामय मार्ग से गुजरने के लिये बाध्य किया है । किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केरल में कोई भी ऐसी समिति नहीं है जिस में उन के दल का प्रतिनिधित्व न हो ।

श्री मुरारका ने अपने प्रवाहपूर्ण भाषण में जो बातें कही हैं वे सारी अनुपयुक्त ही हैं ।

यद्यपि संयुक्त समिति ने भी बहुत से निगमों का परीक्षण किया किन्तु खेद की बात यह है कि उन्होंने वहां किसी एक सिद्धान्त का निर्धारण नहीं किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कल श्री दी० चं० शर्मा कह रहे थे कि संसद् सदस्य को स्वतन्त्र भी होना चाहिये और संसद् के कार्य में लगे रहना चाहिये किन्तु उन्हों ने मुझे यह भी कहा कि इस आयु में वे सिवाय सदस्यता के और कर भी क्या सकते हैं ।

आज देश आर्थिक विकास कर रहा है । हमारी आर्थिक नीति एक नये मोड़ में से गुजर रही है । अतः हमें संसद् सदस्यों को उस निर्माण कार्य से कभी भी विलग नहीं रखना चाहिये ।

हमें यह विकास देखते रहना चाहिये और शनैः शनैः प्रत्येक निगम का परीक्षण कर के इस विधेयक के साथ अनुसूचियां आबद्ध करनी चाहिये ।

वास्तव में इस विधेयक के लिये हम ने किसी प्रकार के एक सिद्धान्त को नहीं अपनाया है । यदि लोग हम से यह पूछें कि इस विधेयक के अन्तर्गत कौन कौन से लोग अनर्ह होंगे तो कम से कम हम तो नहीं बता सकेंगे ।

मेरी प्रार्थना है कि हमें सब बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिये । अब माननीय सदस्य श्री मुरारका तो "आयल इंडिया" इत्यादि को भी बाहर रखने की कह रहे हैं किन्तु मैं इस पक्ष का नहीं हूं । आखिर संसद् सदस्यों को राष्ट्र निर्माण कार्य में भाग तो लेना ही है । इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् जो दूसरी सूची बनाई जाये उस से पूर्व हमें पूर्ण विचार कर लेना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : मैं अपने संशोधन संख्या १०४ तथा १०५ के बारे में संक्षेप से बताऊंगा। संशोधन १०४ से मैं पृष्ठ ५ की पंक्ति १९ से ३० को हटाना चाहता हूं और दूसरे संशोधन से पृष्ठ ६ की पंक्ति ९ से ११ का उत्सादन करना चाहता हूं । ये संशोधन बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के गोदी श्रम बोर्डों को विमुक्ति प्रदान के लिये हैं । इन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को भी बाहर रखना अभिशित है ।

†**श्री० अ० कु० सेन** : सरकार पृष्ठ ५ पर पंक्ति २९ से ३० हटाने वाली स्वीकार करती है तथा पृष्ठ ६ पर पंक्ति १२ से १४ हटाना भी स्वीकार है ।

†**श्री तंगामणि** : मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं । वही स्थिति गोदी बोर्डों की है । यदि गोदी बोर्डों के सदस्यों को अनर्हता दी जाती है तो इस विधेयक का उद्देश्य ही नहीं रहता । श्री मुरारका श्रम कल्याण निधियों से सम्बन्धित सभी निकायों के सदस्यों को अनर्ह बनाना चाहते हैं । यह तो ठीक नहीं । यदि आप श्रम से सम्बन्धित लोगों को ही संसद् में न आने देंगे तो क्या लाभ होगा । अनुभवी लोग यहां कैसे आ पायेंगे । मैं इस प्रकार की बातों को किसी भी प्रकार से समझ नहीं सका हूं । वास्तव में वही लोग इन बातों का विरोध करते हैं जो श्रम कल्याण कार्यों के ही विरुद्ध हैं ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : मेरा एक संशोधन है, जो कि इस प्रकार है :—

पृष्ठ ८ में, —

पंक्ति २६ से २८ हटा दी जायें ।

मेरे संशोधन का मकसद यह है कि शिड्यूल के पार्ट १ से पंजाब स्टेट नैशनल वर्कर्ज (रिलीफ़ एण्ड रिहैबिलिटेशन) बोर्ड को हटा दिया जाय और उस की वजह यह है कि इस बिल के पास करने से एक अजीब किस्म की डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी, क्योंकि उस बोर्ड में स्टेट के दो किस्म के रिप्रेजेन्टेटिव हैं—

†मूल अंग्रेजी में

एक तो स्टेट असेम्बली के मेम्बर और दूसरे इस लोक सभा के मेम्बर । इस बिल के पास होने का नतीजा यह होगा कि पंजाब के एम० एल० ए० तो इस बोर्ड में रह सकेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के सदस्य नहीं रह सकेंगे । मेरी ज़ाती राय इस सिलसिले में यह है कि यह कोई बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है । इस बोर्ड का काम उन लोगों को सहायता देना और फिर से आबाद करना है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था । इस काम के लिये हर साल एक धन-राशि रखी जाती है और वह बोर्ड उस को उन लोगों में बांटता है, चाहे वे लोग किसी भी पार्टी के हों । बोर्ड के सदस्य भी तकरीबन सब पार्टियों के सदस्य होते हैं । उन में कुछ तो एम० एल० ए० होते हैं और कुछ एम० पी० । माननीय सदस्य ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर लोक सभा से उस के सदस्य हैं । यह बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड के सदस्यों को उन आदमियों के बारे में पूरी जानकारी हो, जिन्होंने कि आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वर्ना कुछ ऐसे दोस्त भी फ़ायदा उठा जायेंगे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बिल्कुल हिस्सा न लिया हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि पंजाब के इस वक्त दो हिस्से हैं—एक पंजाबी रिजन और दूसरा हिन्दी रिजन । हमें पहले ही गिला था कि बोर्ड में कोई ऐसा सदस्य नहीं है, जिस ने या तो खुद आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, या उस को उन दोस्तों के बारे में जानकारी हो, जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी दी । इस बिल के पास होने से तो उस मेम्बर को भी वहां से हट जाना पड़ेगा, जो कि पंजाबी रिजन से ताल्लुक रखता है और जिस ने खुद भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और जिस को ऐसे लोगों की भी जानकारी थी । जहां तक इस बोर्ड का ताल्लुक है, उस से इस बिल के मकसद को कोई खदशा नहीं है । पार्लियामेंट का मेम्बर आखिर उस से क्या फ़ायदा उठा सकता है ? उस में कोई एलाउंस तो है नहीं । हो सकता है कि कुछ दोस्त शायद यह कहें कि इस बोर्ड में लोगों को ज़मीन एलाट करने या नकद सहायता देने का फ़ैसला करना होता है । लेकिन सवाल यह है कि ज़मीन एलाट करने से उस सदस्य को क्या फ़ायदा हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया है । ज़मीन के एलाटमेंट और नकद सहायता के लिये भी उसूल बने हुए हैं कि जो शख्स एक या दो साल जेल में गया है, उस को दो, चार या पांच एकड़ ज़मीन एलाट कर दी जाय, या बीस, तीस, पचास रुपये की सहायता कर दी जाये । उपाध्यक्ष महोदय, आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में इस सिलसिले में कोई सरकारी रिकार्ड नहीं है । पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो कट कर पीछे रह गया है । हिन्दी रिजन के दोस्त पंजाबी रिजन में जा कर कैद हुए, लेकिन इन सब के लिये सरकारी तौर पर कोई रिकार्ड नहीं है इसलिये इस बारे में वे ही लोग मदद कर सकते हैं, जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, या जिन को उन लोगों के बारे में जानकारी हो । इस बिल के तहत आप लोक सभा के सदस्यों को डिस्क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, जब कि पंजाब असेम्बली के सदस्यों को वहां रहने की इजाज़त होगी । वह उन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा ।

मैं समझता हूं कि अगर मेनन साहब के संशोधन को मान लिया जाय, तो फिर मेरे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है । मैं उन से सोलह आने सहमत हूं कि इस एक्ट को बनाते वक्त हम उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, जो कि प्राईवेट सैक्टर के आदमी हैं, जिन के बड़े बड़े कारखाने हैं, जिन के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हैं । मुझे खुशी है कि एक कम्यूनिस्ट साथी की तरफ़ से एक ऐसा संशोधन आया है, जो कि बिल्कुल सही है । वाकई यह कोई मुनासिब बात नहीं है कि बड़े बड़े कारखाने वाले, बड़े बड़े वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के लोग तो यहां आ सकते हैं और अपनी जगह पर कायम रहते हुए भी यहां अपने वर्ग को रिप्रेज़ेन्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पब्लिक सेक्टर में विश्वास रखते हैं और जो उस को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, उन को यहां आने का अधिकार नहीं है ।

उन्होंने लेबर का ज़िक्र किया । मैं समझता हूं कि इस में सैंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का ज़िक्र आता है । उस के अलावा नेशनल को-आपरेटिव डवेलपमेंट एण्ड वेयरहाउसिंग बोर्ड का भी ज़िक्र आता है, रीहैबिलिटेशन फ़िनांस एडमिनिस्ट्रेशन का भी ज़िक्र है । इस तरह के कई और हैं । मैं समझता हूं कि उन से कोई खास फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है । जैसा कि सब जानते हैं, हम को-आपरेटिव समाजवाद बनाना चाहते हैं । यह ज़रूरी है कि एक मेम्बर उस के लिए सहायता कर सके और अपना पूरा सहयोग दे सके । अगर पोस्ट-मार्टम करना है, तो उस से देश को कोई बहुत ज्यादा फ़ायदा होगा, यह मैं नहीं मानता । जिस वक्त कोई ग़लती शुरू हुई, अगर हम उस को उसी वक्त न पकड़ सके, तो हम देश के हित को आगे नहीं बढ़ायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मेनन साहब के संशोधन को मान लिया जाय ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): श्रीमान् मैं तो यही चाहता था कि संसद् की सदस्यता सारे ही समय के लिये होनी चाहिये । एक व्यक्ति जो संसद् का सदस्य बने वह पूरा समय संसदीय कार्य ही में लगाये । तभी देश को लाभ पहुंच सकता है । चलो हम माननीय विधि मंत्री ही की बात मानते हैं किन्तु उन्होंने जो बात कही है तो उसके अनुसरण में उन्हें अनुसूची वापस ले लेनी चाहिये ।

जिन पदों पर रोक लगाई गई है वे सारे पद ऐसे ही हैं जिन का श्रम कल्याण या समाज कल्याण के विषयों से सम्बन्ध है । जब हम इस राष्ट्र के सदस्य हैं तो क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम समाज कल्याण के कार्यों में पूर्णतया भाग ले सकें । एक तो माननीय मंत्री यह कहते हैं कि संसद् सदस्यों ने बड़ा भारी उत्तरदायित्व उठाना है और बहुत सा रचनात्मक कार्य करना है परन्तु दूसरी ओर उनका कथन है कि अमुक पदों को धारण करने से संसद् सदस्य अनर्ह हो जायेगा । यह अस्तव्यस्तता तो रहनी नहीं चाहिये । अब आपने पाठ्य पुस्तक निर्धारण करने वाली समिति को भी लाभ-पद के अधीन रख दिया है । यह बात गलत है । ऐसी समिति का मात्र कर्तव्य यही रहता है कि शिक्षा का स्तर नीचे न गिरे और कार्य ठीक ढंग से चलता रहे । किन्तु इसकी सदस्यता भी अनर्हता प्रदान करने वाली है ।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि संसद् सदस्यों का निगमों में भाग लेना क्यों आवश्यक है । किन कारणों से उनका भेजा जाना वांछनीय है । किन से नहीं । संसद् सदस्यों को केवल इस कारण वहां भेजा जाता है ताकि वे देखभाल करें निरीक्षण करें । और तो कोई उद्देश्य है ही नहीं । हमें वहां यह ही देखना होता है कि क्या नीतियों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं । किन्तु आप संसद् सदस्यों को यह अवसर ही प्रदान कर रहे हैं । यह अनुसूची बड़ी शीघ्रता में ही तैयार की गई थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: यदि माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं तो कल बोलें ।

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (केसरिया): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अनियमित, अनिश्चित और असामयिक गाड़ियों के चलने से देश को कितना नुकसान पहुंचता है । जब एक मिल में हड़ताल हो जाती है तो चन्द हज़ार घंटे मैनपावर (जन-शक्ति) के बरबाद होते हैं लेकिन गाड़ियों के अनिश्चित समय पर तथा अनियमित समय पर चलने से लाखों घंटे

†मूल अंग्रेजी में

मैनपावर के वेस्ट होते हैं, बरबाद होते हैं । इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये और इसका उपाय करना चाहिये कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है ।

यह पहला समय नहीं है कि इस प्रश्न पर इस सदन में विचार हो रहा है या यह टापिक (विषय) पहली बार इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है । आज़ादी के बाद से बराबर मैम्बर साहिबान लेट रनिंग आफ ट्रेंस (गाड़ियों के देर से चलने) के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते रहे हैं और उनके उत्तर भी दिये जाते रहे हैं । लेकिन इन प्रश्नों को पूछने का या उनका जवाब देने का क्या फल होता है, यह समझ में नहीं आता है । हम लोग प्रश्न इसलिये लाते हैं कि कुछ इसमें तरक्की हो, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें कुछ सुधार हो लेकिन जो आंकड़े हम लोगों के पास हैं, या जो आंकड़े रेलवे मंत्रालय द्वारा हमको उपलब्ध किये गये हैं उनको देखने से यह मालूम होता है कि सुधार की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग कुछ नीचे की ओर गये हैं, कुछ आगे नहीं बढ़े हैं । मसलन एक प्रश्न के उत्तर में १९५७ में जो उत्तर दिया गया था वह यह था कि ७८ प्रतिशत या ७९ प्रतिशत पंक्चुएलिटी गाड़ियों में है । अब देखना यह है कि उस समय से आज कोई फ़र्क हुआ है, कुछ सुधार हुआ है अथवा नहीं हुआ है ।

गत सैशन में एक स्टेटमेंट जो हम लोगों को दिया गया था उसमें कहा गया था कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ८० प्रतिशत ईस्टर्न रेलवे में, ८७ प्रतिशत नार्थर्न रेलवे में, तथा ७७ प्रतिशत नार्थ ईस्टर्न रेलवे में पंक्चुएलिटी है । कारण भी बताया गया था कि क्यों गाड़ियां लेट चलती हैं :—

मई से जुलाई १९५८ तक गाड़ियों की समय से चलने की स्थिति और भी अधिक खराब होने का कारण निम्नलिखित था :—

(१) गर्मियां अधिक कड़ी होने के कारण पानी की कमी व कर्मचारियों के बीमार रहने की घटनायें अधिक हुईं ।

(२) भारी वर्षा के कारण पटरियों में पानी भर जाने से गाड़ियों का नियमित रूप से आना जाना रुक गया ।

(३) इंजीनियरिंग प्रतिबन्धों के कारण अतिरिक्त समय व्यय हुआ ।

(४) कई स्टेशनों पर सिगनल प्रणाली में सुधार कार्य किया जा रहा था ।

इसका निम्नलिखित उपचार किया जा रहा था :—

१. डाक एक्सप्रेस और सीधी जाने वाली सवारी गाड़ियों के समय पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

२. देर से चलने वाली गाड़ियों में अधिकारी स्वयं यात्रा करते हैं जिससे वे गाड़ियों के देर चलने के वास्तविक कारणों को बता सकें ।

और भी बहुत से कारण दिये गये थे और कहा गया था कि इनसे सुधार हो सकता है । जब हम लोग उसके बाद का आंकड़ा देखते हैं तो मालूम होता है कि सुधार के बदले डिटीरियोरेशन स्थिति में बिगाड़ हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१८ नवम्बर को एक स्टार्ड क्वैश्चन (तारांकित प्रश्न) पूछा गया था और उसके उत्तर में बताया गया था कि अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर में सैण्ट्रल रेलवे का परसेंटेज ब्राडगेज का ६१ था, मीटरगेज का ६४ था, ईस्टर्न रेलवे का ७३ और नार्थ ईस्टर्न रेलवे का ३९ था। ये आंकड़े शो करते हैं कि सदन में इस बार चर्चा होने के बाद से कोई सुधार नहीं हुआ है। रेलवे मंत्रालय की सभी कोशिशों के बावजूद हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कारण ढूंढना होगा कि क्यों ऐसा होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आज की चर्चा से कैसे फायदा होगा ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यही तो अफसोस है कि हम लोगों की चर्चा अरण्यरोदन है, कोई सुनवाई शायद नहीं होती है। कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया जाता है। इसीलिये आपको भी कहना पड़ता है कि आज की चर्चा से सुधार होगा या नहीं होगा।

श्री फीरोज गांधी (रायबरेली) : जरूर होगा।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : लोग देख चुके हैं कि कहां क्या होता है। इधर हमारे जो डिवीजनल हैंडक्वार्टर्स हैं या डिस्ट्रिक्टस में जो अफसर हैं, उनका क्या रवैया है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। सोनपुर स्टेशन पर दिक्कत की वजह से मैंने चाहा कि डी० टी० एस० का ध्यान मैं उधर आकर्षित करूं। इसके लिए फोन किया गया और उन्होंने उत्तर दिया कि हम से समय मुकर्रर करके तब बात करें। उसके बाद मैंने कम्पलेंट बुक म लिखा कि हमको कोई सिफारिश के लिए भेंट नहीं करना था या किसी अपने काम के लिए भेंट नहीं करना था बल्कि कोई सुधार सुझाने के लिये भेंट करना था। इसके बाद मुझे चिट्ठी लिखी गई कि आपको गलत बात बताई गई है। हलांकि मैं वहां पर खड़ा सुन रहा था। जो कुछ भी एक पैसेंजर गाइड ने फोन पर कहा और उस पर जो उसको जवाब दिया गया वह उसने मुझे बता दिया। उस पर भी उन्होंने लिखा :—

"दुर्भाग्य से आप से यह गलत कहा गया कि मैं आप से फौन में बातें करने को तैयार नहीं हूं। वस्तुतः मुझ से ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई।"

यह बात मेरे सामने की है और मैं वहीं खड़ा था। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा :

"कर्मचारी की गलती का मामला विचाराधीन है।"

गलती उनकी थी लेकिन अब वे छोटे मुलाजिम को सजा करने की सोच रहे हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि आपने जो लिखा है वह गलत था। मैं वहां खड़ा था और मेरे सामने सवाल पूछा गया और आपका जवाब आया। आपके जवाब को तो मैं नहीं सुन सका लेकिन जो कुछ उस आदमी ने कहा उसको हमने सुना था और साथ ही साथ मैंने यह भी लिखा कि वह आदमी क्यों अपने मन से झूठ बना कर कहेगा। जब भी मौका मिलता है और जब भी कोई कम्पलेंट करने की बात होती है, तो वह हम लोग दर्ज कर देते हैं। लेकिन उसका जवाब क्या दिया जाता है उसका नमूना मैं आपको बतलाना चाहता हूं :—

"अत्यावश्यक कार्य-प्रवर्तन सम्बन्धी कठिनाई के कारण गाड़ी को रोकना अनिवार्य हो गया था।"

कोई भी जवाब दे दिया जाता है जिससे एक बुमाइशी सन्तोष हो जाए। लेकिन उसकी सच्चाई उसके बाद से उनका ध्यान जाता है या नहीं यह हम लोगों को मालूम नहीं होता है।

†**श्री अजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : और दूसरे जरूरी काम उनके पास होते हैं।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह तो मैंने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स की बात कही। अब मैं डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स की बात कहता हूं। जब भी वहां कुछ लिखा जाता है तो उसका जवाब यही आता है कि मैटर इज़ रिसीविंग एटेंशन (मामले पर गौर किया जा रहा है)। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह अन्त में मालूम नहीं होता है।

गत सैशन में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा करते हुए श्री अशोक मेहता साहब ने कहा था कि एन० ई० आर० में एक ही ट्रेन है और वह मेल ट्रेन है जिसको लोग समझते हैं कि वह ठीक समय से चलती है। लेकिन मैं इधर तीन महीने की बात आप से कहता हूं कि वह ट्रेन भी अब वैसी ही हो गई है, जैसी दूसरी ट्रेंस हैं। हम लोग जब छपड़ा या सोनपुर से चलते हैं इस उम्मीद में कि लखनऊ म हमको मेल ट्रेन मिल जाए तो हमारी ट्रेन डेढ़ दो घण्टे लेट हो जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि हमको कनैक्शन नहीं मिलता है और हमको रात भर बैठना पड़ता है।और उसके बाद दूसरी गाडी मिलती है पैसेन्जर ट्रेन, तब हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। इधर से जाओ तो कुछ निश्चित नहीं, कोई सर्टेन्टी नहीं कि कनैक्शन मिल ही जायेगा। तो एक ट्रेन जिसके बारे में लोग तारीफ किया करते वह भी इतनी डेटेरियोरेट हो गई है कि उसको भी कोई निश्चय नहीं।

एक अपर इण्डिया एक्सप्रेस है। उसके सम्बन्ध में मैं क्या कहूं। वह कभी भी समय पर नहीं पहुंचती।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर तो रेगुलैरिटी हुई।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : इसको इर्रेगुलैरिटी कहा जाय, अनपंक्चुअलिटी कहा जाय या चाहे जो भी नाम दिया जाय। बारबार अखबारों में इस के सम्बन्ध में निकलता रहता है। लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता कि इन अखबारों की कटिंग हमारे रेलवे मंत्रालय के पास जाती हैं या नहीं या उन पर वहां कोई ध्यान दिया जाता है या नहीं। "टेस्ट आफ दि पुडिंग इज इन दि ईटिंग आफ इट" (हलुए का स्वाद खाने पर मालूम होता है) कोई भी स्टेप लिया जाय, उसकी उपयोगिता तो तभी मालूम हो सकती है जब उससे कुछ सुधार हो। दिल्ली में एक ट्रेन विनय नगर से चलती है। उसका पांच या छः मील का रन है वह डेढ़ या दो घटे में पहुंचती है। सुना है कि निजामुद्दीन में उसका इंजिन बदला जाता है।

श्री अजराज सिंह : लोग पैदल क्यों नहीं चले जाते ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी: यहां लोग इतने हिम्मतवर नहीं हैं कि सारा सामान अपने माथे पर लेकर जायें। यह यहां की सुबरबन रेलवे है। यहीं पर रेलवे मन्त्रालय है फिर भी उसकी यह दशा है।

इसी तरह से अगर चलने के समय के बारे में देखा जाय तो पता चलेगा कि एक रास्ते के लिये एक अप ट्रेन होती है और एक डाउन ट्रेन होती है। उसके उधर से आने में रफ्तार कम है और इधर से जाने में तेज है। ६ अप ट्रन है। पटना से यहां तक आने में उस को साढ़े इक्कीस घंटे लगते हैं जबकि इधर से जाने में साढ़े बीस घंटे लगते हैं। वैसे ही तूफान म है। इधर से जल्दी पहुंचती है और उधर से धीमे आती है।

कुछ माननीय सदस्य : उधर से चढ़ाई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित द्वा० ना० तिवारी : इसी तरह से अपर इण्डिया ट्रेन है । यहां से शाम को छः बजे चलती है और शाम को सात बजे पटना पहुंचती है, २५ घंटे बाद । उधर से एक बजे चलती है और यहां साढ़े ग्यारह बजे पहुंचती है, साढ़े बाइस घंटे बाद । मेरी समझ में नहीं आता है कि जब टाइम टेबल बनता है तो इस इन्कंसिस्टेंसी की तरफ ध्यान दिया जाता है या नहीं । हम लोग सजेशन देते हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता ।

एक माननीय सदस्य : हमारा मजाक उड़ाते हैं ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी: मैं मजाक उड़ाने की बात नहीं कहूंगा । मैं नहीं कहता कि रेलवे मन्त्रालय जान बूझ कर ऐसी बात करता है । लेकिन उनके यहां इस तरह के एक्सपर्ट नहीं हैं कि सारे सिस्टम को सोच कर और समझ कर टाईमिंग्स को ठीक से नियत कर सकें । और यही कारण है कि ट्रेन्स समय पर नहीं पहुंचतीं ।

एक और बात है । हमें जो फिगर सप्लाई किये गये हैं वह बहुत डिसेप्टिव हैं । कैसे ? इसलिये कि सिर्फ रीचिंग टाइम दे दिया जाता है । जो डैस्टिनेशन है, वहां गाड़ी कब पहुंचती है यह दे दिया जाता है, लेकिन बीच में गाड़ियां कितनी लेट रन करती हैं, यह नहीं बताया जाता । मान लीजिये कि कोई ट्रेन कलकत्ता से चली, बीच में तीन घंटे लेट हो गई, लेकिन दिल्ली आते आते उसने दो या तीन घंटे मेकअप कर लिये और इस तरह से दिल्ली पहुंचने का टाइम ठीक हो गया । इस दृष्टि से ७९ परसेन्ट, ७० परसेन्ट या ३० परसेन्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच के स्टेशनों में बड़ा गोलमाल है । वहां पर पहुचने के समय का कोई ठिकाना नहीं है । इन सब कारणों की तरफ हमें देखना है । एक कारण तो यह है कि जो ट्रेन पर काम करने वाले हैं वे पैसंन्जरों की इनकन्वीनिएंस की तरफ ध्यान नहीं देते । वह यह नहीं देखते कि गाड़ी छूट जाने की वजह से पैसेन्जरों को कितनी दिक्कत होती है । वह तो यह सोचते हैं कि काम चलता रहता है और गाड़ी किसी तरह से ढुलकती चलती है । मैं आपको एक उदाहरण दूं । दिली से ठीक समय से १२ डाउन गाड़ी चली और कानपुर पहुंची । यह १२ सितम्बर की बात है । गाड़ी ठीक समय पर चली, लेकिन १०० गज जाने के बाद वह रुक गई और १५ मिनट तक डिटेन रही क्योंकि आर० एम० एस० का कुछ सामान देर से आया था और उसे चढ़ाना था । आर० एम० एस० वालों को भी ध्यान नहीं है कि वे ठीक समय पर अपनी डाक को ले आयें ताकि गाड़ी ठीक समय पर चल सके । जो हमारे कंट्रोलर लोग हैं, जो बतलाते हैं कि कौन ट्रेन कहां पर डिटेन होगी, कौनसी मेल ट्रेन उसे पास करेगी । वहां का तमाम सिस्टम डिफेक्टिव है । उनको अन्दाजा नहीं है कि कितने मिनट पर कौन मेल किस स्टेशन पर किस गाड़ी को ओवरटेक करेगी । उसने गाड़ी को आधा घंटा के लिये डिटेन कर लिया । पैसन्जर खड़ी है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, हालांकि वह इतनी देर में दो स्टेशनों को पार कर सकती थी ।

दूसरी वजह गाड़ियों के ठीक समय से न चलने की यह है कि इंजीनियरिंग स्टाफ और ट्रैफिक स्टाफ में पूरा कोआपरेशन नहीं है । एक ड्राइवर गाड़ी को स्टेशन पर चला कर ठीक समय पर ले आता है, लेकिन गाड़ी खुलती है पांच मिनट के बाद । पर उस को जो स्लिप मिलती है गाड़ी को चलाने की वह ठीक समय की ही दी जाती है । मान लीजिये कोई गाड़ी १२.०५ पर चलती है, लेकिन वह ऐक्चुअली रवाना होती है १२.०९ पर । मगर स्लिप पर गाड़ी के चलने का टाइम ठीक १२.०५ ही लिख दिया जाता है । अब चूंकि गाड़ी लेट हो गई है इसलिये ड्राइवर टाइम को कवर करने के लिये तेज गाड़ी चलाते हैं । जो मामूली स्पीड होती है उस से अधिक तेज चलाते हैं जिस में धोखा होने का सन्देह होता है, ऐक्सिडेंट होने का सन्देह होता है, और होता भी है । लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता ।

एक बार का किस्सा है । मोतिहारी जिले की बात है । नाहरकटिया गंज लाइन के किसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर किसी बारात में गया हुआ था । गाड़ी के आने का समय छः बजे था और वह आ गई । गाड़ी सिगनल पर खड़ी है लेकिन सिगनल नहीं हो रहा है । वहां पर वह आधा घंटा खड़ी रही । उस के बाद प्वाइंट्समैन जा कर उस को स्टेशन पर लाया । उस के बाद लगभग साढ़े छः बजे गाड़ी चली । इस तरह के इन्स्टैन्सेज़ हैं । यहां पर अक्सर कहा जाता है कि ह्यूमन एलिमेंट है । यह बात भी ठीक है । हमारे डिप्टी मिनिस्टर अक्सर कहा करते हैं कि गाड़ियों के लेट चलने का कारण यह है कि लोग ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, पुलिंग आफ चेन्स बहुत ज्यादा होता है । मैं मानता हूं कि पुलिंग आफ चेन्स होता होगा, लेकिन गाड़ियों के लेट चलने का यह काफी कारण नहीं है । दूसरे कारण भी हैं, जोकि मैं ने अभी बतलाये और जिस के कारण गाड़ियां लेट चलती हैं ।

यह तो मैंने रेलगाड़ियों के लेट चलने के कारण बताये । अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि हम इस को कैसे सुधारें ।

कुछ दिन पहले जब हमारे वर्तमान रेलवे उपमंत्री महोदय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे तो वह रेलगाड़ियों में इनकौगनिटो जाते थे और स्टेशनों पर स्वयं चैक करते थे । वे रेलवे के किसी रेस्टूरेंट में चले जा कर वहां का खाना वगैरह चैक करते थे । मैं कहूंगा कि आज भी उस तरह की चैकिंग की ज़रूरत है और वे अपने महल से निकल कर इन डिसगाइज़ रेलगाड़ियों में चले और सरप्राइज़ चैकिंग करें . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब इतनी देर के बाद वे कैसे इनकौगनिटी चल सकते हैं जबकि सब लोग उन को जानते हैं ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : आर्डिनेरी पैसंजर के रूप में यदि वे चलेंगे तो अभी भी बहुत कम लोग उन को पहचानेंगे और कम से कम रेलवे स्टाफ के लोग तो नहीं जान पायेंगे . . .

एक माननीय सदस्य : वह तकलीफ कौन उठाये ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : उन्हों ने तकलीफ़ सही हुई है और तकलीफ़ सहने की उन की आदत है ।

श्री ब्रजराज सिंह : अब जो दूसरे नये आये हैं उन को चलने दीजिये ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : अगर इस तरह से इनकौगनिटो (वेष बदल कर) वे चलेंगे और सरप्राइज़ चैकिंग करेंगे तो उन को मालूम होगा कि रेलवे स्टाफ अपने काम में कितनी दिलचस्पी लेता है और कहां कहां लैप्सेज़ हैं । जब रेलवे मंत्री महोदय प्रोग्राम दे कर नोटिस के साथ जाते हैं तब तो सब काम टिपटौप रहता है क्योंकि उन को पहले से दौरे का पता रहता है और वे पूरी तरह सतर्क रहते हैं और तब कोई ग़लती डिटैक्ट होने का चांस नहीं रहता है । मेरा यह कहना है कि इस तरह के इंस्पैक्शन और दौरे के बाद यह समझ लेना कि कहीं कोई ग़लती नहीं है और सब काम ठीक हो रहा है, यह भ्रम में डालने वाली बात है और उस से यह नतीजा निकाल लेना कि रेलगाड़ियां ठीक समय से और निश्चित समय पर चल रही हैं और पहुंच रही हैं, ठीक नहीं होगा ।

रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों की गाड़ियों का अध्ययन करने हमारा जो रेलवे प्रतिनिधि मंडल गया था उस ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि रूस के रेलवे विभाग ने दावा किया था कि वहां की गाड़ियों का समय से चलने का प्रतिशत ९९ प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक है । भारतीय प्रतिनिधि

मंडल ने जो यात्रायें कीं उन से यह कहा जा सकता है कि गाड़ियां समय पर चलती होंगी क्योंकि सभी गाड़ियां ठीक समय पर अपने स्थानों पर पहुंचीं और किसी देश के बारे में तो इस में ब्योरा दिया नहीं है लेकिन सोवियत रूस की रेलों के बारे में यह दिया हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : गाड़ियों की स्पीड (चाल) के सम्बन्ध में क्या लिखा हुआ है ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : स्पीड के बारे में तो मुझे बहस नहीं करनी है । मुझे और फ़ारेन कंट्रीज़ की रेलवेज़ के आंकड़े तो नहीं मिले । लेकिन हर कोई जानता है कि जर्मनी देश जोकि सन् १९१८ के महायुद्ध में बर्बाद हो गया था और दूसरों के अधीन हो गया था वही जर्मनी फिर सन् १९३४-३५ में अपने अध्यवसाय, परिश्रम और लगन से इतना अधिक मज़बूत हो गया कि उस की गणना संसार के उन्नत राष्ट्रों में की जाने लगी । १५, १६ वर्षों के अर्से में उस ने इतनी अधिक प्रगति कर डाली जबकि ११ वर्षों की आज़ादी के बाद भी हम कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सके और यह कोई हमारे लिये शोभा की चीज़ नहीं है । अन्य देशों की अपेक्षा हम प्रगति करने की रफ्तार में धीमे रहे हैं । जापान को ही ले लीजिये । वह भी दूसरों के अधीन हो गया था लेकिन हमने देखा कि थोड़े ही अर्से में उसने कितनी अधिक प्रगति कर डाली कि सब लोग उस की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं । आखिर क्या बात है जो ११ वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम लोग काफ़ी तरक्की इस ओर नहीं कर रहे हैं । मैं इस से इंकार नहीं करता कि रेलवे में बहुत सुधार हुआ है । रेलगाड़ियां अधिक दी गई हैं और नये नये इंजन आये हैं । मैं इससे भी इंकार नहीं करता कि पिछले महायुद्ध के दौरान लाइंस डिस्मैंटिल्ड (उखाड़ी गई थीं) हो गई थीं लेकिन सारी ही रेलवे लाइन्स डिस्-मैंटिल्ड नहीं हुईं । वह तो नार्थ ईस्टर्न रेलवे है जोकि बर्बाद हुई है और उस को लेकर यहां पर काफ़ी चर्चा और बहस भी हुई है लेकिन सब कोशिशों के बावजूद, तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद रेलवे मंत्रालय का ध्यान उधर कम जाता है क्योंकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के लिये मेन लाइन है और ब्रौड गेज है जबकि मीटरगेज में तो हमारे ऐसे छोटे छोटे लोग ही रहते हैं और मीटरगज लाइन पर बड़े बड़े लोग जाते ही नहीं और उधर रेलवे मंत्रालय का कम ध्यान जाता है । अगर नार्थ ईस्टर्न रेलवे में कुछ सुधार हो सके तो मैं समझूंगा कि वाक़ई कोई सुधार हुआ है ।

पैसेंजर्स एमैनिटीज़ (यात्री सुविधाओं) पर रेलवे मंत्रालय ने काफ़ी अधिक रुपया ख़र्च किया है लेकिन मैं समझता हूं कि सब एमैनिटीज़ एक तरफ़ है और ठीक समय पर रेलगाड़ियों का ठीक और निश्चित समय पर चलना और अपने डेस्टिनेशन्स पर पहुंचना दूसरी तरफ है । अगर इस एमै-निटी को आप गारन्टी कर सकें और अन्य एमैनिटीज़ में यदि कुछ भी हो जाय तो उस की अधिक पर्वाह लोग नहीं करेंगे ।

मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं वह इस दृष्टि से नहीं कर रहा हूं कि मैं रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन को कोई क्रिटिसाइज़ (आलोचना) करूं बल्कि इसलिये कर रहा हूं कि हम लोग सामूहिक बुद्धि लगा कर यह सोचें कि इस में कैसे सुधार हो और कैसे हमारी रेलगाड़ियां ठीक और नियत समय पर चल सकें ।

†**श्री फीरोज गांधी :** गाड़ियों के देर से चलने का प्रश्न बहुत पुराना है । १९४८ में श्री सिधवा के ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस से सम्बन्धित एक कटौती प्रस्ताव का उत्तर देते हुए तत्कालीन रेलवे मंत्री ने कहा था कि गाड़ियों का विलम्ब से चलना एक ऐसी समस्या है जिस का हल करने में कुछ समय लगेगा, तथापि मैं प्रयत्न करूंगा कि यथासंभव शीघ्र इस सम्बन्ध में सुधार हो । ठीक १० वर्ष बाद हमारे रेलवे मंत्री श्री जगजीवन राम ने यह कहा है कि हम ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के समय से चलने के सम्बन्ध में अभी कुछ समय तक आश्वासन नहीं दे सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फिरोज गांधी]

इस प्रकार १० वर्ष पश्चात् भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । जबकि इस लाइन पर इन दस वर्षों में २०५७ लाख रुपये लाइन की मरम्मत और सुधार में व्यय किये गये ।

श्री शाहनवाज़ खां ने श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी पूरी सावधानी बरत रहे हैं और सभी जनरल मैनेजरों से इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करने को कहा गया है तथापि वस्तुतः स्थिति इस के विपरीत है । एक रेलवे प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि विभागीय पर्यवेक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने के पश्चात् भी सहायक अधिकारियों तथा निरीक्षकों ने इस अनुदेश की नितान्त अवहेलना की और एक दो अपवादों को छोड़ कर लगभग सभी ने इस अनुदेश की उपेक्षा की और अपेक्षित रूप से कार्य नहीं किया ।

दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सम्बद्ध अधिकारी इस सम्बन्ध में बिल्कुल उपेक्षा करते हैं ।

वस्तुतः गाड़ियों के समय से चलने के सम्बन्ध में कोई प्रकाशित सामग्री नहीं है । इस के अभाव में हमें मंत्रालय द्वारा दिये गये तथ्यों पर ही निर्भर रहना होता है । गाड़ियों के समय में चलने के प्रश्न के भी अनेक पहलू हैं । पहिला गाड़ियों का समय पर गन्तव्य स्थान में पहुंचना । उस संबंध में स्थिति यह है कि २ अक्तूबर को कालका मेल १० बजे रात रवाना होने के स्थान में ५.३५ बजे प्रातः रवाना हुई जो उस का कालका पहुंचने का समय है ।

इस का दूसरा पहलू यह है कि गाड़ियों का समय से चलने सम्बन्धी प्रतिशत गिरता जा रहा है । उस के लिये रेलवे मंत्रालय इस के सम्बन्ध में सदैव एक से ही कारण देता है । वास्तव में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन में वही बात दुहरा दी जाती है । यदि यह प्रश्न गर्मियों में उत्पन्न होता है तो इस का कारण कर्मचारियों की बीमारी और पानी की कमी बताया जाता है । यदि यह प्रश्न बरसात में उठता है तो कहा जाता है कि वर्षा के कारण पटरियों में टूट फूट हो गई है । यदि जाड़ों में यह बात उठाई जाती है, तो बताया जाता है कि शादियों इत्यादि के कारण लोग गाड़ियों की जंजीर बहुत खींचते हैं ।

सर्वप्रथम मैं गर्मियों के महीनों को लेता हूं उस समय एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि गर्मी के कारण सियालदा विभाग में पानी में नमक का प्रतिशत बढ़ गया था और कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में छुट्टी पर थे । लेकिन यदि आप आंकड़े देखें तो आप को ज्ञात होगा कि सवारी गाड़ियों का समय पर चलने सम्बन्धी प्रतिशत ७५.५ और डाक व एक्सप्रेस गाड़ियों का केवल ६० प्रतिशत है पूर्वोत्तर विभाग में सवारी गाड़ियों का समय से चलने सम्बन्धी प्रतिशत ७६.७ था जबकि डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों का केवल ३८.३ था । इस से दोनों तर्क खंडित हो जाते हैं । यदि गाड़ियों को समय से चलने में विलम्ब पानी में नमक का प्रतिशत बढ़ने से होता है तो दूसरे विभाग में गाड़ियां देर से क्यों चलती हैं । और यदि कर्मचारियों के छुट्टी लेने से गाड़ियां समय पर नहीं चलतीं तो क्या सवारी गाड़ियों के कर्मचारी छुट्टी नहीं लेते ।

अब बरसात का महीना लीजिये । जुलाई अगस्त और सितम्बर के महीनों में सब से अधिक वर्षा होती है । रेलवे मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार जुलाई में ३८ जगह पर पटरी में टूट फूट हो गई थी तब गाड़ियों का समय से चलने का प्रतिशत बड़ी लाइनों में ७८ प्रतिशत था । नवम्बर में जबकि कहीं भी पटरी टूटी नहीं थी तब गाड़ियों का समय से चलने का प्रतिशत केवल ७६.७ था इस से रेलवे मंत्रालय का यह तर्क भी खंडित हो जाता है कि पटरियों के टूटने के कारण

गाड़ियों के समय से चलने में विलम्ब होता है। जाड़ों के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय का तर्क बिल्कुल समझ में नहीं आता है।

रेलवे में गाड़ियों के समय से चलने सम्बन्धी आंकड़ों को संकलित करने का ढ़ंग भी विचित्र है। यदि कोई गाड़ी अपने अन्तिम स्टेशन में समय से पहुंचती है, भले ही वह बीच के स्टेशनों में दो एक घंटे देर से पहुंची और बाद में उस ने विलम्ब को पूरा कर लिया तथापि वह गाड़ी समय पर ही पहुंची समझी जायेगी और आंकड़ों में उस का प्रतिशत शत प्रतिशत रहेगा।

जब श्री जान मथाई रेलवे मंत्री थे तो उस समय यह देख कर कि गाड़ियां समय से नहीं चलती हैं उन्होंने सभी गाड़ियों का समय एक दो घंटे बढ़ा दिया था तथापि उस बढ़ाये हुए समय में भी अब विलम्ब होता है।

विलम्ब का एक बड़ा कारण और है वह है कि इंजन या डिब्बों की उपयुक्त रूप से मरम्मत नहीं की जाती है। चनपटिया और बेतिया के बीच एक दुर्घटना हुई थी जिस में पुल पर जाती हुई गाड़ी के डिब्बों की छतें आंधी से उखड़ गई थीं। उस पर सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि उन डिब्बों की छतों की ठीक से मरम्मत नहीं की गई थी और उन पर कई जोड़ लगे हुए थे। अधिकांश गाड़ियों को बिना भली प्रकार जांच किये ही चलने के लिये प्रमाणित कर दिया जाता है जिस से वे मार्ग में खराब हो जाती हैं और फलतः विलम्ब होता है।

रेलवे मंत्रालय ने जंजीर खींचना विलम्ब का कारण बताया है। लेकिन वह तर्क सिद्ध नहीं होता क्योंकि जिस विभाग में जंजीर खींचने की घटनायें सब से कम हुईं वहां की गाड़ियों की नियमितता भी उतनी ही खराब है जितनी कि उन गाड़ियों में जहां जंजीर खींचने की घटनायें अधिकतम हुई थीं।

वस्तुतः रेलवे कर्मचारियों की कुशलता म कमी हो गई है और सारा काम बहुत ढिलाई से चल रहा है :

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इसलिये मेरा सुझाव है कि गाड़ियों के देर से चलने सम्बन्धी समस्या की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया जाय। उस आयोग में रेलवे बोर्ड, रेलवे कर्मचारी तथा संसद् सदस्य तीनों के प्रतिनिधि होने चाहियें। वे लोग गाड़ियों के देर से चलने के कारणों के सम्बन्ध में जांच कर प्रतिवेदन पेश करें तभी इस सम्बन्ध में वास्तविक कारणों की जानकारी हो सकती है और इन को दूर करने के उपचार ज्ञात हो सकते हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासर गोड) : रेलों के लेट चलने के सम्बन्ध में जो भी कारण मंत्री महोदय द्वारा अक्सर बताये जाते हैं, इस के अतिरिक्त कुछ और कारण भी हैं। मेरे से पूर्व वक्ता ने इस बात पर बड़े व्यापक ढ़ंग से प्रकाश डाला है यह शिकायत दस वर्ष से चल रही है परन्तु अभी तक इस में कुछ सुधार नहीं हुआ है। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस के लेट चलने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति तक ने अपनी रिपोर्ट में आश्चर्य प्रकट किया और सिफारिश की उस के लिये स्टेशनों के इन्टर-लाकिंग की व्यवस्था करनी चाहिये। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में रेलवे का कहना है कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। परन्तु देखने से तो यही प्रतीत होता है कि ऐसा किया नहीं गया। जो निर्णय कार्यान्वित नहीं किये गये हैं उन के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक जांच आयोग का जो सुझाव दिया गया है, म उस के विरुद्ध नहीं। परन्तु प्राक्कलन समिति ने इस प्रकार के जांच आयोग की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। गत जांच समिति की सिफारिशें हो कार्यान्वित नही

†मूल अंग्रेजी में

[अ० क० गोपालन]

की गयी हैं। इस बात को उन्होंने अपनी ३३वीं रिपोर्ट के पृष्ठ ४४ पर स्वीकार किया है और कहा है कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई। अन्य सिफारिशों की भी यही कहानी है। जब प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की यह अवस्था है तो अन्य आयोग क्या करेंगे, इसका अनुमान आप बड़ी सरलता से लगा सकते हैं।

गाड़ियों के लेट चलने के जो कारण बताये गये हैं, उस के अतिरिक्त अन्य भी कई कारण हैं। कहा गया है कि १९५६-५७ में सब से अधिक संख्या में इंजिन फेल हुए। न तो उन की देख भाल ही ठीक ढ़ंग से हुई और न ही समुचित मरम्मत इत्यादि ही हो सकी। इस के परिणामस्वरूप दुर्घटनायें भी हुई। पुर्जों इत्यादि का संभरण भी ठीक ढ़ंग से नहीं हुआ, इस की कमी तो रेलवे मंत्रालय ने स्वीकार भी की है। इस कमी के कारण भी संचालन क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। इस के अतिरिक्त यात्रियों और सामान के यातायात की भी काफी वृद्धि हुई है, और कर्मचारियों की उस हिसाब से वृद्धि नहीं की गई; इस का भी प्रभाव कम नहीं है। जहां ११७ लोग थे वहां अब ७५ व्यक्ति ही काम कर रहे हैं। काम अधिक होने के कारण वे इंजिनों की ठीक ढ़ंग से देख भाल नहीं कर पाते, और इसी से आगे चल कर काम बिगड़ जाता है। यदि कार्य-क्षमता के बारे में विश्लेषण करने का सुझाव दिया गया था परन्तु उसे भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। पुर्जों के व्यादेश भेजने में भी काफी समय लग जाता है इस कारण भी देरी हो जाती है।

इस के अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि गाड़ियों को चलाने का काम अब पुराने ढ़ंग से नहीं होना चाहिये, उन के लिये कोई आधुनिक ढ़ंग निकालना होगा। गाड़ियां स्टेशन पर पहुंच कर भी प्लेटफार्म पर नहीं पहुंच पातीं, इस से भी देरी होती है। इस के अतिरिक्त जो सब से बड़ा कारण है, जिस का अभी तक उल्लेख नहीं किया गया, मैं उस के बारे में ही मुख्यत: कहूंगा। प्राक्कलन समिति ने कहा है कि यदि रेलवे के उच्चाधिकारियों ने रेलवे-चालन से संबंधित कर्मचारियों की कठिनाइयों को मानवीय दृष्टिकोण से न देखा, तो इस से भारी हानि होने की सम्भावना होगी। इस का छोटे बड़े दोनों, कर्मचारियों की ओर से नितान्त अभाव है। इसी के कारण अनुशासन नहीं है। अनुशासन न होने के कारण कार्य में ढील आती चली आ रही है।

स्टेशन मास्टर तथा असिस्टैन्ट स्टेशन मास्टरों का मुख्य पत्र "रेल फ्लैश" इस सम्बन्ध में कहता है,

> "दुर्घटना रोकने के नाम पर कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है। परन्तु क्या इस से दुर्घटनायें रुक जायेंगी, अथवा कर्मचारी ठीक हो जायेंगे ? इस का उत्तर तो 'नहीं' में ही होगा। इस से तो अन्य कर्मचारियों में भय की ही भावना उत्पन्न होगी। इस से अधिकारियों और कर्मचारियों का खिचाव भी बढ़ेगा। एक ओर रेलवे भी प्रशिक्षित लोगों की सेवाओं से वंचित होगी, जिन पर कि काफी कुछ खर्च किया जा चुका है

विभिन्न प्रकार की समस्याओं की चर्चा करने के लिए संयुक्त समितियां भी नहीं हैं। गत बार ऐसा करने का आश्वासन दिया था, ताकि रेलवे के सभी अंगों से सम्बन्धित लोग मिल कर सम्मिलित रूप में अपनी कठिनाइयों पर विचार कर सकें। इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि बिना देखभाल किये ही कर्मचारियों को सजा दे दी जाती है। गाजियाबाद के एक असिस ेन्ट स्टेशन मास्टर को केवल विद्युत् द्वारा शीघ्र सन्देश भेजने के सुझाव देने पर ही उसे विभाग से बदल दिया गया और दो मास तक उसे ेतन ही न दिया। इसके लिये उसे मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत

मुकदमा करना पड़ा । उसको यह भी नहीं बताया गया कि क्यों उसका सुझाव कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । इससे स्पष्ट हो जाता है प्राक्कलन समिति का इस दिशा में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव उचित ही है । उनकी मांगों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार होना चाहिये ताकि लोग अपने कर्तव्यों का अच्छी प्रकार पालन कर सकें । स्थिति यह है कि लोगों को वफादारी से काम करने पर भी सजा दी जाती है और कई बार उन्हें पदच्युत भी कर दिया जाता है ।

दक्षिण रेलवे पर संघों की मान्यता के सम्बन्ध में मैं सविस्तार कहना नहीं चाहता । रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता । कर्मचारियों को स्वयं ही अपनी व्यथा को प्रस्तुत करने को कहा जाता है । साधारण कर्मचारी के यह बस की बात नहीं होती । यही कारण है कि स्टेशन मास्टरों में इतना अधिक ोष है । जब भी कभी वह अच्छा सुझाव देते हैं तो उन्हें सजा दी जाती है । इस प्रकार हालात कैसे सुधर सकते हैं । ओल्लाकोट डिवीज़न के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें हैं । उन्हें अतिरिक्त समय का भत्ता नहीं दिया जाता । स्वाभाविक ही है कि इससे उन में काम करने का उत्साह नहीं रहता । जनरल मैनेजर ने इस मामले को अन्तिम रूप में हल करने का आश्वासन भी दिया था । परन्तु पता नहीं कि इसे किस प्रकार हल किया जायेगा । यदि कोई कर्मचारी कुछ कहता है तो उसे सजा दी जाती है ।

टिकट चैकरों का काम बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ना है । परन्तु उनके लिये न रहने के घर हैं और न ही विश्राम घर । प्रथम दर्जे के विश्राम घर में भी ं नहीं सो सकते । बेचारों को प्लेटफार्म पर सोना पड़ता है और यदि उन्हें अपने काम के लिए जागना हो, तो जगाने वाला कोई नहीं । यही कारण है कि कई बार ये लोग अपने काम से गैर हाजिर रहते हैं । यदि कर्मचारियों की कठिनाइयों का अध्ययन मानवीय दृष्टिकोण से किया जाय और रेलवे प्राधिकार उनकी उचित मांगों को स्वीकार कर ले तो उन में अनुशासन पैदा हो सकता है और हालात सुधर सकते हैं परन्तु यदि एसा न किया गया तो सुधार की कोई आशा नहीं ।

श्री आसर (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, रेलों के देरी से चलने के बारे में यहां चर्चा होने से कोई लाभ होगा, ऐसा आज तक का जो अनुभव हमारा रहा है, उससे नहीं लगता है । लेकिन किस तरह से सुधार हो सकता है, इसके लिये क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए, यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं ।

जो ट्रेंस लेट चलती हैं, इसका एक ही कारण है कि आपके जो अफसर लोग हैं, विशेषतया जो रेलवे की आथोरिटीज़ (प्राधिकार) हैं वे इतनी केयरलैस हैं कि कुछ कहने की बात नहीं । उनकी केयरलेसनेस के कारण ही यह सब कुछ हो रहा है । इसके बारे में दो तीन इंस्टेंस (उदाहरण) मैं बतलाना चाहूंगा । जो बात मैं कहूंगा वह खास तौर पर सैंट्रल रेलवे के बारे में ही कहुंगा ।

पूना और लोनावाला के बीच एक लोकल ट्रेन चलती है । कई लोकल ट्रेंस के बारे में तीन चार बरस से झगड़ा चल रहा है । एक भी ऐसा समय नहीं जबकि यह लोकल ट्रेन ठीक समय पर चलती हो या ठीक समय पर पहुंचती हो । मैं मानता हूं कि देहु और लोनावाला में बहुत सी एम्मुनिशन फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत से कर्मचारी जो उन में काम करते हैं इन्हीं ट्रेंस से ट्रेवल करते हैं । रेलवे के बहुत से दूसरे कर्मचारी भी जो काम पर जाते हैं, इन्हीं ट्रेंस से ट्रेवल करते हैं । उन लोगों की मांग की तादाद बाढ़ाई जाये, अभी तक पूरी नहीं हुई है । इसका नतीजा यह हुआ है कि पूना से जो ट्रेन निकलती है वह एक एक और दो ो घंटा लेट पहुंचती है या पहले ही लेट चलती है । इसके परिणामस्वरूप लोग ठीक समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं और उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है । जब भी इस बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो कोई कारण बतला दिया जाता है । एक कारण यह बताया गया था कि चेन पुलिंग होता है इस वास्ते ट्रेंस लेट होती हैं । किन्तु क्या

[श्री आसार]

आपने इसका पता लगाने की कोशिश की है कि चेन-पुलिंग क्यों होता है । इसका आपने कभी प्रयत्न नहीं किया है । जो लोग देहु और लोनावाला नौकरी के लिये आते हैं, बजाय इसके कि उनकी सुविधा के लिये और लोकल ट्रेंस चलाई जातीं, पहले ही जो ट्रेंस चलती थीं उनमें से भी एक कम कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियां एक एक और दो दो घंटे लेट पहुंचने लगीं। मैं समझता हूं आपको कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उन लोगों को सुविधा हो । ऐसा टायम-टेबल आप बनायें, जोकि उनको सुविधाजनक हो ।

अब मैं बम्बई की लोकल ट्रेंस के बारे में कहना चाहता हूं । आपको मालूम होगा कि बम्बई से थाना लोग नौकरी के लिये आते हैं और दूसरी जगहों पर भी नौकरी के लिये जाते हैं । उन ट्रेंस की हालत यह है कि वे एक एक और आध आध घंटा लेट चलती हैं । कभी कभी तो वे पहले ही लेट निकलती हैं और कभी कभी रास्ते में लेट हो कर लेट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं । वे सर्विस करने वाले लोग हैं और इनकी सुविधा का आपको ध्यान रखना चाहिये और देखना चाहिये कि एक तो इन की तादाद काफी हो और दूसरे ये ठीक समय पर चलें । अगर वे लोग देर से आफिस पहुंचते हैं तो उनको एबसेंट मार्क कर दिया जाता है और फिर कई परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है । इसके बारे में बहुत से रिप्रिजेंटेशन किये गये हैं और एक डेपुटेशन मिनिस्टर साहब से भी मिला था लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया । मैं चाहता हूं कि इन लोगों की सुविधा के लिये यह देखा जाना जरूरी है कि ट्रेंस ठीक समय पर चलें ।

अब मैं आपकी जो प्रेस्टीज ट्रेन हैं जिसको डेकन मेल कहा जाता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा । यह ट्रेन पिछले महीने में जबकि मौसम भी अच्छा था तथा कोई दूसरी खराबी भी नहीं थी एक एक और दो दो घंटे लेट चलती रही । मैं आपको अपना अनुभव बतलाना चाहता हूं । १६ तारीख को मैं जब आया तो मुझे पता चला कि यह ढाई घंटे लेट है । यह निकलने के बाद ढाई घंटे लेट वहां गई । बाद में २२ तारीख को जब यहां से डेकन क्वीन छूटी तो भी करीब करीब डेढ घंटा लेट हो गई । इस का कारण जब मैंने पूछा तब बताया गया कि रास्ते में गुड्स ट्रेन आ जाती हैं, लोकल ट्रेन आ जाती हैं, जिस की वजह से उसे रुकना पड़ता है और वह लेट हो जाती है । पूना से एक गाड़ी छूटती है । मालगाड़ी है । मगर जब वह किर्की से छूटी तो उस में ६३ बागीज़ थीं । और इतनी लम्बी गाड़ी वहां से छूटी कि मुझे लगता है कि कल्याण आने तक शायद उस को कोई ऐसा स्टेशन नहीं मिला जोकि उस को साइडिंग दे दे । इसका परिणाम यह हुआ कि डेकन क्वीन डेढ घंटा लेट हो गई ।

जो मेल ट्रेन हैं उन के लेट हो जाने का दूसरा कारण यह बताया गया है कि रेलवे के अधिकारी उन पर ट्रेवेल करते हैं । रेलवे मन्त्री हों या दूसरे रेलवे अधिकारी हों, उनके लिये स्पेशल कोचेज लगाई जाती हैं । मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा काम होने के कारण उनको स्पेशल कोचेज की आवश्यकता है । लेकिन इन कोचेज को लगाने के लिये हर एक स्टेशन पर आधा आधा घंटा गाड़ी लेट कर दी जाती है । इतनी लेट होने के कारण यह है कि अगर यह कोचेज इंजिन के पास लगाई जायें तो कोयले के उड़ने से बहुत परेशानी होती है और अगर आखिर में लगाई जायें तो धक्के बहुत लगते हैं, साथ ही मिट्टी उड़ने की परेशानी भी होती है । इसलिये अगर किसी स्टेशन पर किसी खास गाड़ी को लगाना होता है तो उसको बीच में लगाने की आवश्यकता होती है । और जब कोच को बीच में लगाने का प्रयत्न किया जाता है तो उसकी वजह से हर स्टेशन पर गाड़ी पन्द्रह, बीस मिनट या आधा घण्टा लेट हो जाती है । मैं एक दफा बम्बई से आ रहा था । भोपाल में गाड़ी करीब आधा घण्टा लेट हो गई । मैंने वहां पर पूछा कि आखिर गाड़ी लेट क्यों हो गई तो मझे बताया गया कि इस गाड़ी से रेलवे के आफिसर्स

जा रहे हैं और उनकी कोच को बीच में लगाना है । इसको बीच में लगाने के लिये गाड़ी को साईडिंग में लाना आवश्यक है । साईडिंग मौजूद न होने के कारण गाड़ी आधा घण्टा तक खड़ी रही और इसकी वजह से गाड़ी लेट हो गई । मैं चाहता हूं कि इस बारे में इस दृष्टि से विचार किया जाय कि आज जब हम सोशलिस्ट पैटर्न आफ गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, उस समय हमारी स्थिति क्या है । हमारी स्थिति यह है कि स्पेशल कोच लगाने के लिये गाड़ी को आधा आधा घण्टा लेट किया जाता है । यह चीज ठीक नहीं है क्योंकि इससे जनता में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है ।

हमारे राष्ट्रपति एक बार पूना से ट्रेवेल कर रहे थे । बम्बई से उनको पंढरपुर जाना था । उनके लिये बम्बई में कोच लगाना था । हमेशा उस गाड़ी में १२ बोगीज रहती हैं, लेकिन उस दिन १७ बोगीज लगा दी गईं । वह तो कहिये कि घाट पर कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन घाट से निकलने के बाद उसकी कपलिंग टूट गई और उस के टूट जाने से गाड़ी को ढाई घंटे लेट करना पड़ा । लेकिन इस के बारे में कोई अपनी रिस्पांसिबिलिटी को लेता नहीं है । यहां पर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता है । जब हम अपने राष्ट्रपति को इस तरह से केअरलेसली ट्रीट कर रहे हैं और उनको इस तरह से ट्रेवल करा रहे हैं तो और लोगों की सुविधा की ओर कौन ध्यान देगा । इसकी ओर कोई नहीं देखता कि १२ बोगियों के बजाय १७ बोगियों के लगाने से गाड़ी डेढ़ दो घण्टे लेट हो गई । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से केअरलेसनेस हम को नहीं करनी चाहिये और इस पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है ।

इसके बाद मैं आपको बतलाऊं कि दीवा में एक्सिडेंट हुआ । वहां पर जो डी० एस० रहता है उसका प्रमुख कर्तव्य है कि वहां पर वह तुरन्त जाय । लेकिन मैंने देखा कि वहां पर भी बहुत लापरवाही है । दीवा में ऐक्सिडेंट हुआ, वहां से ट्रेलिग्राम आया, उसके आते ही डी० एस० को वहां स्पेशल ट्रेन से जाना चाहिये था लेकिन गये वह दूसरे दिन । पूना से सुबह छः बजे जनता एक्सप्रेस चलती है लेकिन जनता एक्सप्रेस में तो वह जा नहीं सकते क्योंकि उनको फर्स्ट क्लास में चलना चाहिये । जनता एक्सप्रेस के बाद जब डेकन क्वीन आई तो उस वक्त डी० एस० वहां पर नहीं थे । पन्द्रह मिनट तक गाड़ी खड़ी रही और लेट हो गई । उस के बाद गाड़ी चली । उस के चलने के बाद मेसेज आई कि वह अपने घर पर हैं । मैं बतलाना चाहता हूं कि जहां पर उनका रास्ते में घर है वहां पर गाड़ी खड़ी कराई गई और जब डी० एस० गाड़ी पर चढ़ चुके तो गाड़ी चलाई गई । यह तो हमारे आफिसर्स की हालत है । जब हम कहते हैं तो कहा जाता है कि इस तरह से बहुत अच्छी तरह काम किया जा रहा है, लेकिन वहां क्या हो रहा है यह कोई नहीं देखता । इसी लिये मैंने यह दो-तीन बातें बताई हैं ।

कुछ महीने हो गये, लोग सफर करते थे तो पाते थे कि फर्स्ट क्लास में लाइट भी नहीं है । पैसेन्जरों ने कम्प्लेन्ट किया कि लाइट नहीं है और गाड़ी का समय हो गया और कंडक्टर बेचारा ढूंढ रहा है कि एलेक्ट्रिसिटी वाला कहां है, लेकिन एलेक्ट्रिसिटी वाला कहीं भी नहीं । गाड़ी चलने के टाइम के बाद भी पांच मिन्ट हो गये । उसके बाद बहुत देर में ढूंढ कर लोग बिजली वाले को लाये और कहा कि इस लाइट को ठीक करो । काम शुरू करने के बाद उस को ठीक करने में आधा घण्टा लग गया और गाड़ी इतनी लेट हो गई । मुझे इस बारे में यह कहना है कि जब ट्रेन आती है तो उसको ठीक करने वाला जो स्टाफ है उसका हाजिर होना आवश्यक है । उस को बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । हर एक जगह यही स्थिति है और इसलिये भी गाड़ियां लेट होती हैं । इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, यह मैं बतलाना चाहता हूं ।

मैंने अभी विशेष रूप से यह बात बतलाई थी कि जनता में इन बातों से बहुत फ्रस्ट्रेशन फैल रहा है । इसका खास कारण यह है कि अगर कोई कम्प्लेन्ट करता है तो उस कम्प्लेन्ट का कोई जवाब नहीं दिया जाता । आज बम्बई की परिस्थिति ऐसी है कि जगह जगह पर लोकल ट्रेन्स चलती हैं, डेकन क्वीन

[श्री ग्रासर]

और जनता गाड़ियां चलती हैं उनकी ओर खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी तरह से पूना से लोग बम्बई तक आते हैं, उनको वहां पर समय पर पहुंचना आवश्यक होता है। लेकिन होता यह है कि अक्सर गाड़ियां लेट आती हैं। और लोग समय पर अपने काम पर नहीं पहुंच पाते हैं और उनका समय बहुत खराब होता है। थोड़े दिन पहले मैंने एक डेली पैसेन्जर नाम की कहानी पढ़ी थी। उसमें बताया गया था कि कोई एडीटर साहब थे वह हमेशा लोकल ट्रेन से जाते थे अपने गांव को। हमेशा गाड़ी लेट चला करती थी, इसलिये उन्होंने गाड़ी से जाना छोड़ दिया क्योंकि चार महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी ठीक समय पर पहुंचे। वह फ्रस्ट्रेट हो गये। इस तरह से छः महीने हो गये। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आज चलो पैसेन्जर गाड़ी से चलने का ही प्रयत्न करें और पैसेन्जर ट्रेन पर बैठ कर ठीक समय पर गाड़ी से अपने गांव आ गये? और पैसेन्जरों से पूछने लगे कि आज यह गाड़ी कैसे ठीक टाइम पर आ गई? वहीं पर स्टेशन मास्टर भी खड़े थे, उन्होंने उन से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, गाड़ी ठीक टाइम पर नहीं आई है, यह २४ घण्टे लेट आई है। तो २४, २४ घण्टे तक गाड़ी लेट जा सकती है। इस पर मैं समझता हूं अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। इस बारे में सोचा जाय और इस को ठीक करने का प्रयत्न किया जाय। इस सम्बन्ध में मेरे पास एक पत्र है जिसमें रेलों के सम्बन्ध में बड़ी बुरी राय व्यक्त की गयी है और कहा गया है कि मध्य रेलवे की हालत बहुत शोचनीय है; बम्बई-पूना सेक्शन के बीच गाड़ियां बहुत देर से आती जाती हैं। लोगों का इन रेलों पर से विश्वास उठता जा रहा है। यह है जनता की राय और इस पर रेलवे प्रशासन को विचार करना चाहिए।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): गत सत्र में रेल गाड़ियों के देर से चलने के सम्बंध में मन्त्री महोदय द्वारा प्रश्नों के असन्तोषजनक उत्तर दिये गये थे, उनके ही कारण इस चर्चा का आरम्भ हुआ है। इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन की ओर से कोई उचित और न्यायपूर्ण कारण नहीं बताये गये हैं। मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम है कि गाड़ियां लेट चल रही हैं। हम आलोचना करते समय रेलवे की कठिनाइयों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करते। हमें उनका पूरा अहसास है। परन्तु हम रेलवे प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि आम जनता में उनके प्रति भारी असन्तोष पाया जाता है। गाड़ियों का लेट चलना अक्षम्य है, और इसकी ओर गम्भीरता से ध्यान देना ही चाहिए। हमें इनके कारणों का पता करके, वर्तमान अवस्था में जो कुछ संभव हो सके करना चाहिए। परंतु किया यह गया कि समय को बढ़ा दिया गया है। जो गाड़ी दिल्ली से जयपुर १०.३५ पर जाती थी, वह दिल्ली से अब १०.१५ पर ही छूट जाती है। क्या इससे दशा सुधर जायेगी? कदापि नहीं। मैं रेलवे प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के परिवर्तन का आखिर औचित्य क्या है? यह लोगों को बतलाने की बातें हैं।

मैं इस सारे मामले की व्यापक जांच का स्वागत करूंगा, और इससे रेलवे प्रशासन को भी लाभ पहुंचेगा। बाहर के कोई व्यक्ति यदि सारे मामले की छानबीन करे तो काफी लाभ प्राप्त होने की आशा हो सकती है। मैं मंत्री महोदय को इसके कुछ कारण बताना चाहता हूं। एक कारण यह है कि विभिन्न रेलों में परस्पर समन्वय का पूरा अभाव है दिल्ली आने वाली पश्चिम रेलवे की गाड़ियों से ठीक व्यवहार नहीं होता और उत्तर रेलवे का बहुत ध्यान रखा जाता है। शायद इसका कारण यह है कि दिल्ली स्टेशन उत्तर रेलवे का होने के कारण वह यह नहीं चाहते कि उनकी गाड़ियों में कोई खराबी पाई जाय। इस समन्वय के अभाव का पता और भी कई एक बातों से लगता है। समयों में जो परिवर्तन हुये हैं उसके सम्बन्ध में उत्तर रेलवे ने पश्चिम रेलवे के परिवर्तनों पर कोई

†मूल अंग्रेजी में

ध्यान नहीं दिया है। इससे अधिकारियों की गैर-जिम्मेदारी का पता चलता है। मैं जानता हूं कि उनमें ील आ रही है और वे समझने लगे हैं कि यदि प्रशासन में योग्यता आ गयी तो वे प्रभावहीन हो जायेंगे। जनरल मैनेजरों के सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हुये मैंने उपमन्त्री से पूछा था कि क्या उन्होंने अनुशासन स्थापित करने के बारे में विचार किया है ? उन्होंने उत्तर दिया था कि चर्चा तो की गयी है परन्तु वह गोपनीय होने के कारण बताई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा था कि वह बाद में इस बारे में कुछ बता सकेंगे। मैं नहीं कह सकता कि इसमें क्या गोपनीय बात थी। अनुशासन बड़ी ही आवश्यक चीज है, यदि हमने इस सम्बन्ध में ढील दिखाई, तो वे अधिकारी भी गैर-जिम्मेदारी से काम करने लगेंगे जिन्हें कि आज कुछ अपने कर्तव्य का अहसास है। मन्त्री महोदय को सदन में यह बताना चाहिए कि कर्मचारियों में अनुशासन स्थापित करने के महत्वपूर्ण मामले में, वह क्या कर रहे हैं। अच्छे प्रशासन के लिए यह बड़ा ही आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों को सब प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिएं, परन्तु साथ ही यह भी चाहता हूं कि वे भी ठीक ढंग से काम करें।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मन्त्री महोदय को जानते हुए भी अपनी किसी कमजोरी का औचित्य सिद्ध नहीं करना चाहिए। इस आत्म-तुष्टि का उनके ही प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अधिकारियों में गैर-जिम्मेदारी बढ़ेगी। लोगों में भी असन्तोष बढ़ता है। यह कहने में कोई बुराई नहीं कि हमारी कठिनाइयां यह हैं और इसके ये कारण हैं, अतः हम असफल रहे और और प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जहां तक सम्भव होगा मामले का सुधार किया जायगा। आज सारे देश में यह सामान्य विचार फैल गया है कि प्रशासन काफी बिगड़ता जा रहा है। रेलवे पर तो इसलिए इतनी आलोचना हो गयी क्योंकि इसका जनता से सीधा सम्पर्क है और इस दिशा में प्रशासन की कमी लोगों की दृष्टि में बहुत शीघ्रता से आती है। अतः रेलवे प्रशासन को जनता को सन्तुष्ट करने के लिए सारे सम्भव प्रयत्न करने चाहियें।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : रेलों के देर से चलने के तीन कारण हैं, पहला मानवीय, दूसरा प्राविधिक और तीसरा कुछ यात्रियों का रवैया। मानवीय कारणों का यदि आप पूरा अध्ययन और विश्लेषण करें, तो आपको पता चलेगा कि ऊंचे अधिकारियों और नीचे के कर्मचारियों में सहयोग की भावना का अभाव है। मैं मानता हूं कि कर्मचारियों में भी लापरवाही होती है और उनमें भी दोष हैं लेकिन उनके इस रवैये के भी कारण हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि उनके संघों को मान्यता दी जाय उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाये। परन्तु इसके लिए उन्हें अधिकारियों की डांट खानी पड़ती है। आखिर वे इन्सान हैं, और उन पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता और वे समुचित ढंग से काम नहीं करते। इसके विपरीत अधिकारियों को विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करन की पूरी सुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं। यही कारण है कि मैं नहीं मानता कि समय की पाबन्दी के अभाव का कारण सिर्फ़ रेलवे कर्मचारी हैं। उनके दोष हैं, मैं मानता हूं लेकिन अन्य बातों के समुचित कारण हैं और इसी लिए ही आज सर्वत्र रेलवे प्रशासन में उपेक्षा-वृत्ति दिखाई दे रही है।

अन्य कारण प्राविधिक हैं। इंजिनों की प्रायः कोई देखभाल नहीं होती और बिना पूरा निरीक्षण किये ही इंजिन रेलों के साथ जोड़ दिये जाते हैं, जिससे दुर्घटनायें भी होती हैं और गाड़ियों के प्रायः लेट हो जाने की सम्भावना रहती है। कोई प्राकृतिक कावटें अर्थात् वर्षा, तूफान की कोई बात हो तो मामला दूसरा होता है, परन्तु सामान्य हालतों में भी ऐसा ही होता रहता है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां प्रशासन के समक्ष कोई उद्देश्य होता है और हमारे यहां ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार बहुत सी समस्यायें हैं मैं श्री फीरोज गांधी से सहमत हूं कि इस मामले की जांच होनी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

चाहिए । इसमें न केवल रेलवे प्रशासन का लाभ है, प्रत्युत् जनता को भी इसी में लाभ होगा और रेलवे प्रशासन में सुधार की कुछ आशा की जा सकेगी ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं उन सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया । कई सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिये हैं । उन पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

मैं यह नहीं कहूंगा कि गाड़ियां विलम्ब से नहीं चलती हैं । न मैं गाड़ियों के देर से चलने के सम्बन्ध में कोई सफाई पेश करूंगा । हम इस सम्बन्ध में सुधार करने का भरसक प्रयत्न करते हैं । तथापि मैं सभा के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में हमारी कठिनाइयों की ओर ध्यान देवें । माननीय सदस्यों ने गाड़ियों से विलम्ब के चलने के कई कारण बताये हैं और यह कहा है कि जो कारण इस सम्बन्ध में रेलवे द्वारा बताये जाते हैं वे सही नहीं हैं । मैं इस सम्बन्ध में बिना कुछ छिपाये हुए रेलवे का सही चित्र माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं जिस से वे इस प्रश्न पर निष्पक्षता से विचार कर सकें ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि रेलवे को एक निश्चित लक्ष्य स्थिर कर लेना चाहिये कि किस सीमा तक वे रेलों को समय से चलाने में समर्थ हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने निम्नलिखित लक्ष्य निश्चित किये हैं । सभी गाड़ियों के लिये, उन्होंने ९० प्रतिशत समय से चलने का लक्ष्य स्थिर किया है । मेल और ऐक्सप्रैस गाड़ियों के लिये ८५ प्रतिशत बिजली से चलने वाली उपनगरीय गाड़ियों के लिये ९५ प्रतिशत तथा अन्य सवारी गाड़ियों के लिये उन्हों ने ९० प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया है । रेलवे मंत्रालय ने ये लक्ष्य स्वीकार कर लिये हैं । निस्सन्देह हम सभी खंडों में इन लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके हैं तथापि हम बहुत जगह इन लक्ष्यों के पर्याप्त निकट पहुंच चुके हैं ।

बड़ी लाइन में गाड़ियों के समय से चलने के प्रतिशत के सम्बन्ध में घटोत्तरी हुई है । १९५५ में यह प्रतिशत ७७.३ था जो १९५८ में घट कर ७५.३ रह गया है । डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों में भी गाड़ियों के समय से चलने सम्बन्धी प्रतिशत में कमी हुई है । १९५५ में यह प्रतिशत ६९.४ था जो १९५८ में ६६ प्रतिशत रह गया है ।

छोटी लाइन में इस सम्बन्ध में सन्तोषजनक प्रगति हुई है । १९५५ में छोटी लाइन में गाड़ियों के समय से चलने का प्रतिशत ७४.२ था १९५८ में बढ़ कर यह प्रतिशत ८०.८ हो गया है ।

†**श्री फीरोज गांधी** : रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित 'इंडियन रेलवेज' में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार गाड़ियों के समय से चलने का प्रतिशत १९५२–५३ में ८३.५७ था जो १९५६–५७ में घट कर ७४.५२ प्रतिशत रह गया है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्य एक विशेष अवधि के आंकड़े दे रहे हैं । मेरे पास अपेक्षाकृत नवीन आंकड़े हैं । श्री तिवारी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि पूर्वोत्तर रेलवे में बिल्कुल अंधेर गर्दी मची हुई है और कोई भी गाड़ी समय से नहीं चल रही है । मैं पूर्वोत्तर रेलवे की डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों के समय से चलने सम्बन्धी आंकड़े दूंगा । अक्तूबर १९५७ में यह प्रतिशत ५६.७ था जो अक्तूबर १९५८ में बढ़ कर ८०.५ हो गया । नवम्बर के प्रतिशत में

†मूल अंग्रेजी में

अग्रेतर सुधार हुआ है। सभा के एक प्रमुख सदस्य अभी हाल पूर्वोत्तर रेलवे में यात्रा कर के लौटे हैं उन्होंने रेलवे मंत्री को वहां के रेलों की नियमितता को देख कर बधाई दी है।

सिकन्दराबाद और मद्रास खंड में छोटी लाइन की उपनगरीय गाड़ियों में गाड़ियों के समय से चलने का प्रतिशत ९२.१ था यह लक्ष्य प्राक्कलन समिति द्वारा निश्चित लक्ष्य के बहुत निकट है।

गाड़ियों के देर से चलने के कारणों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है : कार्य प्रवर्तन सम्बन्धी कारण, मौसम सम्बधी कारण, तथा अन्य कारण।

पहिले कारण, यथा कार्य प्रवर्तन सम्बन्धी कारण के अन्तर्गत गाड़ियों के समय से चलने में कमी का एक कारण यह है कि माल का यातायात बहुत बढ़ गया है। हमें एक ही खंड में अपेक्षाकृत अधिक माल गाड़ियां चलानी होती हैं। इस का अनुमान आप को निम्न आंकड़ों से हो जायेगा १९४८–४९ में मालगाड़ियों ने कुल ४,०३,७५,००० मील की यात्रा की। १९५७–५८ में यह बढ़ कर ६,२८,६२,००० मील हो गई। यदि १९४८–४९ में देशनांक को १०० मान लिया जाय तो १९५७–५८ में यह अंक १५५.७ हो गया। यह वृद्धि छोटी लाइन की गाड़ियों में इस से भी अधिक हुई है। १९४८–४९ में यदि यह देशनांक १०० था तो १९५७–५८ में यह बढ़ कर १६६.५ हो गया है। यातायात में भी बहुत वृद्धि हुई है। बड़ी लाइन के एक विशेष भाग में १९३८ में प्रतिदिन १ मील पटरी में ट्रेन मीलों की संख्या १३.८ थी। १९५७–५८ में यह बढ़ कर २०.१ हो गई। यदि एक विशेष भाग में अधिक गाड़ियां चलती हैं तो हम अधिक माल और यात्री ले जा सकते हैं। अन्य सुविधायें भी उस के अनुसार ही बढ़ानी पड़ती हैं। वस्तुतः यात्री यातायात में ३०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ट्रेन मीलों की संख्या में १०६ से कुछ अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है।

योजना की प्रगति के साथ-साथ हमारे सामने अधिक माल व अधिक यात्रियों के ले जाने की भी समस्या है। उत्पादन बढ़ने के साथ यातायात में भी वृद्धि होगी। इस के साथ ही हमारी जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है।

एक ओर अधिक मालगाड़ियां चलाने की मांग की जाती है। तो दूसरी ओर अधिक सवारी गाड़ियां चलाने की मांग होती है। साथ ही यह मांग भी की जाती है कि किसानों को देश-दर्शन की सुविधा प्रदान की जाये। इस के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिये विशेष गाड़ियां चलाने की मांग होती है इन सब बातों से यातायात का घनत्व बढ़ जाता है। मानलीजिये किसी एक विशेष विभाग में दो गाड़ियां दो ओर से चल रही हैं तो उक्त दोनों गाड़ियों का चार स्थानों पर एक दूसरे के साथ मेल होगा यदि हम दोनों ओर से एक एक गाड़ी और बढ़ा देवें तो उनका ९ स्थानों पर मेल होगा।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या आप उक्त बातों के लिये समय सारिणी में व्यवस्था नहीं करते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कठिनाई यह है कि हमारी लाइनों की क्षमता सीमित है और सारी प्रमुख लाइनें अधिकतम सीमा तक काम कर रही हैं। इसका उपचार यह है कि या तो दुहरी लाइनें बिछायी जायें या गाड़ियों को बिजली से चलाया जाये। इन दोनों बातों में समय लगता है।

कुछ महीनों पूर्व हमारे पास इस प्रकार की निरन्तर शिकायतें आती थीं कि हावड़ा और बर्दवान के बीच यात्रियों ने रेलवे कर्मचारियों को पीट दिया और व्यवस्था अपने हाथों में ले ली है। दूसरी बात यह है कि किसी एक गाड़ी के देर से चलने के कारण दोनों गाड़ियों को रोकना होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज़ खां]

यदि किसी एक गाड़ी को चलने दिया जाय तो दूसरी गाड़ी के यात्री पटरी पर धरना दे कर कहते हैं कि हमारी गाड़ी को पहिले क्यों नहीं चलाया गया। हमें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होता है। अब हम ने हावड़ा और बर्दवान के बीच बिजली से रेलें चला दी हैं। वहां के लोग अब सन्तुष्ट हैं। गाड़ियां समय से चल रही हैं। गाड़ियों के समय के चलने का प्रतिशत ९० प्रतिशत है। अधिक गाड़ियां चलने के कारण अधिक भीड़भाड़ भी नहीं है। तथापि यह सुधार शीघ्र नहीं हो सकता है और बहुत खर्चीला भी है। हमें उसी राशि के अनुसार काम करना होता है जो हमें दी गई है।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मेरी शिकायत है कि जहां ब्रांच लाइनें हैं, जहां पर गाड़ियां ठीक समय पर चलाई जा सकती हैं, वहां पर भी कर्मचारियों की ढिलाई की वजह से गाड़ियां देर से चलती हैं। इस का कोई उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां ब्रांच लाइनें हैं और जहां गाड़ियों के चलने में कोई ढिलाई है, अगर माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गाड़ियां ठीक समय पर चलें।

बढ़ते हुए यात्री और माल के यातायात का सामना करने के लिये हम वहीं पर दुहरी लाइनें बिछा रहे हैं। कहीं बिजली से गाड़ियां चला रहे हैं, कहीं पर लाइनों की क्षमता बढ़ा रहे हैं तो कहीं यार्डों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। गाड़ियों के संचालन में सिगनल व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है। जहां गाड़ियां बहुत अधिक चलती हैं वहां स्वचालित सिगनल प्रणाली है। हम सिगनल व्यवस्था के स्तर को ऊंचा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। सिगनल व्यवस्था का जिक्र करते हुए एक माननीय सदस्य ने यह बताया था कि कालका मेल कई घंटे देर से रवाना हो सकी। इस सभा के एक माननीय सदस्य ने मुझे रेलवे स्टेशन से १ बजे फोन किया।

वस्तुतः इस का कारण यह था कि हम दिल्ली पश्चिम के दो केबिनों के लीवर-फ्रेमों की सफाई कर रहे थे। सफाई का कार्य २ अक्तूबर को प्रारम्भ किया गया था। यह पहिला दिन था जब कि इस अत्याधिक व्यस्त भाग का कार्य बन्द किया गया। रेलों को सुरक्षित रूप से चलने के प्रयोजन से निर्मित अस्थायी कार्य अनुदेशों के अंतर्गत ८ स्थायी गुमटियों की स्थापना की गई ३२ अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों तथा कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया। एक गाड़ी के दो घंटे बत्तीस मिनट देर से आने पर और अधिक कठिनाई पैदा हो गई क्योंकि इस से दूसरी कई प्रमुख गाड़ियों में भी गड़बड़ी हो गई। यार्ड बिल्कुल असम्बद्ध हो गया था। ठीक इसी समय दो कोयला ढोने वाले क्रेन इंजिन शैड में कार्य करने में असफल रहे। जिस से इंजिनों की गतिविधि और उन में कोयला देने में देर हो गई।

सिगनल प्रणाली के बन्द हो जाने पर प्रत्येक गाड़ी का संचालन रेलवे कर्मचारियों द्वारा रास्ता दिखा कर किया जाता है। हर प्वाइंट पर एक सहायक स्टेशन मास्टर को इस काम के लिये नियुक्त करना होता है। उस में ताला लगाना होता है। प्रत्येक गाड़ी को सुरक्षित रूप से वहां से ले जाया जाना होता है। यह कार्य बहुत दुष्कर होता है। हम इसे यथा संभव सरल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह काम समाप्त हो जायेगा तो इस भाग में भी गाड़ियां समय से चलने लगेंगी और यात्री सन्तुष्ट हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जहां तक यात्री यातायात में वृद्धि का सवाल है इस सम्बन्ध में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं। यदि वर्ष १९३८-३९ के देशनांक को १०० मान लिया जाय तो १९५७-५८ में यह ३०६ है। इस प्रकार ३०० प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। छोटी लाइन में यह देशनांक १९३८-३९ में १०० था जो अब बढ़ कर ११० हो गया है। यात्री ट्रेन मीलों में इस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। ट्रेन मील सम्बन्धी देशनांक को यदि १९३८-३९ में १०० माना जाय तो १९५७-५८ में यह केवल १०६.९ है। छोटी लाइन में यह स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। यदि वर्ष १९३८-३९ के देशनांक को १०० माना जाय तो १९५७-५८ में यह १२७ है। इसलिये मैं श्री द्वा० ना० तिवारी की बात का विरोध करता हूं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्): क्या अतिरिक्त गाड़ियों के मेल होने में जो अतिरिक्त समय लगता है वह समय सारिणी में दिये हुए समय के अलावा होता है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जिन लाइनों में पहिले ही अधिकतम संख्या में गाड़ियां चल रही हैं वहां अतिरिक्त गाड़ियों के मेल होने से अधिक विलम्ब होता है और कठिनाइयां बढ़ती हैं।

मैं आप को ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के सम्बन्ध में एक उदाहरण दूंगा। दिल्ली से मद्रास १३०० मील है। दिल्ली और मद्रास के बीच १२०० मील में केवल इकहरी लाइन है। सारी लाइन में सुधार तथा यार्डों के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। हम एक खंड लेकर उसे समय सारिणी में शामिल कर लेते हैं। इसी बीच हम दूसरे खंड में काम शुरू कर लेते हैं जिसे शामिल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली से दक्षिण पश्चिम और पूर्व की ओर जाने वाले सदस्य देखेंगे कि लाइनों में पुरजोर काम चल रहा है। हम सदैव स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं।

गाड़ियों के देर से चलने का दूसरा कारण पुराने इंजिन और डिब्बे हैं जिन्हें हमें काम में लाना होता है। बड़ी लाइन में २९.८२ प्रतिशत इंजिन और ३६.१४ प्रतिशत डिब्बे निर्धारित समय पूरा होने के पश्चात भी काम कर रहे हैं। छोटी लाइन निर्धारित समय पूरा होने के उपरांत भी काम में लगे हुए इंजिन १९.२५ प्रतिशत और डिब्बे १८.७ प्रतिशत हैं। हम इन पुराने इंजिन व डिब्बों को छुट्टी देना चाहते हैं। पुराने इंजिन हमेशा कठिनाई पैदा करते हैं, खराब हो जाते हैं तथापि हमें गाड़ियों को चलाना है। इसलिये हमें पुराने इंजिन और डिब्बों को पर्याप्त संख्या में काम में लाना होता है।

सभा के निरंतर आग्रह पर हम इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वे वस्तुएं बाहर से न खरीदी जायं जो देश में निर्मित की जा सकती हैं। सौभाग्य से इंजिन और डिब्बों के सम्बन्ध में हम लगभग स्वावलंबी हो गये हैं। हम इन वस्तुओं का आयात नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः विदेशी मुद्रा बचाने के लिये ही हम पुराने इंजिनों से काम ले रहे हैं।

पुराने इंजिनों के साथ दूसरी बड़ी कठिनाई यह है कि इंजिन खराब हो जाते हैं। १९५७ में इंजिनों की खराबी के १६२४ मामले हुए। मोटे तौर से प्रति माह इंजिनों की खराबी के १३५ मामले हुए। इन में से अधिकांश खराबियां घटिया प्रकार के कोयले के कारण हुई जो कि रेलों को मिल रहा है। हम ने इस मामले में सम्बद्ध मंत्रालय से बातचीत की है और इस समय हमें कोयला, कोयला आयुक्त से मिल रहा है। हम ने प्रथम श्रेणी के कोयला खानों से कोयले की व्यवस्था खुद करने के सम्बन्ध में, तथा कोयले के निरीक्षण करने के लिये धनबाद में कोयला निरीक्षणालय

† मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज खां]

की स्थापना करने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की है । सम्बद्ध मंत्रालय ने यह मामला स्वीकार कर लिया है अब हम रेलवे को दिया जाने वाला कोयला निरीक्षण करने में समर्थ होंगे ।

†**श्री फीरोज गांधी :** उक्त बातों से रेलों के समय पर चलने में कोई सुधार नहीं होगा । क्योंकि रेलवे सामान्यरूप से एक अकुशल विभाग है । और आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं ।

†**श्री शाहनवाज खां :** कई सदस्यों ने रेलवे श्रमिकों और कर्मचारियों की अनुशासनहीनता की ओर ध्यान आकर्षित किया है । इस समस्या से मंत्री, रेलवे बोर्ड तथा गाड़ियों के संचालन के प्रभारी सभी चिन्तित हैं । जांच समितियों ने कई ऐसे मामलों का ज़िक्र किया है जहां स्टेशन मास्टर चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के भय से बिल्कुल पंगु हो गये । हम इस बात के लिये दृढ़ हैं कि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता को सहन नहीं किया जायगा ।

सदस्यों ने हमारे यहां के गाड़ियों के समये से चलने की रूस और जापान की गाड़ियों से तुलना की है । मैं जापान कुछ दिन रहा हूं और एक बार मैंने जापान रेलवे के अध्यक्ष से अनौपचारिक रूप से भेंट की । और उससे पूछा कि "आप बिना टिकट यात्रा करने वालों की समस्या का निपटारा किस प्रकार करते हैं?" उन्होंने कहा, "हमारे यहां इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है ।" इसी प्रकार उन्होंने बताया कि हमारे यहां जंजीर खींचने की कोई समस्या नहीं है । वहां कर्मचारियों और जनता में ऊंचे प्रकार का अनुशासन है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे हमारे श्रमिकों में भी इसी कोटि का अनुशासन लाने का प्रयत्न करें । कई बार कर्मचारियों को भड़काया जाता है । और कहा जाता है कि अधिकारी मनमाने ढंग का व्यवहार करते हैं । वस्तुतः रेलवे में इस प्रकार का भेदभाव खत्म हो रहा है । मेरे विचार से श्रमिकों पर बाहर से जितना कम हस्तक्षेप होगा उतनी ही अधिक कुशलतापूर्वक काम करने में वे सफल होंगे । मुझे वास्तव में यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि सभा के एक उत्तरदायी सदस्य श्री अ० क० गोपालन ने यह आरोप लगाया कि कर्मचारियों को सुझाव देने पर दंड दिया गया ।

मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि हम ने प्रत्येक रेलवे में ऐसी समितियां स्थापित की हैं जहां श्रमिकों से सुझाव मांगे जाते हैं । और जिन के सुझाव स्वीकार किये जाते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने यह बताया है कि विभिन्न खंडों के बीच कोई समायोजन नहीं है और दूसरे खंड से आने वाली गाड़ी के साथ पक्षपात किया जाता है । यह गलत है वस्तुतः प्रत्येक स्टेशन में गाड़ी खड़े करने का स्थान या प्लेटफार्म इत्यादि सीमित होते हैं । इसलिये गाड़ियों को सिगनल के बाहर रोकना होता है । कभी एक खंड से आने वाली गाड़ी रोकी जाती है कभी दूसरे खंड से आने वाली गाड़ी रोक दी जाती है । वस्तुतः कठिनाई गाड़ी खड़े करने की सुविधाओं का अभाव है ।

वस्तुतः स्वयं रेलवे मंत्रालय भी गाड़ियों के समय से चलने की स्थिति के सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं है और हम इस में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैंने सभा के समक्ष तत्सम्बन्धी कठिनाइयां रख दी हैं । हम लाइनें दुहरी करके, बिजली द्वारा रेलें चला कर तथा अन्य पूर्वोक्त तरीकों द्वारा इस में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि उक्त बातों से स्थिति में सुधार होगा ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

† मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		११८९—१२१२
तारांकित प्रश्न संख्या		
४५३	आसाम में प्राकृतिक गैस	११८९—९१
४५४	भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय	११९१–९२
४५५	विदेशों के उत्कृष्ट ग्रन्थ	११९३–९४
४५६	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	११९४—९८
४५८	विश्वविद्यालय के प्राध्यापक	११९८–९९
४५९	केन्द्रीय युद्धास्त्र डिपो, छिवकी	११९९–१२००
४६०	पश्चिम जर्मन सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां	१२००–०१
४६२	इंडिया आफिस लाइब्रेरी	१२०२–०३
४६३	अतिरिक्त सचिव	१२०३—०५
४६४	ग्राम्य शिक्षा समिति	१२०५—०७
४६६	भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वबैंक का प्रतिवेदन	१२०७—०९
४६७	हिन्दी टेलीप्रिंटर	१२०९–१०
४६८	इस्पात के पुनर्वेलन कारखानों की स्थापना	१२११–१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१२१२—६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४६१	मद्रास में उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था	१२१२–१३
४६५	दर्शन यंत्रों के कांच	१२१३
४६९	दशमिक सिक्के	१२१३
४७०	सुनाली-पोखरा रोड	१२१४
४७१	मैसूर में ताम्र माक्षीक	१२१४
४७२	भ्रष्टाचार	१२१४–१५
४७३	बैंकों की पेशगियां	१२१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४७४	एकीकृत निवेली लिगनाइट परियोजना	१२१५
४७५	आयात किये गये इंजन	१२१६
४७६	मध्य प्रदेश में इस्पात की पुनर्बेलन मिलें	१२१६
४७७	दिल्ली में जल संभरण	१२१६–१७
४७८	निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	१२१७–१८
४७९	पोर्सिलीन के बनावटी दांत	१२१८
४८०	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक् किया जाना	१२१८
४८१	प्राथमिक शिक्षा	१२१८–१९
४८२	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अवकाश यात्रा की रियायत	१२१९
४८३	लोकगीत	१२१९
४८४	नगर तथा ग्राम आयोजन स्कूल	१२२०
४८५	हिन्दू धार्मिक संस्थायें	१२२०
४८६	विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग	१२२०–२१
४८७	भारतीय रुद्रा का पकड़ा जाना	१२२१
४८८	गांधी भवन	१२२१
४८९	बोस जांच बोर्ड	१२२२
४९०	जैट इंजन	१२२३
४९१	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण	१२२३
४९२	देव नागरी लिपि	१२२४
४९३	वैज्ञानिकों और प्रोद्योगिविज्ञो का केन्द्रीय पूल	१२२४
४९४	बिजली के शवदाह यंत्र	१२२५

अतारांकित प्रश्न संख्या		
७०६	रेडियो सीलोन का व्यापार विभाग	१२२५
७०७	सेना के स्टोर में आग लगना	१२२६
७०८	निजी थैलियां	१२२६
७०९	सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धियां	१२२६
७१०	भारत का राज्य बैंक	१२२६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
७११	कोयला खानों के टैक्नीकल कर्मचारी . .	१२२७
७१२	उड़ीसा में समाज कल्याण केन्द्र . .	१२२७-२८
७१३	अस्पृश्यता . .	१२२८
७१४	बम्बई के आदिम जाति क्षेत्र . .	१२२८-२९
७१५	दिल्ली में अवैध शराब बनाने की भट्टियां .	१२२९
७१६	बम्बई राज्य में तेल के लिये छिद्र किया जाना .	१२२९-३०
७१७	केरल में लिग्नाइट के निक्षेप .	१२३०
७१८	अस्पृश्यता . . .	१२३०
७१९	जोरहाट में इंजीनियरिंग कालेज	१२३०-३१
७२०	सशस्त्र सेना हित निधि	१२३१
७२१	उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्र	१२३१
७२२	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल .	१२३१-३२
७२३	उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास	१२३२
७२४	समाज शिक्षा .	१२३२-३३
७२५	जम्मू और काश्मीर में दर्शक .	१२३३
७२६	निर्वाचन याचिकायें	१२३३
७२७	टेगोर जन्म शताब्दी समारोह .	१२३३-३४
७२८	दिल्ली की जामा मस्जिद	१२३४
७२९	विश्वविद्यालय प्रयोगशालायें	१२३४
७३०	आयकर की किश्तें .	१२३४-३५
७३१	खान इंजीनियर . . .	१२३५-३६
७३२	टैक्निकल शिक्षा के प्रादेशिक एवं राज्य बोर्ड	१२३६-३७
७३३	कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति	१२३७-३८
७३४	ग्राम्य उच्च संस्थायें .	१२३८
७३५	बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक	१२३८-३९
७३६	भारत इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट (लिमिटेड) बंगलौर का उत्पादन .	१२३९
८३७	हिमाचल प्रदेश की जेलें .	१२३९-४०
७३८	युद्ध में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों का पुनर्वास .	१२४०
७३९	नौसेना विस्तार कार्यक्रम	१२४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७४० राष्ट्रीय कोयला विकास निगम . १२४०
७४१ अखिल भारतीय पेट्रोल प्रोद्योगिकीय संस्था १२४१
७४२ श्रम अपीलों के लिये उच्चन्यायालय की अलग बेंचें १२४१
७४३ दिल्ली छावनी बोर्ड के अध्यापकों की मांगें १२४१
७४४ डिप्लोमा संस्थायें . . १२४२
७४५ नारनौल में लौह अयस्क के निक्षेप १२४२
७४६ संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केन्द्र . १२४२
७४७ खेलों के लिये अनुदान १२४२-४३
७४८ भारत स्काउट और गाइड १२४३
७४९ छात्रेतर युवक क्लब और केन्द्र . . . १२४३
७५० आदिम जाति के कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड १२४४
७५१ टेक्निकल संस्थायें १२४४-४५
७५२ विवरणिका का संकलन . १२४५
७५३ लाहौल और स्पिती क्षेत्र में सड़कें . १२४५-४६
७५४ बकाया आय-कर . . . १२४६
७५५ निम्न उदय भट्टी अग्रिम संयंत्र . १२४६
७५६ इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा १२४७
७५७ प्रतिरक्षा कालेज . . . १२४७
७५८ विश्वविद्यालयों को विदेशी अनुदान १२४७
७५९ केरल में अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां . १२४७-४८
७६० उड़िया नाटक . १२४८
७६१ केन्द्रीय भारत-विद्या संस्था . १२४८
७६२ आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम १२४८
७६३ विश्व पैट्रोलियम सम्मेलन . . . १२४९
७६४ दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये परामर्शदाता इंजीनियर १२४९
७६५ नौसेना के अभ्यास . १२४९
७६६ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् १२४९-५०
७६७ पिछड़े वर्गों का पुनर्वर्गीकरण १२५०
७६८ विवेकाधीन निधियां . १२५०

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७६९	भारतीय नागरिकता . . .	१२५१
७७०	पनडुब्बी अभेद्य-युद्धपोतों की खरीद . .	१२५१
७७१	बीकानेर में पकड़ा गया चोरी-छिपे लाया गया सोना .	१२५१
७७२	त्रिपुरा में परगना-हाकिमों की नियुक्ति .	१२५१–५२
७७३	नोटों का पकड़ा जाना . . .	१२५२
७७४	सेनाओं में भर्ती . .	१२५२
७७५	फौजी ट्रकों की दुर्घटनायें	१२५२–५३
७७६	वैस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के लिये विदेशी मुद्रायें .	१२५३
७७७	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के कर्मचारी .	१२५४
७७८	सेवा-निरंतरता और परिवीक्षा-अवधि नियम	१२५४–५५
७७९	सोने का तस्कर व्यापार . . .	१२५५
७८०	उड़ीसा में कल्याण विस्तार परियोजनायें .	१२५५
७८१	हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज .	१२५५–५६
७८२	देहली पब्लिक लाइब्रेरी	१२५६
७८३	आदिम जाति क्षेत्र . .	१२५६
७८४	आदिम जाति प्रविधिक संस्था	१२५७
७८५	असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद्	१२५७
७८६	भंगियों के लिये हाथ गाड़ियां और ठेले .	१२५७
७८७	प्राइमरी शिक्षा . .	१२५८
७८८	दिल्ली के बेसिक स्कूलों के अध्यापक . . .	१२५८
७८९	बीमा	१२५९
७९०	स्वदेशी वस्तुओं का प्रभावपूर्ण उपयोग .	१२५९
७९१	आप्रवासी मुसलमान . . .	१२६०
७९२	पंजाब में लौह अयस्क के निक्षेप . .	१२६१
७९३	पुस्तकों के सस्ते संस्करण .	१२६१–६२
७९४	वार्षिक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी . . .	१२६२
७९५	पैट्रोलियम उत्पाद	१२६२
७९६	सशस्त्र सेना के प्रधान कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी .	१२६३
७९७	लन्सडौन, लन्ढौर और चकरौता छावनियों का विकास	१२६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७९८	इंजीनियरिंग का डिप्लोमा	१२६४–६५
७९९	दिल्ली के लिये कोयला .	१२६५
८००	भ्रष्टाचार के मामले . .	१२६५
८०१	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	१२६५–६६
८०२	लुनेज में भूमि का अर्जन	१२६६
८०३	दिल्ली पुलिस . .	१२६६
स्थगन प्रस्ताव		१२६७–६८

अध्यक्ष ने एक स्थगन-प्रस्ताव को, जो गन्ने की कीमत में वृद्धि के लिये उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान-सभाओं द्वारा पास किये गये संकल्पों पर भारत सरकार की कार्यवाही की कथित असफलता से उत्पन्न स्थिति के बारे में था तथा जिस की सूचना सर्वश्री रामसेवक यादव और अर्जुनसिंह भदौरिया ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .		१२६८–६९

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये —

(१) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की तेरहवीं वार्षिक बैठक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के गवर्नर बोर्ड की दूसरी वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकासी) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५९ द्वारा संशोधित दिनांक १ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६९ की एक प्रति ।

(३) विभिन्न सत्रों में जैसाकि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २ दूसरी लोक-सभा का पहला सत्र, १९५८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या ११	दूसरी लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५८
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या १३।	दूसरी लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५७
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या १०।	पहली लोक-सभा का पंद्रहवां सत्र, १९५७

(४) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९५ की एक प्रति।

(५) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९५४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ९५४ दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ९५५, दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या १०१६, दिनांक १ नवम्बर, १९५८।

(चार) जी० एस० आर० संख्या १०१७, दिनांक १ नवम्बर, १९५८।

(पांच) जी० एस० आर० संख्या १०१९, दिनांक १ नवम्बर, १९५८।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत . १२६९

बत्तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

विधेयक—विचाराधीन . १२७०—१२८५

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार चर्चा जारी रही ; चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विषय पृष्ठ

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा . १२८५—१३०४

पंडित द्वा० ना० तिवारी ने गाड़ियों के देर से चलने और रेलवे कर्मचारियों के निश्चित समय पर गाड़ियां चलाने में असफल रहने पर चर्चा आरम्भ की। रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

संसद् अनर्हता निवारण विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर खण्डवार विचार तथा विधेयक का पारित किया जाना। हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पर विचार तथा विधेयक का पारित किया जाना।

———————